उन्नति विचार

वर्ष : 6 अंक : 3 जुलाई-सितंबर, 2001

अनुक्रम

संपादकीय 1

विकास विचार 2
विकलांगता और विपत्ति : समस्याएँ और व्यूह रचनाएँ

नज़रिया 27

आपके लिए 30
विकलांग अधिनियम **1995**

अपनी बात 35
समुदाय-आधारित पुनर्वास की प्रक्रिया का मेरा अनुभव

गतिविधियां एवं भावी कार्यक्रम 39

संदर्भ सामग्री 41

अपने बारे में 44

संपादकीय टीम :
दीपा सोनपाल
बिनोय आचार्य

वार्षिक चंदा : 25/- रु. मात्र बैंक ड्राफ्ट अथवा मनीऑर्डर 'उन्नति' विकास शिक्षण संस्थान, अहमदाबाद के नाम भेजें।

केवल सीमित वितरण के लिए

संपादकीय

आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध अथवा शांति के लिए अभियान ? ''

ग्यारह सितम्बर २००१ का दिन मानव जाति के आधुनिक इतिहास का एक महत्त्वपूर्ण दिन बन गया है । अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले २१वीं सदी के इतिहास को मोड़ देने वाली घटना बन गए हैं । आतंकवाद मानव संस्कृति हेतु कलंक है । यह मानव जाति और लोकतंत्र के विरुद्ध द्रोह है । अगर आतंकवादियों के जघन्य कृत्य जारी रहते हैं तो दुनिया फिर से पाशविक संस्कृति की दिशा में धकेल दी जाएगी और मनुष्य जाति ने सदियों के अथाह परिश्रम के बाद मानवाधिकारों को एक नए धर्म के रूप में स्थापित करने वाली जो लोकतांत्रिक परम्परा निर्मित की है, उसका विनाश हो जाएगा। इसलिए आतंकवाद को तो समाप्त करना ही होगा । परंतु आतंकवाद का नाश किस तरह किया जाए? क्या युद्ध ही आतंकवाद को नष्ट करने का अंतिम उपाय है, कोई और मार्ग नहीं है ?

आतंकवादियों का नाश होने से आतंकवाद की समाप्ति हो जाएगी, यदि ऐसा मानते हैं तो आतंकवाद के नाश हेतु युद्ध का समर्थन हो सकता है । परंतु युद्ध से आतंकवादी नष्ट हों, तब भी यदि आतंकवाद के कारणों को दूर नहीं किया जाता, तो नए आतंकवादी पैदा होते ही रहेंगे । अतएव, युद्ध आतंकवाद की शाखा-प्रशाखाएँ काट देगा, पर अभाव की जिस भावना से आतंकवाद जन्म लेता है, उसका निवारण जब तक नहीं होता, तब तक विश्व पर आतंकवाद का साया मंडराता ही रहेगा । वर्तमान परिस्थिति में जब युद्ध को एक अनिवार्य साधन माना जा रहा है, तब हकीकत में तो शांति के लिए अभियान छेड़ने की जरूरत है, क्योंकि शांतिमय सह-अस्तित्व की स्वीकृति ही विश्व को कल्याण और समृद्धि की तरफ ले जाने में सक्षम है । आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध छेड़ने से पहले वास्तव में शांतिपूर्ण समाधान हेतु प्रयास होने चाहिए थे । लेकिन ऐसे किन्हीं ठोस प्रयासों के बिना ही आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध छेड़ा जाना खेदजनक है । वैश्विक समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अहिंसक संवाद ही एकमात्र उपाय है ।

संस्कृत में कहा गया है कि 'युद्धस्य वार्ता रम्याः।' अर्थात युद्ध की कहानियाँ मनोरंजक होती हैं । टी.वी. के पर्दे पर दिखने वाला युद्ध जब हकीकत बन कर हमारे घर में प्रविष्ट होता है तो वही मनोरंजक युद्ध डरावना और भयानक बन जाता है । विश्व का इतिहास ऐसे युद्धों से भरा पड़ा है । परंतु युद्ध खून के फव्वारों से किया जाने वाला इन्द्रधनुष जैसा है अतः ऐसे रक्त-रंजित इन्द्रधनुषी इतिहास को बदलने की शुरूआत की जानी चाहिए । युद्ध समस्याओं का हल कदापि नहीं बन सकता । मात्र अहिंसा, शांति और संनिष्ठ अहिंसक संवाद ही आतंकवाद की समस्याओं को हल कर सकते हैं ।

(इस अंक में विकलागों के पुनर्वास के विषय में चर्चा की गई है, पर वर्तमान वैश्विक वातावरण के संदर्भ में यह संपादकीय लिखा गया है।)

विकलांगता और विपत्ति : समस्याएँ और व्यूह रचनाएँ

यह लेख 'हैंडिकेप इंन्टरनेशनल' की **सुश्री अलाना आफिसर, सुश्री केथरिन नोटन** और **सुश्री प्रिया वरदान** के द्वारा तैयार किया गया है । इसमें **श्री नितिन उपाध्ये** ने फोटो उपलब्ध कराए हैं। यह लेख विपत्ति में विकलांगों की समस्याओं और उनके निराकरण की व्यूह रचनाओं के बारे में जानकारी व दृष्टि प्रदान करता है।

प्रस्तावना

'संयुक्त राष्ट्र' (यूनाइटेड नेशंस) की जानकारी के अनुसार प्रति २० व्यक्तियों में एक व्यक्ति विकलांग होता है । इनमें भी प्रति ४ व्यक्तियों में ३ से अधिक विकासशील देशों में रहते हैं । अधिकांशतः वे सबसे गरीब होते हैं । विश्व बैंक के वर्तमान अनुमान के अनुसार दुनिया के सबसे गरीब लोगों में से २०% लोग विकलांग हैं । विकलांगता के कारण रोजगार और शिक्षा प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न होती है और वह सामाजिक तथा आर्थिक बहिष्कार की तरफ खींच ले जाती है । विकलांग गरीब, गरीबी और विकलांगता के दुश्चक्र में फँसे होते हैं । विकलांगता गरीबी का कारण और परिणाम दोनों है । विकलांग लोगों की जरूरतों और अधिकारों को दृष्टि में लाये बिना दुनिया से गरीबी को दूर कर पाना लगभग असंभव है ।

अत्यधिक मात्रा में विकलांगता को आने से रोका जा सकता है । जीवन स्थिति में केवल सामान्य सुधार पर्याप्त नहीं हैं । मात्र विकलांगता को रोकने के लिए ही नहीं, परंतु विकलांग लोग विकास की प्रक्रिया में सम्पूर्ण तथा सहभागी बनने हेतु सशक्त बनें, लाभों में समुचित हिस्सा प्राप्त करें तथा समाज के सम्पूर्ण एवं समान सदस्य के रूप में अपने अधिकार प्राप्त करें, इसके लिए कुछ निश्चित कदम उठाने की जरूरत है । एक समन्वित अभिगम की आवश्यकता है, जिसमें प्रतिरोधकता और पुनर्वास को सक्षमता की व्यूह रचना तथा मनोभावों के परिवर्तन के साथ जोड़ा जाए । यह लेख विकास और विपत्ति की समस्या के रूप में विकलांगता के महत्त्व की तहकीकात करता है, गरीबी के साथ अपने संबंध के महत्त्व को तथा भारत में विकलांगता नियम सबंधी उपलब्धियों को वर्तमान राष्ट्रीय जन गणना के संदर्भ में जाँच-पड़ताल करता है । उसमें ऐसे मार्ग सुझाए गए हैं जिन्हें सामुदायिक विकास संगठन (कम्युनिटी डेवलेपमैंट आर्गेनाइजेशंस) अपना सकते हैं, ताकि उन्हें मुख्य धारा के विकास में शामिल किया जा सके और इस प्रकार मानवधिकारों की प्राप्ति हेतु महत्त्वपूर्ण योगदान दिया जा सके ।

गरीबी और विकलांगता

विकलांगता का अर्थ क्या है ?

'विचार' के इसी अंक में विकलांगता अधिनियम १९९५ का विवरण दिया गया है । उसमें हम भारत सरकार द्वारा विकलांगता के बारे में स्वीकृत व्याख्याएँ देख सकते हैं । विकलांगता की व्याख्या करना बहुत जटिल और विवादास्पद होता है । मानसिक तथा शारीरिक खामियों के कारण विकलांगता का जन्म होता है, पर इससे सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव भी जन्म लेते हैं। विकलांगता विषयक सम्पूर्ण समझ इस बात को पहचानते है कि विकलांगता का सामाजिक बहिष्कार के साथ संबंध है और इसका गरीबी के साथ भी सम्बंध है । अतः इससे गरीबी बढ़ने की संभावना रहती है । आप एक व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्थिति से उबरने वाली काम करने की मर्यादाओं और सामाजिक तथा भौतिक पर्यावरण के बीच के जटिल सम्बंधों का परिणाम विकलांगता है । इसके अनेक पहलू हैं और वे वैयक्तिगत स्वास्थ्य अथवा मानसिक समस्या की बजाय कुछ विशेष हैं, और विकलांग लोगों के अधिकारों संबंधी पहलू भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।

इंग्लैंड के 'डिपार्टमैन्ट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमैंट' (डी.एफ. आइ.डी.) ने विकलांगता, गरीबी और विकास विषयक अपने अध्ययन लेख में विकलांगता की इस व्याख्या का उपयोग किया है : 'लंबी अवधि की खामी, जो सामाजिक-आर्थिक हानि की ओर, अधिकारों के इन्कार की ओर, तथा सामाजिक जीवन में समान भूमिका अदा करने के सीमित अवसरों की ओर खींच कर ले जाती है ।'

गरीबी : कारण और परिणाम

गरीबी विकलांगता का कारण व परिणाम दोनों है । गरीबी और विकलांगता एक - दूसरे को बढ़ाते हैं और बहिष्कार व दुर्बलता बढ़ाने में सहयोग देते हैं । अधिकांश विकलांग लोगों को क्यों लगता है कि उनकी विकलांगता स्कूल जाने, आजीविका कमाने, पारिवारिक जीवन आनंदपूर्वक जीने तथा सामाजिक जीवन में समान रूप से भागीदार होने मे उनके अवसरों पर विपरीत प्रभाव डालती है । कुपोषण, काम और जीने की भयप्रद स्थिति, पर्याप्त मात्रा में टीके न लगवाना, स्वास्थ्य एवं मातृत्व के न्यून अवसर, सफाई का अभाव, खराब स्वास्थ्य, खामियों के कारणों के बारे में अपर्याप्त जानकारी, तथा युद्ध, संघर्ष और प्राकृतिक विपत्तियाँ ये तमाम विकलांगता के कारण हैं । विवरण के लिए निम्न आरेख देखें :

न्यूनताओं के कारण

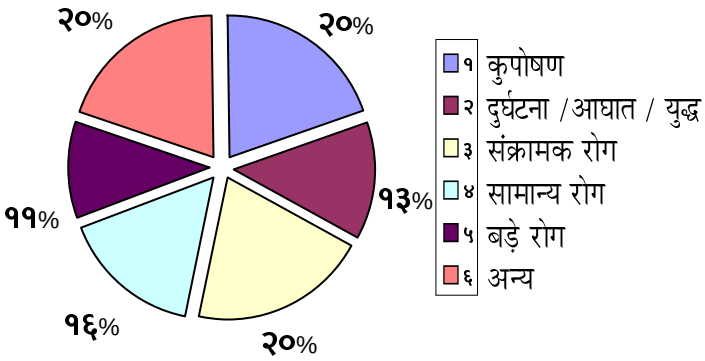

इनमें से कई कारण ऐसे हैं जिन्हें रोका जा सकता है। 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' (डबल्यू. एच. ओ.) के अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष दो करोड़ महिलाएँ बालक के जन्म तथा गर्भावस्था के परिणाम स्वरूप होने वाली लंबी अवधि की मुसीबतों और विकलांगता की शिकार बन जाती हैं । चलते-फिरने संबंधी विकलांगता पैदा करने वाले सर्वसामान्य कारणों में मार्ग, घर या कार्यस्थलों पर होने वाली दुर्घटनाओं में लगी चोटों, युद्ध और हिंसा, जन्म के समय की तकलीफों और पोलियो तथा रक्तपित्त जैसे संक्रामक रोगों का समावेश होता है । बालक प्रायः अपर्याप्त पोषण की वजह से विकलांग बन जाते हैं ।

विकलांगता आर्थिक तनाव और अलगाव को बढ़ाकर गरीबी को मात्र वैयक्तिगत स्तर पर ही नहीं परंतु पारिवारिक स्तर पर भी तीव्र बना देती है । विकलांग बालक युवावस्था में मर जाएँ, उन्हें तिरस्कृत किया जाए, अपर्याप्त पोषण का शिकार बनें तथा गरीबी में सड़ते रहें, ऐसी संभावनाएँ रहती हैं । जो विकलांग लोग शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, उन्हें रोजगार मिलने की संभावनाएं कम रहती हैं तथा परिणाम स्वरूप वे गरीबी की तरफ और ज्यादा धकेल दिये जाते हैं। गरीबी और विकलांगता के दुष्चक्र को तोड़ पाना अधिक से अधिक मुश्किल बन जाता हैं ।

इस दुष्चक्र का परिणाम यह निकलता है कि विकलांग और उनके परिवार के लोग सबसे गरीब लोगों में स्थान पाते हैं । विकलांग महिलाओं को तो विकलांगता और स्त्री-पुरुष सामाजिक भेद दोनों का शिकार बनना पड़ता है । विकलांग पुरुषों की बजाय महिलाओं की साक्षरता दर कम होती है, क्योंकि विकलांग लड़कों को विकलांग लड़कियों की तुलना में स्कूल में अधिक भेजा जाता है । अध्ययन बताता है कि सामान्य स्त्रियों की बजाय विकलांग स्त्रियाँ शारीरिक एवं यौन शोषण की शिकार अधिक होती हैं । प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य रक्षा सेवाएँ उनको बहुत कम मिल पाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य की समस्याएँ पैदा होने की आशंका बढ़ जाती हैं । विकलांगता और प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य - रक्षा की जरूरतों को लेकर महिलाओं में जागरूकता बहुत कम होती है । कई बार उस ओर ध्यान ही नहीं दिया जाता । ऐसी मान्यता है कि विकलांगता के कारण यौन-जीवन होता ही नहीं । इस बारे में हमें पुनर्विचार करना होगा तथा तमाम विकलांग महिलाओं या उनके अलावा अन्य सामान्य महिलाओं को जानकारी का अधिकार मिले और प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य-रक्षा के बारे में उन्हें सलाह प्राप्त करने के अवसर मिलें।

विकलांगता महँगी है !

विकलांगता सिर्फ व्यक्ति या उसके परिवार को ही प्रभावित करती हो, ऐसा नहीं है, परंतु यह समग्र समुदाय को प्रभावित करती है । विकलांग लोगों को समुदाय में सक्रिय भूमिका निभाने से बहिष्कृत कर देने का खर्च बहुत अधिक आता है, और उसे समाज को वहन करना पड़ता है । विकलागों के बहिष्कार से उत्पादकता और

मानवशक्ति में कमी होती है । विकलांगों के खर्च के तीन अंग हैं: (१) प्राप्ति और प्रवास के खर्चे के साथ विकलांगता का प्रत्यक्ष खर्च, (२) जिन पर सीधे - सीधे प्रभाव नहीं होता, ऐसे लोगों का यथा - सेवा-सुश्रूषा करने वाले का खर्च, (३) विकलांगता के कारण जो आमदनी छोड़नी पड़ती है, उसका खर्च ।

यदि हमें भारत के संबंध में अनुमान चाहिए, तो सन् २००० में यहाँ ५.५ करोड़ विकलांग थे । यदि उनके परिवारों और प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वालों की संख्या उससे चार पाँच गुना याने २२ करोड़ के आसपास होगी । 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' के वर्ष १९९९ के विवरण के अनुसार भारत को अंधेपन के कारण ही प्रति वर्ष रु. २००० करोड़ का खर्च उठाना पड़ता है ।

विकलांगता का प्रत्यक्ष खर्च सामान्यतया असमान रीति से बंट जाता है । अधिकांशतः यह बोझ परिवार के सदस्यों पर पड़ता है, सामान्य रीति से माता और महिलाओं पर । भारी विकलांगता वाले बालक की देखभाल किए जाने के कारण भारी गरीबी में जीने वाली महिलाओं पर ज्यादा बोझ पड़ता है और आजीविका कमाने वाला अपना मूल्यवान समय इसके लिए देना पड़ता है । कई बार देखभाल करने का बोझ अन्य बालकों पर आ पड़ता है, सामान्यतया लड़कियों पर। उनको बहुधा घर में ही रहना पड़ता है, वो स्कूल भी नहीं जा सकतीं । उनको अपने विकलांग भाई-बहन या अन्य विकलांग सगे-संबंधियों की देखभाल करनी पड़ती है । रोकी जा सकने जैसी विकलांगता को यदि रोका जाए तो भारतीय अर्थतंत्र को बहुत लाभ हो सकता है । इससे उत्पादकता बढ़ती हैं, अधिक अच्छा काम करने के अवसर बढ़ते हैं तथा लोग अधिक लंबी अवधि तक काम कर सकते हैं ।

विपत्ति में विकलांगता

२६ जनवरी, २००१ को ७.९ रिक्टर स्केल का भूकम्प गुजरात के कच्छ जिले में आया । उसमें लगभग २०,००० लोग मारे गए और १.६० लाख से अधिक लोग घायल हुए । सैंकड़ों लोगों ने हाथ-पैर गँवाये और हजारों लोगों की हड्डियां टूट गई, और अन्य इतने ही लोग लकवाग्रस्त हो गए । जानमाल की अपार हानि के कारण कच्छ की जनता पर भूकम्प के लंबी अवधि के संभावित परिणाम शारीरिक, संवेदनात्मक, आर्थिक तथा सामाजिक हो सकते हैं । किसी न किसी तरह से एक-एक व्यक्ति दुर्बल हो गया और बचे रह जाने वालों को अब जो जबर्दस्त चुनौती है वह उनके जीवन की गाड़ी को विनाश से निकालकर फिर से चलाने की है । जो लोग विकलांगता के प्रति अतिसंवेदनशील (वल्नरेबल) हैं, उनके लिए यह चुनौती बहुत बड़ी और लंबी है । 'हैंडिकेप इंन्टरनेशनल' के अनुसार संतुलन की स्थिति को धीमे-धीमे या अचानक खो देने से होने वाले प्रभाव को बर्दाश्त करने की किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय की अक्षमता ही अतिसंवेदनशीलता (वल्नरेबिलिटी) है । अतिसंवेदनशीलता एक सापेक्ष शब्द है और वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भों के अलावा आयु, लिंग और स्वास्थ्य जैसे वैयक्तिगत घटकों पर भी आधारित रहता है । विपत्ति में विकलांगता के बारे में सोचें तो हमें भूकंप से पहले के कच्छ के विकलांग लोगों के बारे में भी विचार करना होगा । पुनर्वास की सुविधाओं का जिन्हें लाभ नहीं मिल पाया या जो वहाँ तक नहीं पहुँच सके,

ऐसे अनेक लोग तमाम विकासपरक प्रयासों से वंचित रह गए थे ।

भूकंप के कारण अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ नष्ट हुई । वे आंशिक रूप से ही काम करने लायक रह गईं या फिर हमेशा के लिए बंद ही हो गईं । तात्कालिक चिकित्सा राहत प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छा खासा समर्थन मिला और उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में घायलों का बहुत तेजी के साथ घायलों और विकलांगों की गतिशीलता की जरूरतें पूरी करने में सहायता की थी ।

इलाज के आरंभिक चरण में ऑपरेशन किए गए, टाँके लगाए गए और फ्रैक्चर पर प्लास्टर करके लोगों को छुट्टी दे दी गई । इनमें से कई लोगों के पास तो घर ही नहीं था, कि जहाँ वे वापिस जा सकें । तो कुछ दूसरों ने भूकंप के डर के कारण कहीं और जाना पसंद किया : आपातकालीन परिस्थिति बन जाने के कारण और घायलों की संख्या अत्यधिक होने के कारण जिन लोगों को चिकित्सा सहायता मिली थी, उन सब का दस्तावेजी विवरण रख पाना संभव नहीं था । अगर यह विवरण रखा जाता तो बाद के चरण पर उपचार और पुनर्वास का काम ज्यादा आसान बन जाता । फिर, स्थानीय चिकित्सा और पुनर्वास सेवाएँ नष्ट हो चुकी थी । अतः मरीज को पुनर्वास के लिए भेजने की या पुनः इलाज हेतु भेजने की भी सेवाएँ उपलब्ध नहीं थी । अनेक मामलों में लोग राह देखते रहे कि वे भले-चंगे हो जाएंगे । इसलिए उन्होंने फौरन अच्छे होने के लिए भी कोई मदद नहीं ली । स्थानीय स्तर पर ये सेवाएँ उपलब्ध न थीं, इस कारण और गरीबी व अज्ञान के कारण उन्होंने ये सेवाएँ नहीं लीं । कई मामलों में तो आवास और आमदनी की बड़ी-बड़ी समस्याएँ सामने थी, इस कारण वे इस ओर ध्यान ही नहीं दे पाए। यह एक खतरनाक स्थिति थी, क्योंकि साधारण सी चोट भी विकलांग बना सकती थी और व्यक्ति की काम करने की शक्ति पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती थी । पुनर्वास के अभाव की वजह से ऐसा होता है और बाद में व्यक्ति अपने रोजमर्श के जीवन में और प्रवृत्तियों में न्यूनताओं का अनुभव करता है ।

'हैन्डिकेप इन्टरनेशनल' के कार्यकर्ताओं ने विपत्तिग्रस्त इलाके में विकलांगता संबंधी कार्य के बारे में अनेक प्रकार के अवलोकन किए हैं । यह एक फ्रैंच स्वैच्छिक संस्था है । यह विश्व के पचास देशों में काम करती है और भारत में सन् १९८५ से कार्यरत है । मार्च २००१ से यह संस्था कच्छ में भूकंप राहत एवं पुनर्वास का काम कर रही है । 'हैन्डिकेप इन्टरनेशनल' का मुख्य लक्ष्य विकलांग लोगों के लिए अधिक समतापूर्ण समाज निर्मित करना है, फिर भले ही विकलांगता चाहे जिस कारण से हुई हो । इसका अर्थ यह है कि विकलांग लोगों की स्थिति संबंधी वैश्विक अभिगम मात्र चिकित्सकीय नहीं, अपितु वह सामाजिक एवं विकासपरक समस्या है । अतः हम मानते हैं कि विकलांगों की समस्याएँ दूर करने के लिए बहुपक्षीय धावा बोले जाने की जरूरत है । उसमें चिकित्सकीय जोखिम में कमी, पुनर्वास, प्राप्यता, सामाजिक परिवेश, अधिकारों की स्वीकृति आदि का समावेश होता है । फिर ये सभी कदम इस तरह उठाए जाने चाहिए ताकि सभी लाभार्थियों को समान गिनने के तरीके से उभरने वाले जोखिम टाले जा सकें और समन्वय को प्रोत्साहन मिले तथा बहिष्कार में वृद्धि न हो । 'हैन्डिकेप इंटरनेशनल' दुनिया भर में चिरतंन विकास को प्रोत्साहन देने हेतु स्थानीय संसाधनों को मजबूत बनाने में विश्वास रखता है । 'हैन्डिकेप इंन्टरनेशनल' यहाँ ऐसे घटकों का उल्लेख करना चाहता है जो व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जिंदगी में पूर्णतः सहभागी बनने की क्षमता

एवं स्वायत्तता में अवरोध-स्वरूप बनते हैं : गरीबी, पर्यावरणीय एवं भावात्मक अवरोध इत्यादि ।

गुजरात जैसी विपत्ति में, जहाँ बड़ी तादाद में लोग घायल और विकलांग हुए हों, वहाँ आरंभ से ही यह समझ व्याप्त थी कि इस परिस्थिति ने जो समस्याएँ खड़ी की हैं, उनके अल्पावधि उपाय प्रभावी नहीं हो सकेंगे । विकलांगता ने व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्थिति में बदलाव लाने से उत्पन्न काम करने की मर्यादाएँ और सामाजिक - भौतिक पर्यावरण की जटिल परिस्थिति खड़ी की है । इसके विविध पहलू हैं और वे वैयक्तिगत स्वास्थ्य अथवा चिकित्सकीय समस्याओं से बहुत भिन्न हैं ।

'हैन्डिकेप इंटरनेशनल' के तत्कालीन प्रतिभाव के आरंभिक चरण में न्यूनताओं को मर्यादित बनाने पर बल दिया गया था और जहाँ संभव हो, वहाँ चोट ग्रसित और विकलांग लोगों की मूल शक्तियों की पुर्नस्थापना करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया था । विशेष रूप से रीढ़ की हड्डी की चोट वाले लोगों पर विशेष ध्यान दिया गया था । उनके शारीरिक पुनर्वास के लिए प्रयत्न किए गए और उनके लिए जरूरत के मुताबिक साधन उपलब्ध कराए गए । जहाँ कुछ निश्चित कौशल स्थानीय स्तर पर प्राप्त नहीं थे वहाँ 'हैन्डिकेप इंटरनेशनल' के द्वारा सीधे सहयोग प्रदान किया गया और स्थानीय विकासलक्षी और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया ताकि वे पुनर्वास के मामले में अधिक उत्तरदायित्व वहन कर सकें ।

इस तरह, पुनर्वास जारी है, पर अन्य घटकों को देखें तो कार्यक्षेत्र अधिक व्यापक हो गया है । विकलांग लोगों की सेवाओं की प्राप्ति, शिक्षण, अधिकारों आदि समस्याओं को देखने पर यही मालूम होता है । गुजरात में हम विकलांगता और विकलांग लोगों पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन 'हैन्डिकेप इंटरनेशनल' द्वारा विकलांग लोगों हेतु अलग कोई कार्यक्रम तैयार नहीं किए गए । कार्यक्रमों की ताकत स्थानीय संगठनों पर ही आधारित है और ऐसे ही रहेगी । ये संगठन अपने समुदाय में विकलांगों समेत कमजोर लोगों की जरूरतों की समस्याएँ हल करने के संदर्भ में सक्रिय रूप से काम करते हैं । इन संगठनों की प्रवृत्तियाँ मानव और सामाजिक विकास के व्यापक क्षेत्र को समेटती रही हैं । इनमें शिक्षण, पानी, सफाई, आवास, आमदनी आदि का समावेश होता है । स्थानीय भौतिक पुनर्वास सेवाओं की क्षमता-वृद्धि जारी ही हैं ।

गुजरात में सामुदायिक पुनर्वास और चोटग्रस्त लोगों का पुनर्वास

अनेक संगठनों ने समुदाय आधारित पुनर्वास के अभिगम को अपनाया है और पुननिर्माण के लिए सामुदायिक संसाधनों का उपयोग किया है । अनेक संगठनों ने शारीरिक-चिकित्सा (फीजियोथेरेपी) सेवाएँ शुरू की हैं ताकि लोगों का उनके घरों में ही पुनर्वास हो सके । इसके लिए उन्होंने समुदाय-आधारित संगठनों और उनके क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं का उपयोग किया है, जो लोगों एवं क्षेत्र को भली-भाँति जानते हैं । इस सामुदायिक-कार्यकर्ता नेटवर्क के द्वारा चोटग्रस्त लोगों को ढूँढ निकालना संभव हुआ है । कच्छ में परिवार एवं समुदाय की भावना उल्लेखनीय तरीके से जीवंत है अतः थोड़े से चिकित्सकों की मदद एवं सलाह से चोटग्रस्त लोगों का पुनर्वास परिवारों एवं समुदायों के द्वारा आसानी से हो सका । सामुदायिक कार्यकर्ता घायलों और विकलांग लोगों को खोज सकें, विकलांगों एवं उनके परिवारों की आवश्यकताएं पूरी कर सकें तथा राहत व पुनर्वास की प्रवृत्तियाँ उनके मुताबित हो सकें इसके लिए 'हैन्डिकेप इंटरनेशनल' द्वारा उन्हें इस बात के लिए प्रशिक्षण दिया गया कि वे विकलांग लोगों की जरूरतों के प्रति लोगों को कैसे संवेदनशील बनाएँ और विकलांगों को उनकी प्रवृत्तियों में कैसे शामिल करें । बाद में समुदाय आधारित संगठनों ने ये कार्य किए : विकलांग लोगों की जरूरतों को वे समझते हैं और विकास एवं राहत की प्रवृत्ति में उन्होंने विकलांगों को ध्यान में रखा - यह बात इन संगठनों ने दर्शाई । उदाहरण के लिए अनेक संगठनों ने विकलांग लोगों को ही कार्यकर्ता बना लिया ।

पुनर्वास की प्रक्रिया बहुपक्षीय है । गंभीर चोटें लगी हो तो शारीरिक पुनर्वास जरूरी है । समुदाय की सामान्य प्रवृत्तियों में विकलांग व्यक्ति फिर से शामिल हो जाएँ, इसकी जरूरत है । उदाहरणार्थ, बालक फिर से स्कूलों में जाने लगें या लोग जहाँ काम करते थे, वहाँ फिर से काम पर जाने लगें । सम्पूर्ण पुनर्वास का लक्ष्य व्यक्ति को, उसके परिवार और समुदाय को जहाँ तक संभव हो सके, उतना स्वतंत्र बनाना है ।

इसी बात को ध्यान में रख कर विकासपरक एवं पुनर्वासपरक संस्थाओं

के बीच समन्वय की व्यवस्था स्थापित की गई । इससे चिकित्सकों को शारीरिक पुनर्वास की जरूरत वाले लोगों को ढूँढ निकालने में सहायता मिली । इसके अलावा मनो-सामाजिक सहयोग, गृहनिर्माण, आमदनी देने आदि प्रवृत्तियों के द्वारा वैश्विक मानव-विकासलक्षी जरूरतों के लिए काम करने वाले संगठनों से प्रगाढ़ संम्पर्क स्थापित करने में भी सहायता मिली । लोगों को उनके घर पर ही समुचित सलाह और इलाज मिला । योग्य फीजियोथेरेपी एवं ओर्थोपीडिक पुनर्वास केन्दों पर पुनः ध्यान दिया जा सके तो समुदाय मध्यम अवधि में ही अधिक विशिष्ट पुनर्वास सेवाएँ प्राप्त कर सकता है, जो अन्यथा समुदाय के स्तर पर स्थायी न होने के कारण नहीं मिल पाती । घायल व्यक्तियों, परिवारों एवं समग्र समुदाय को इस अभिगम से लाभ मिला। वैश्विक स्तर पर उसका अनुवर्ती कार्य संभव हुआ और व्यक्तियों की तमाम मानसिक, शारीरिक, आर्थिक एवं सामाजिक जरूरतों के संदर्भ में ध्यान दिया गया । एक अच्छी बुनियाद पड़ गई, जो लंबी अवधि तक घायलों एवं विकलांग व्यक्ति की स्वतंत्रता और एकता को समुदाय के सभी सहभागी सदस्यों के रूप में सिद्ध करेगी ।

भूकंप के बाद विकलांग लोगों हेतु राहत से पुनर्वास तक

विविध संस्थाओं और सरकार के बीच आरंभ से ही जो संबंध स्थापित हुए, उनसे विकलांग लोगों के लिए लंबी अवधि की परियोजनाओं और सुविधाओं के आयोजन की अच्छी बुनियाद पड़ी। राहत का चरण पूरा हुआ और पुनर्वास का चरण शुरू हुआ, तब विकलांगों हेतु सर्वग्राही समुदाय आधारित पुनर्वास के विस्तार की नींव पड़ी। उसमें सरकार और समुदाय आधारित संगठन शामिल हुए । इस अभिगम के साथ, यदि हम आरंभ से ही विकलांगों को शामिल करें तो ऐसी व्यवस्था बन जाती है कि उनकी जरूरतें पूरी हो सकें । उनमें स्वास्थ्य-रक्षा और शारीरिक पुनर्वास का समावेश तो हो ही, साथ ही साथ विकलांग व्यक्ति अपने समुदाय में सामाजिक -आर्थिक पुनर्वास द्वारा मिल जाए ।

इस कार्यक्रम के लक्षण निम्नानुसर हों -

- विकलांगों को कार्यक्रम के निर्माण, क्रियान्वयन और देखरेख में शुरू से ही शामिल किया जाए ।
- स्थानीय लोगों की क्षमता वृद्धि, प्रशिक्षण एवं कौशलों की फेर-बदल पर काफी ज़ोर दिया जाए ताकि कार्यक्रम अधिक स्थायी बने । स्वयं विकलांगों को ही प्रशिक्षण देने पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि उनकी स्वायत्तता और समाजीकरण को व्यवस्थित प्रोत्साहन मिले ।
- विकलांगों की सभी जरूरतों पर ध्यान दिया जाए और उन्हें सामान्य मनुष्यों की जरूरतों की ही भाँति ध्यान में रखा जाए ।
- समुदाय में ही बुनियादी पुनर्वास सेवाएँ प्राप्त हों और वे सहभागी हों ।
- वांछित चिकित्सकीय एवं अस्थिसंधान सेवाएँ प्राप्त हों तथा स्थानीय जरूरतों, संदर्भ और प्राप्त संसाधनों को उनमें लक्ष्य में रखा जाए। जरूरतों के अनुसार भौगोलिक क्षेत्र को शामिल किया जाए।
- विधायक अभिगम और वृत्तियाँ विकसित की जाएँ । जिस वातावरण में हम जीते है, उसे हम सबसे बड़ा अवरोध मान लेते हैं । उसमें भौतिक वातावरण और मानसिक वृत्तियों का समावेश हो जाता है । इस संदर्भ में हम यों समझते हैं कि विकलांग लोग पूरी तरह से समाजिक स्वीकृति प्राप्त करें, उससे पहले यह तहकीकात कर लेनी चाहिए कि हमारे मकान विकलांग लोगों के अनुकूल हैं या नहीं, तथा हमारा अभिगम उनके प्रति सम्मान जनक है या नहीं ।
- समुदाय के विकलांग लोग और सामान्य लोग दोनों ही महत्त्व के स्त्रोत हैं । कार्यक्रम सफल हो और लंबी अवधि तक चलें, इसके लिऐ समुदाय का सक्रिय सहयोग जरूरी है ।

विकलांगता - समस्या को लेकर विपत्ति की दशा में आने वाले अवरोध

१. गुजरात में हमको जिन बड़े अवरोधों का अनुभव हुआ है, उनमें

यह जानने को मिला है कि इतनी बड़ी विनाश की स्थिति में विकलांगता अनेक संस्थाओं के लिए चिंता का विषय नहीं बनी। फिर, विपत्ति के समय राहत कार्य करने वाले अनेक संगठन विकलांगता की समस्या के बारे में जानकार नहीं थे । या फिर तत्काल राहत और पुनर्वास की प्रवृत्तियों के दौरान इन समस्याओं के बारे में काम करने की अपनी क्षमता की उन्हें जानकारी नहीं थी। समुदाय आधारित संगठन अन्य मुद्दों को महत्त्वपूर्ण एवं व्यापक मानते हैं । स्वच्छ पेय जल प्राप्त न हो, स्कूल बंद हों और वर्षा काल आ रहा हो तथा बहुत कम लोगों के पास रहने को घर हों तब विकलांग लोगों की समस्याओं के बारे में संवेदनशील होना या इससे संबंधित पद्धतियों पर सोचना मुश्किल होता हैं। किसी भी विपत्ति का सामना करने की तैयारी के बारे में सोचते समय विकलांगता विषयक समस्याओं को उसका हिस्सा बनाना महत्वपूर्ण है ताकि राहत और पुनर्वास की सेवाएँ सभी कमजोर लोगों तक पहुँच सकें । संस्थाएँ उनका ध्यान रखें और उसके लिए सक्षम बनें।

२. जो अधिक चोटग्रस्त हैं उनके चिकित्सकीय पुनर्वास के लिए फीजियोथेरेपिस्ट जैसे विशिष्ट चिकित्सकों की जरूरत पड़ती है । भारत में समुदाय के स्तर पर काम करने वाले फीजियोथेरेपिस्ट बहुत कम संख्या में है, जो हैं वे ज्यादातर शहरों में ही हैं । जिन चिकित्सकों को विपत्ति के समय काम करने का अनुभव होता है वे भी बहुधा कठिन परिस्थिति में काम करने को तैयार नहीं होते । जो लोग नियमित रूप से अलग-अलग तरह की चोटों का इलाज करते हों और उन सबका संचालन करते हों, ऐसे चिकित्सक बहुत कम होते हैं और उन्हें एकत्रित करना बहुत कठिन होता हैं । गुजरात जैसी विपत्ति में और संकटापन्न परिस्थिति में कई प्रकार के कौशल होने अपेक्षित हैं। हमारा अनुभव बताता है कि योग्य फीजियोथेरेपिस्ट को भी प्रशिक्षण देने की जरूरत रहती है ताकि वे प्रवर्तमान परिस्थिति की जरूरत को ध्यान में रखते हुए काम कर सकें । राहत की जरूरतें धीमे-धीमे कम हो जाने पर यह काम किया जा सकता है । विकलांगता संबंधी समस्याओं के बारे में प्रतिबद्ध सामुदायिक कार्यकर्ताओं को खोजकर निकालना और उन्हें प्रशिक्षण देने का अभिगम अपनाये जाने की जरूरत है । मध्यम से लंबी अवधि तक काम करने का यही एक मार्ग है ।

३. घायल हुए लोगों को वास्तव में खोज निकालने का काम बहुत मुश्किल है क्योंकि अस्पतालों में आसानी से पहुँचा नहीं जा सकता, और बहुत सारे लोगों के घर नष्ट हो जाते हैं, ऐसे में वे भूकंप के बाद कहीं ओर जा बसते हैं । हमें बताया गया है कि गाँवों में और नगरों में उनकी खोज करना अधिक प्रभावशाली है । हालाँकि, इसमें समय ज्यादा लगता है । यह काम अभी पूरा नहीं हुआ । फिर, स्थानीय चुने हुए प्रतिनिधियों तथा स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों से भी जानकारी प्राप्त होती है ।

४. विपत्ति की दशा में विकलांग लोगों को ढूंढ निकालना मुश्किल होता है, इसका एक कारण यह भी है कि विकलांग लोग वाचाल वर्ग के नहीं होते । जहाँ रहते हैं वहीं पड़े रहते हैं । जहाँ अनेक लोगों की जानें जा चुकी हों और बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हों वहाँ ऐसा होता है कि विकलांग लोगों की आवाज कोई नहीं सुनता । हमारी दुनिया में विकलांग लोग ज्यादा नजर में नहीं आते, यह सर्वसामान्य घटना है । वे पीछे खदेड़ दिए जाते हैं ।

५. विपत्तिग्रस्त क्षेत्र में चलने वाले सभी कार्यक्रमों मे एक सर्वसामान्य मुसीबत साधन-सामग्री को लेकर देखने में आती है क्योंकि ढाँचागत सुविधाएँ नष्ट हो चुकी होती हैं ।

विपत्ति में विकलांगता विषयक काम करने के सकारात्मक मुद्दे

अ. कई समाजों में विकलांग लोगों की बड़ी समस्या विकलांगता-विषयक सामाजिक-निषेध हैं । विपत्ति में चोट लग जाए तो विकलांग आ जाती है। उससे अनेक लोगों की जिदंगी प्रभावित होती है । विकलांगों के प्रति लोगो की प्रवृत्ति बदलने का यह एक बड़ा अवसर है । अगर हमें ही सहना पड़ जाए तो हम बहुत संवेदनशील बन जाते हैं । कच्छ में भूकंप के बाद हजारों लोग थोड़े समय के लिए या हमेशा के लिए अपंग बन गए हैं। हमें उम्मीद है कि इस अनुभव का उपयोग हम विकलांगता संबंधी हमारी समझ को व्यापक बनाने तथा समस्याओं को समझने में करेंगे, फिर विकलांगता का कारण या स्वरूप चाहे जो हो । विकलांगता भूकंप, पोलियो या रक्तपित्त आदि से जन्म लेती है और वह मानसिक या शारीरिक भी होती है।

आ. कच्छ में ऐसे अनेक विकलांग है जिनका पुनर्वास हो रहा है ।

भूकंप न आया होता, तो उनका पुनर्वास न हुआ होता । कच्छ में एक स्वैच्छिक संस्था ने कृत्रिम हाथ-पैर लगाने संबंधी शिविर लगाया और लगभग दो हजार लोगों को कृत्रिम हाथ-पैर या कैलिपर लगाये । उनमें से मात्र १० व्यक्ति ही ऐसे थे, जो भूकंप की वजह से अंपग हुए थे । इनमें से बहुतों को यह सेवा तो मिल ही नहीं पाती ।

इ. समुदाय को स्तर पर ही लोगों को साधन प्रदान किए जाने और शारीरिक पुनर्वास विषयक कार्यक्रम सामयिक था । रीढ़ की हड्डी की चोट वाले अनेक मरीज बहुत अच्छी तरह से स्वस्थ हुए और वे अच्छी तरह से समाज में मिल गए ।

ई. भूकंप के कारण ढांचागत सुविधाओं का नाश हुआ था । जो मकान नष्ट हुए थे, उनको कभी तो बनवाना ही होगा । इससे गुजरात को सभी लोगों के लिए अवरोध विहीन मुक्त वातावरण निर्मित करने का एक अच्छा अवसर मिला है । सिविल होस्पिटल और सार्वजनिक स्वास्थ्य को स्थान विकलांगों के लिए जिस तरह अनुकूल बन सकें, उस तरह से बनवाने की गुजरात सरकार ने प्रतिबद्धता व्यक्त की है । यूनिसेफ ने विद्यालयों के लिए निर्माण कार्य की योजना को सुधारा है ताकि विकलांग बालक और उनके विकलांग माता-पिता आसानी से विद्यालय में आ सकें । कई समुदाय आधारित संगठनों ने विकलांगों हेतु अनुकूल घर बनवाने के लिए मागनिर्देशों का वितरण किया है । जरूरत यहीं पूरी नहीं हो जाती । प्रत्येक सार्वजनिक भवन अथवा सेवा में यथासंभव भवन खुले होने चाहिए और सब के लिए अनुकूल होने चाहिए।

कच्छ में शारीरिक पुनर्वास से संबंधित विशेषज्ञ बहुत उपयोगी रहे, क्योंकि विपत्ति ही ऐसी थी कि जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोगों को चोटें आई थीं । वैसे विकलांगों की सबसे महत्वपूर्ण जरूरतें तभी पूरी हो सकती हैं कि जब विपत्ति की दशा में काम करने वाले तमाम लोग यहीं समझे कि विकलांग लोगों की जरूरतें भी सामान्य लोगों के जैसी होती हैं । केवल विकलांगता की वजह से ही उनकी वे जरूरतें पूरी नहीं होती है । यदि उचित अभिगम अपनाए जाएँ तो विकलांगों को लिए सही रहें, क्योंकि यहाँ काम करने वाली अनेक संस्थाएँ अब उनकी जरूरतों को समझती हैं । विपत्ति के समय विकलांगता के लिए काम करना अनेक तरह से चुनौतीप्रद है पर इसमें संभावनाएँ भी बहुत रहती हैं । हर विपत्ति में राहत प्रदान करने वाली संस्थाएँ सबसे कमजोर लोगों को सेवाएँ प्रदान करने का प्रयत्न करती हैं और जिनहें अधिक नुकसान हुआ हो उन तक पहुँचने का प्रयास करती हैं । हर समाज में गरीब और बिछड़े लोग होते ही हैं।

विकलांगों को अधिकार प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाने हेतु समुदाय आधारित संगठनों की भूमिका

दुनिया भर में सामाजिक विकास की चिरंतन व्यूह रचनाएँ विकसित करने में समुदाय की निर्णायक भूमिका मानी जाती है और इस दिशा में काम हो रहा है । सामुदायिक विकासपरक संगठन और समुदाय आधारित संगठन सामाजिक विकास में अधिक से अधिक जिम्मेदारी उठा रहे हैं । वे स्वास्थ्य-रक्षा, शिक्षा, ऋण आदि के बारे में काम करते हैं । स्थायी व उचित कार्य हाथ में लेने के लिए जिन समूहों हेतु काम होता हो, उन समूहों को किसी भी सामुदायिक प्रयासों के निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्याकंन में शामिल किया जाना चाहिए।

गरीबी के कारण जब तक दूर न हों और विकलांगों को शिक्षा जीवन-निर्वाह, स्वास्थ्य-सेवाएँ, आवास आदि न मिलें तथा समुदाय के सामाजिक जीवन में वे पूरी तरह से भागीदार न बने, तब तक न विकलांगों की जरूरतें पूरी हो सकेगी , न उन्हें उनके अधिकार मिल सकेंगे ।

सामुदायिक विकासपरक संगठनों को उनके सभी व्यूहात्मक कार्यक्षेत्रों में विकलांगों एवं सामान्य लोगों के बीच असमानता दूर करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी है । विकलांगों द्वारा अपने समुदाय में पूर्ण उत्पादक जीवन जीने में अवरोध-स्वरूप बनने वाले गरीबी और सामाजिक बहिष्कार के चक्रों के बारे में जब हम विचार करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि यदि वर्तमान सामुदायिक विकासात्मक कार्यक्रमों में ही विकलांगता और विकलांग लोगों का समावेश किया जा सके तो उन्हें एक ओर धकेले जाने से बचाया जा सकता है । समुदाय - आधारित संगठन और सामुदायिक विकासात्मक संगठन जीवन-निर्वाह की रक्षा और समानता सिद्ध करने के लिए विकलांग लोगों हेतु उनके कार्यक्रमें में सामाजिक विकास और गरीबी - निवारण को अधिक महत्व दे सकते हैं । विकलांग अपने सामुदायिक जीवन

में भागीदार बनें और अधिक स्वतंत्रता एवं आत्म-निर्णय का अधिकार प्राप्त करें, इसके लिए यह जरूरी है ।

विकलांग लोगों के विकास हेतु काम करने के साथ-साथ ऐसे कार्यक्रम विकसित करने में सहायता मिलती है जिनका लाभ वाकई समाज के सबसे कमजोर लोगों तक पहुँचे । विकलांग लोगों के लिए पृथक विकासपरक कार्यक्रम वर्तमान बहिष्कार-भावना को ही अधिक सुदृढ़ बनाता है । तदापि, विकलांगता के अनेक क्षेत्रों में तकनीकी निपुणता की जरूरत है, साथ ही विशिष्ट प्रकार की सेवाएँ उपलब्ध हों, यह भी जरूरी है। जो लोग पुनर्वास के काम में तथा कृत्रिम हाथ-पैर बनाने में निपुण हों, उन लोगों की हमें जरूरत पड़ती ही है । यह जरूरत हमेशा रहेगी । परंतु मनुष्य की मनुष्य के रूप में जरूरत तो दुनिया भर में सभी जगह एक जैसी ही है चाहे कोई विकलांग हो या न हो । आवास, परिवार, प्रेम, शिक्षा, परिवार के सहयोग आदि जरूरतें इसी प्रकार की हैं । अनेक समुदाय-आधारित संगठन इसके लिए काम करते हैं । इस लेख का उद्देश्य ऐसे संगठनों को एक ऐसी मार्गदर्शक रूपरेखा देना है कि वे अपने कार्यक्रमों में विकलांगता और विकलांग लोगों की समस्या का समावेश कैसे करें, ताकि विकलांग लोगों को महत्व और स्वीकृति मिले, उनका सामाजिक समन्वय सिद्ध हो और महत्त्व वित्तीय संसाधन प्राप्त हो सकें । सामुदायिक विकास में एक महत्वपूर्ण विभावना यह है कि अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक पहुँचा जाए और यदि हम विकलांग लोगों तक अपने काम के माध्यम से पहुँचते हैं तभी यह बात सिद्ध हो सकती है ।

विकलांगता संबंधी कार्य में रुचि लेने वाले समुदाय-आधारित संगठनों द्वारा सर्व प्रथम उठाए जाने वाले कदम

आपका संगठन इस समय क्या प्रवृति कर रहा है अथवा करना चाहता है और आपको किस तरह के कितने संसाधन उपलब्ध हैं, इसी पर यह निर्भर करता है । यहाँ एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि इस समय आप जिस परियोजना में काम रहे हैं, उसमें विकलांग लोगों के समावेश की संभावना है अथवा नहीं । नीचे प्रवृत्तिवार विवरण दिया गया है। यह संपूर्ण नहीं है परंतु कहाँ से शुरू किया जाए, इस बारे में आप कुछ सोच सकें, इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको उपयोगी बातें बताई गई हैं । आप जिन क्षेत्रों में काम कर रहे हों, उन पर अधिक ध्यान दें :

जिन प्रवृत्तियों को शामिल किया गया है, वे इस प्रकार हैं :

१. मानवाधिकार
२. जीविका अर्जन
३. शिक्षा
४. ढाँचागत सुविधाएँ
५. स्वास्थ्य और विकलांगता रोकना

१. मानवाधिकार

सभी लोगों को वे मूलभूत अधिकार प्राप्त हैं, जो भारत के संविधान में लिखे हुए हैं । भारत में विकलांग लोगों के लिए अधिकारों के संबंध में एक अलग कानून हैं । विकलांग लोगों को समान अवसर देने के बारे में 'संयुक्त राष्ट्र' (यूनाइटेड नेशन्स) के नियम भी हैं। मूलभूत बात यह याद रखने की है कि सभी लोगों के अधिकार हैं, पर विकलांग लोगों को उनके अधिकार न भोगने दिये जाएँ, ऐसी संभावनाएँ अधिक रहती हैं । यदि हम मानवाधिकार के क्षेत्र में काम कर रहे हों तो हमें विकलांगता और उनकी दुर्बलता के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए । विकास के बारे में अधिकारपरक अभिगम का अर्थ अपना प्रतिनिधित्व करना होता है । विकलांग लोगों के अधिकारों को श्रेष्ठ प्रोत्साहन विकलांग लोग ही दें । यहाँ सबसे पहले उठाए जाने वाले कुछ कदम प्रस्तुत किए गए हैं:

- भारतीय विकलांगता नियम - १९९५ पढ़ें।
- स्थानीय समाज कल्याण विभाग से इसे प्राप्त करें तथा अपने कार्यकर्ताओं को इसकी प्रतियां दें।

- विकलांग लोगों के अधिकारों के बारे में अपने अपने कार्यकर्ताओं को अधिकारपरक समस्याओं के बारे में अपने नियमित प्रशिक्षण के भाग स्वरूप संवेदनशील बनाएँ । विकलांग व्यक्ति को वक्ता के रूप में बुलाएँ । आपके कार्यकर्ता विकलांगों के अधिकारों को समझें, इसके लिए यही श्रेष्ठ मार्ग है ।
- यदि आपके कार्यकर्ता अधिकारों संबंधी समस्याओं को लेकर निपुण होंगे तो वे विकलांगता नियम की मुख्य व्यवस्थाओं के जानकर होंगे ही । परंतु वे शायद इसके क्रियान्वयन हेतु कदम न उठाएँ । कदाचित, आपका संगठन विकलांगों के किसी मंडल या संगठन के साथ मिलकर इस नियम के क्रियान्वयन हेतु काम कर सके ।
- जब आप स्त्री-पुरुष भेदभाव संबंधी समस्या के बारे में कोई कार्यशाला करें तो यह अवश्य देखें कि उसमें स्त्री-पुरुष के अधिकारों का मुद्दा समाविष्ट किया गया है या नहीं । आप मानवाधिकारों, महिलाओं के अधिकारों या बालकों के अधिकारों के विषय में काम कर रहे हों तो विकलांगों के बुनियादी अधिकारों के बारें में अवश्य चर्चा करें। भूमिका स्वरूप इतना काम हो जाने के बाद आपका संगठन विकलांगों को उनके बुनियादी अधिकारों के बारे में जानकारी देने हेतु सशक्त बनेगा।

२. रोजागर / जीविका अर्जन

विकलांगों के लिए अन्य लोगों की अपेक्षा गरीब होने की संभावना अधिक है । उन्हें शिक्षा के लाभ हासिल करने तथा रोजगार प्राप्त करने की संभावना कम है । गरीबी विकलांगता का कारण भी है और परिणाम भी । गरीबी और विकलांगता परस्पर एक-दूसरे को बलवान बनते हैं और कमजोरी व सामाजिक बहिष्कार को बढ़ाने में सहयोग देते हैं । विकलांगों के अधिकारों और जरूरतों को यदि ध्यान में न लाया जाए तो भारत में गरीबी का निवारण न होगा।

रोजगार और आमदनी कमाने के अवसरों की प्राप्ति विकलांगों को समाज में समाहित होने का और उन्हें सक्षम बनाने का एक महत्वपूर्ण घटक है।

अगर आपके काम में धन कमाने की प्रवृत्तियों का समावेश होता हो तो आपका संगठन सामाजिक-बहिष्कार, गरीबी और विकलांगता के विष चक्र को तोड़ने में मदद दे सकता है तथा विकलांग स्वयं

उन्हें और उनके परिवारों को मदद करें तथा समाज में उनका समावेश बढ़ा सके, इसके लिए उन्हें सक्षम बना सकता है । यदि कोई व्यक्ति अपना पेट भर सके तो वह अपने आत्म सम्मान और विकास की संभावनाओं को बढ़ाता है । विवाद और सम्पूर्ण जीवन जीने के अवसर बढ़ जाते हैं । वे लोग फिर परिवार पर अधारित नहीं रहते या परिवार के लिए बोझ नहीं बनते, परंतु समुदाय में पूर्णतया सहभागिता निभाने वाले सदस्य बन जाते हैं।

विकलागों के लिए धन कमाने की प्रवृत्तियाँ बढ़ाने के कदम निम्नानुसार हैं :

- विकलांगों के किसी स्थानीय संगठन से सम्पर्क करें और देखे कि वह किस तरह का प्रशिक्षण देता है । क्या आप में ऐसी निपुणता है कि उसमें हिस्सा ले सकें ? उदाहरण के लिए आपके पास मार्केटिंग का अच्छा अनुभव हो तो आप उसमें अपना सहयोग दे सकते हैं ।
- आपकी योजना में जुड़ने के अवसर आप इस संगठन के सदस्य को दे सकते हैं अथवा सफल अनुभवों का आदान-प्रदान साथ-साथ कर सकते हैं ।
- सहकारी मंडल की रचना करने में आप साथ मिलकर काम कर सकते हैं । अपने संसाधन जोड़कर आप कार्य-विस्तार कर सकते हैं तथा विकलांगो का समन्वय भी साथ-साथ सुधार सकते हैं । आपके संगठन के संसाधन सभी कमजोर समूहों के बीच समान रूप से वितरित हों, इसके लिए आपकी प्रवृत्तियों में विकलांग लोगों के लिए अपने संसाधनों का एक निश्चित प्रतिशत आवंटित कर सकते हैं ।
- रोजगार की कोई प्रवृत्ति किसी समूह में चल रही हो तो देख ले कि उसमें विकलांग है या नहीं । अगर नहीं हैं तो क्यों नही?

अगर स्थानीय विकलांगों को अवसर दिया तो आपको खुशी होगी ना ?

- लघु उद्यम रोजगार और आमदनी उपलब्ध कराते हैं । वे गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने में अथवा गरीबी टालने में सहायता हेतु उपयोगी रहे हैं । अनेक विकलांगों ने अपने आप अपना धंधा चलाने की हिम्मत दिखाई है।
- जब आप इस विषय पर विचार करें तो विकलांगता के बदले सबलता के संदर्भ में सोचें, अर्थात व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, इसके बजाय व्यक्ति क्या कर सकता है, यह सोचें । फिर, यह भी याद रखें की प्रतिभा और कौशल होने के उपरांत प्रत्येक व्यक्ति की भाँति विकलांग व्यक्ति की भी पसंद-नापसंद होती है। उदाहरण के लिए सभी विकलांग महिलाओं को कसीदे का काम करना न भी पसंद हो । व्यक्ति से पूछें कि आपको कौनसा काम करने में मजा आएगा, आपको कौनसा काम अच्छी तरह करना आता है, और उसी तरह आप काम करें । आपका संगठन नए-नए विचार दे सकता है, विश्वास पैदा कर सकता है । आपको यह तय करने की जरूरत नहीं कि लोग जीवन-निर्वाह के लिए क्या करें, पर आप उन्हें उनका ध्येय सिद्ध करने में मदद दे सकते हैं ।

३. शिक्षा

भारत में सिर्फ ५ प्रतिशत विकलांग बालक ही शिक्षा प्राप्त करते हैं । विकलांग लोगों को शिक्षा से वंचित रखा जाता है और उन्हें रोजगार से भी वंचित रखा जाता है । इसी से वे अधिक गरीबी में फँस जाते हैं । गरीबी और विकलांगता के विष चक्र को तोड़ने का एक महत्वपूर्ण साधन है शिक्षा । शिक्षा, कौशल-विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा मानव संसाधनों का विकास समावेश की प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त करता है । क्या आपका संगठन विधिक या अविधिक शिक्षण के क्षेत्र में काम करता है? आपकी स्कूल में विकलांग बालक हैं ? या फिर आपके द्वारा चलने वाले शैक्षिक कार्यक्रमों में विकलांग लोग हैं ? अगर विकलांग बालक स्कूल में न आते हों तो क्या आपको पता है कि वे क्यों नहीं आते ? आपकी स्कूल में आने और शौचालयी सुविधाओं का उपयोग करने में विकलांग बालकों को कोई तकलीफ तो नहीं होती ? विकलांग बालक उपस्थित होते हैं तो शिक्षक खुश होते हैं ? वे आत्मविश्वासी हैं ?

समावेशी - शिक्षण विकास के समावेशी अभिगम का उदाहरण है। विकलांग बालकों की शैक्षिक एवं विकासात्मक जरूरतें मुख्य प्रवाह की शिक्षा व्यवस्था में उनके समावेश से पूरी हो, ऐसी संभावना है। भारत में समावेशी शिक्षण का अर्थ यह होता हैं कि सभी बालकों को सभी तरह की शिक्षा व्यवस्था में समान अधिकार मिलें। शिक्षा का अधिकारपरक अभिगम समावेश परक है न कि विद्यालय में विकलांग बालकों को अलग-थलग करने का ।

भारत में मुख्य प्रवाह के विद्यालय में प्रति १० विकलांग बालकों पर एक विशेष - शिक्षक देने की व्यवस्था है । वे लोग विकलांग बालकों को मुख्य धारा में मिलाने हेतु शिक्षकों की मदद कर सकते हैं । इन विशेष शिक्षकों के पास ऐसे अनेक विचार होते हैं जो शिक्षक को आनंददायी बनाते हैं । विशेष विवरण के लिए अहमदाबाद के अंधजन मंडल अथवा शिक्षा मंत्रालय से सम्पर्क करें । हमेशा याद रखें कि बालक विद्यालय में जा कर पढ़ना-लिखना सीखने से अधिक दूसरी बहुत सी बातें भी सीखते हैं । वे मित्र बनाते हैं और आसपास की दुनिया के बारे में जानते हैं तथा खेल खेलने में आनंद लेते हैं।

आपके शैक्षणिक कार्य में विकलांगता का समावेश करने हेतु सामान्य कदम निम्नानुसार हैं :

- विकलांगों के स्थानीय संगठनों से सम्पर्क साधें । यह देखें कि मुख्य धारा वाली स्कूलों में विकलांग बालकों को प्रविष्ट करने हेतु कैसा सहयोग उपलब्ध है ।
- आपकी स्कूल या शैक्षिक कार्यक्रम में विकलांग बालक हैं या नहीं, यह देखें । यदि हों तो यह देखें कि वे दूसरों के साथ कितने हिल-मिल गए हैं । यदि पुनर्वास की परिस्थिति बराबर हो तो अन्य विकलांग बालक भी विद्यालय में जाएँ, इसके लिए आप इस उदाहरण का अनुकरण कर सकते हैं ।
- यदि आपकी शाला या शैक्षिक कार्यक्रम में विकलांग बालक न हों तो स्कूल न जाने वाले स्थानीय विकलांग बालकों को खोज निकालें । बहुधा विद्यालय जाने वाले अन्य बालक उनको जानते है । विद्यालय न जाने वाले विकलांग बालकों से मिलने का प्रयत्न करें । उनकी पारिवारिक स्थिति को जानें, पता लगाए कि बालक विद्यालय को क्यों नहीं जाते ? कदाचित न जाने के कारणों को परिवार के सदस्य न जानते हों अथवा संभव है

उन्हें बालक को विद्यालय भेजने हेतु पहले किसी मुसीबत का अनुभव हुआ हो । शिक्षकों, विकलांगों के मंडलों या संगठनों और स्वैच्छिक संस्थाओं से चर्चा करके पता लगाएँ कि वे उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं या नहीं । बालक विद्यालय जाते हैं तो कौन-कौन से लाभ होते है, इस पर बल दें । यदि माता-पिता बालकों को तथा परिवारों को होने वाले लाभ समझ लेंगे तो वे लाभ उन्हें होंगे ही ।

- अपनी किन्हीं भी सामाजिक, संगीत या मनोरंजनात्मक प्रवृत्ति में विकलांग बालकों का समावेश करने का प्रयत्न करें । यदि विकलांग बालकों का स्थानीय विद्यालय हो तो शायद आप उसके साथ संयुक्त रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं । उससे बालकों को परस्पर पहचानने का तथा साथ-साथ खेलने का प्रोत्साहन मिलेगा ।

ढाँचागत सुविधाएँ और आवास

जो ठीक से चल नहीं सकते या जिन्हें सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में मुश्किल पड़ती है, उन्हें बड़े-बड़े भाग के सार्वजनिक मकानों का उपयोग करने में मुश्किल रहती है। ऐसे लोगो में छोटे बालकों, महिलाओं, वृद्धों और विकलांग बालकों का समावेश होता है।

जिन्हें व्हील चेयर की जरूरत पड़ती है, ऐसे लोगो को दुकानों, मंदिर तथा स्वास्थ्य-रक्षा केन्द्रों में जाने में बहुत तकलीफ होती है। सार्वजनिक परिवहन के साधनों का उपयोग तो वे कर भी नहीं सकते। जब हम कोई मकान बनवाते हैं तो यह बात ध्यान में रहनी चाहिए कि कमजोर लोग भी वहाँ जा सकते हैं। इस लेख में जो उपाय सुझाए गए हैं उन पर यदि आप ध्यान देंगे तथा विकलांगता धारा की व्यवस्था पर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ संसाधन हों वहाँ सार्वजनिक भवन ऐसे बनाएं जाएं कि दुर्बल लोग भी सहज ही वहाँ प्रवेश पा सके। समतापूर्ण समाज को प्रोत्साहन देने हेतु काम करने वाले संगठन के रूप में हमें विकलांगों का बहिष्कार करने वाले ऐसे अवरोधों का विरोध करना चाहिए। ये अवरोध शारीरिक हैं और मानसिक भी। विकलांग व्यक्ति भवन में प्रवेश न पा सके, यह शारीरिक अवरोध है तथा विकलांग लोगों के बारे में मनोभाव और मान्यताएँ रखना मानसिक अवरोध हैं।

विकलांगता और शिक्षा

दुर्भागयवश स्वतंत्रता के ५० वर्ष बीत जाने के बाद भी लगभग ५० प्रतिशत जनसंख्या निरक्षर है । अतः विकलांगों की साक्षरता की स्थिति के बारे में सहज ही कल्पना की जा सकती है । यद्यपि विकलांगों के बारे में कोइ निश्चित सूचना नहीं मिलती । हमारे पास प्राणियों एवं निर्जीव वस्तुओं के बारे में सूचना है पर विकलांगों के बारे में सूचना नहीं । एक अनुमान के अनुसार भारत में कुल आबादी के १० प्रतिशत लोग विकलांग हैं । एक अन्य अनुमान बताता है कि ५.२१ प्रतिशत विकलांग हैं । सन् १९९१ का एन.एस.एस.ओ. का अनुमान १.९ प्रतिशत का हैं । अगर ५ प्रतिशत आबादी विकलांग मानें तो भी ५ करोड़ लोग देश में विकलांग हैं। उनमें से एक तिहाई बालक बताए जाते हैं । इनमें से मात्र ५ प्रतिशत बालक स्कूल जाते हैं, शेष ९५ प्रतिशत घर में ही रहते हैं।

हमारा संविधान सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात करता है । पर सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ । धारा-४१ विकलांग बालकों की शिक्षा की बात करता हैं । सन् १९९३ का रिहेबिलिटेशन काउन्सिल ऑफ इन्डिया एक्ट भी विकलांग बालकों की शिक्षा की बात करता है । सन् १९९५ का कानून तो विकलांग बालकों के लिए शिक्षा अनिवार्य बनाने की बात करता हैं। एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा सन् १९९३ में किए गए छठे अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण के अनुसार विद्यालय जाने की उम्र वाले १.२५९ करोड़ बालक एक या दूसरे प्रकार की विकलांगता से ग्रसित हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में २७२ और शहरी क्षेत्रों में ६३० विशेष विद्यालय हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये विद्यालय ९४८३ बालकों को और शहरी क्षेत्र में ३७४१९ बालकों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इस तरह विशेष विद्यालयों से मात्र ४७२०२ बालकों को ही शिक्षा मिलती है।

भारत सरकार ने १९८६ को नयी शिक्षा नीति में विकलांग बालकों के लिए समन्वित शिक्षा योजना शुरू की थी । ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे ११४१२ और शहरी क्षेत्रों में ४८८२ विद्यालय हैं। ये विद्यालय क्रमशः ४७४८३ और ८७००८ बालकों अर्थात कुल १,३४,४९१ बालकों को शिक्षा दे रहे हैं। इस प्रकार दोनों विधियों से कुल १.२५९ करोड़ बालकों में से मात्र १,८१,६९३ बालकों को ही शिक्षा मिल रही है, शेष १,२४,०८,३०७ बालक विद्यालयों से बाहर ही हैं। इस प्रकार मात्र १.५ प्रतिशत बालकों तक ही शिक्षा पहुँच रही है।

आंध्र प्रदेश में समावेशी शिक्षण

आंध्र प्रदेश में राज्य सरकार मुख्य धारा के विद्यालयों में विकलांग बालकों को समाविष्ट करने तथा उनकी विशिष्ट जरूरतें पूरी करने हेतु सक्रिय सहयोग दे रही है। 'अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग' (डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमैंट - डी.एफ.आई.डी.) के सहयोग से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) के अधीन ३० से ४० विद्यालयों में विकलांग बालकों के लिए समन्वित शिक्षा कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया है।

सम्पर्क-संसर्ग, सामाजिक-विकास और शारीरिक व्यवहार में जिन बालकों को तकलीफ पड़ती है, उनके स्वास्थ्य की जाँच करवाई जाती है। जाँच के बाद प्रत्येक विकलांग बालक के लिए निष्णात दल के द्वारा एक अलग कार्यक्रम तैयार कराया जाता है। तब शिक्षकों को बालकों की जरूरतें पूरी करने हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। चिकित्सक बालकों को पैरों के सहारे या सुनने के साधन उपलब्ध कराते हैं।

इस परियोजना के द्वारा विकलांग बालकों को शिक्षा प्राप्ति के अवसर प्रदान किए जाते हैं। वे सामान्य बालकों के साथ कक्षा में सहभागी बनते हैं और इस प्रकार मुख्य-धारा के शिक्षण में सम्मिलित होते हैं। इसके दो प्रकार के लाभ होते हैं। विकलांग बालक शिक्षा प्राप्त करते हैं और नकारात्मक पारंपरिक-प्रवृत्तियों और सामाजिक लांछनों के ख्यालों को ललकारते हैं। सामान्य बालक भी अपने साथियों की क्षमताओं और संभावनाओं को देख सकते हैं। विकलांगों के प्रति नकारात्मक मनोवृत्तियों को हम बदलना चाहें तो इसकी शुरूआत बालकों से ही करनी पड़ेगी।

विकलांग लोगों को हमेशा बुनियादी ढांचागत सेवाओं और आवास के संचालन एवं विकास में पूरी तरह से भागीदार बनने के अवसर नहीं मिलते । गुजरात में अनेक समुदाय - आधारित संगठन ढांचागत सेवाओं तथा आवास की परियोजना में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं । सार्वजनिक निर्माण विभाग की मार्गदर्शिका में जो स्थानीय नियमों की रूपरेखा दी गई है, उसे तमाम ढांचागत सेवाओं की परियोजना हेतु मार्गदर्शिका मानना चाहिए ।

सरल उपाय :

- अवरोध-मुक्त वातावरण निर्मित करने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग की मार्गदर्शिका की प्रतियाँ प्राप्त की जाएँ । निर्माण कार्य अगर आपकी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति हो तो यह देख लें कि आपके इंजीनियर या वास्तुविद इन मार्गदर्शिकाओं के चरणों के बारे में जानते हैं ।
- यदि आप नया मकान या तथा आफिस ढूँढ रहे हो तो इस संबंध में विचार कर लें : क्या दरवाजा इतना चौड़ा है कि उसमें व्हील चेयर जा सके ? सीढ़िया चढ़ने-उतरने में कठिनाई तो नहीं? कटहरा है ? विकलांग व्यक्ति की सलाह लें ।
- यदि आपका संगठन सहभागी नगर आयोजन में शामिल हो तो यह देख ले कि उस क्षेत्र के विकलांग लोग सहभागी बनें और आयोजन की बैठकों में उपस्थित रहें आप स्वयं इसकी व्यवस्था कर सकते हैं । अगर किसी को बुलाया ही नहीं जाएगा तो फिर उन्हें बैठकों में उपस्थित होने में संकोच होगा और वे संभव है, आत्मविश्वास न रखें । जब इन बैठकों का आयोजन हो, तब विकलांग लोग उस मकान में आ सकेंगे या नहीं, इस पर जरा गौर कर लें ।
- यदि आप सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण कार्य करते हों, तो विकलांग लोग आसानी से उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं, इसके लिए विकलांग लोगों की ही सलाह लें ।

४. स्वास्थ्य और विकलांगता की रोकथाम?

स्वास्थ्य एक दक्षता वाला क्षेत्र है, लेकिन जहाँ अस्वस्थता विद्यमान हो वहाँ इसकी उपेक्षा कर पाना असंभव है । इसका यह अर्थ नहीं कि प्रत्येक संगठन को स्वास्थ्य रक्षा के क्षेत्र में जिम्मेदारी उठानी चाहिए । वैसे, यदि हम समुदाय में काम कर रहे हों तो हमें इस बात की जानकारी रखनी चाहिए कि हमें किस तरह की स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त हैं ।

विकलांगता के अनेक कारण हैं और इनमें से कई ऐसे हैं कि उन सब को राका जा सकता है । यदि बुनियादी स्वास्थ्य रक्षा की जाए और लोगों में जागृति आ सके, तो यह संभव है । यदि आपका संगठन समुदाय में प्रत्यक्ष रूप में काम करता हो और आप स्वास्थ्य

रक्षा के क्षेत्र में सक्रिय न हों, तब भी आप समुदाय और स्वास्थ्य सेवा या योजनाओं के बीच उपयोगी कड़ी बन सकते हैं । इसके लिए आपको उपलब्ध सेवाओं की जानकारी प्राप्त करनी जरूरी हैं। तभी आप लोगों को विशिष्ट वांछित सेवाएँ उपलब्ध करा सकते हैं । रेफरल सेवाओं के अलावा, यदि आपकी शिक्षण के क्षेत्र में निपुणता है तो आप विकलांगता होने के कारणों के बारे में जागरूकता फैला सकते हैं ।

स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में आपका संगठन समुदाय को उपयोगी सलाह दे सकता है, उससे संबंधित कुछ उपाय यहां दिए गए है ।

- आप जानते हैं कि अस्पताल कहां है ? स्थानीय स्वास्थ्य रक्षा सुविधाओं एवं कार्यकर्ता की सूची बनाएं ताकि आप जरूरत पड़ने पर लोगों को वहां भेजा सकें अथवा लोगों को उनके बारे में जानकारी दे सकें ।
- क्या आप जानते हैं कि विकलांगों के लिए कौन से संगठन सेवाएं प्रदान करते हैं, उनके साथ सम्पर्क स्थापित करें और पता लगाएं कि वे क्या क्या सेवाएं प्रदान करते हैं ।
- क्या स्थानीय लायंस क्लब और रोटरी क्लब कोई सुविधाएं देती हैं? अपनी प्रवृत्तियों के बारे में उन क्लबों को अवगत कराएं । उनसे यह कहकर रखें कि जब वे अपने स्वास्थ्य शिविर लगाएं तब आपको भी सूचित करें ।
- यदि आपका संगठन ऐसे लोगों के बिना काम कर रहा हो, जिनका स्वास्थ्य रक्षा सेवाओं के साथ सीधा सम्पर्क नहीं है और जो पोलियो संबंधी खुराक अपने बालकों को नही देते हों, तो आपको बालकों को खुराक देने जाना है, वरना आप विकासपरक अभिगम से भी बहुत काम कर सकते हैं । यह पता लगाएं कि बालकों को खुराक दी जा रही है या नहीं । आप अपने पास स्वास्थ्य केन्द्र या आंगनबाड़ी कार्यप्रवृत्ति से सम्पर्क साधें तथा टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करें । आप ऐसा प्रयास करें ताकि वे समुदाय के साथ काम करें । आप ऐसी जगह पर एकाध बैठक आयोजित करें, जहां लोग आपको मिल सकें ।

महिलाओं और बालकों के पोषण के लिए भी आप ऐसा ही कर सकते हैं । पोषण भी विकलांग पैदा करने का दूसरा एक महतवपूर्ण

विकलांगों के चिरंतन विकास हेतु बुनियादी सिद्धांत

सामाजिक सुरक्षा

विकलांगों की बुनियादी सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए । विकलांगों को आप अपनी गृह निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं आदि में शामिल करके तथा पुनर्वास सेवाओं एवं सहयोगी प्रवृत्तियों के बारे में उन्हें जानकारी देकर इन्हें प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं ।

पहुँच

शिक्षा, ऋण, सूचना एवं रोजी कमाने के अवसरों समेत सभी विकासपरक कार्यक्रमों में विकलांगों की समान पहुँच होनी चाहिए। हम सभी जैसा जीवन जी रहे हैं, वे सभी बातें विकलांगों को भी प्राप्त होनी चाहिए ।

जागरूकता

आपकी प्रवृत्तियाँ यथासंभव ऐसी हों जिनसे विकलांग लोग अपनी जरूरतों एवं अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें । साथ ही उन्हें इस बारे जागृत होना चाहिए कि उपेक्षा और भेदभावजनक वृत्तियाँ के कैसे परिणाम निकलते हैं ।

प्रभाव

सहभागिता के द्वारा आपकी प्रवृत्तियाँ सम्बन्धी निर्णयों और नीतियों पर विकलांग प्रभाव डाल सकें, इसके लिए उनको समान अवसर मिलना चाहिए ।

नियत्रंण

विकलांग लोगों को अपना प्रभाव डालने और अपने अधिकारों की जागृति को प्रोत्साहन देने हेतु कदम उठाने का हक है । इससे संसाधनों और लाभों के वितरण पर उनका अकुंश बढ़ता है । आपकी वर्तमान व भावी प्रवृत्तियों में विकलांगों का समावेश करके आपका संगठन इन सिद्धांतों को आगे बढ़ा सकता है । विकलांग लोग अपने बारे में बोलना शुरू करे ताकि उनकी मानवाधिकारों की स्थिति मजबूत बने । इसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

कारण है । अतः आपको स्थानीय संगठन के रूप में जिम्मेदारी है कि जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं, उनको स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में पूरी जानकारी मिले ।

विकलांगों के साथ काम करने के लिए आपके संगठन को ध्यान में रखने योग्य मुद्दे

- विकलांगता के बारे में काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं के साथ सम्पर्क करें और देखें कि वे क्या करती हैं । संभव है आप अपने कार्यक्रम में उनके साथ सहयोग कर सकें ।
- विकलांग लोगों को आपने कार्यक्रमों या स्वयंसेवकों के साथ में मदद करने का प्रयत्न करें ।
- अपने स्वयंसेवी समूहों या महिलाओं में समूहों को समझाएं कि वे विकलांगों को अपनी प्रवृतियों में शामिल करें । महिलाओं के बारे में वे जिस समुदाय में काम करती हैं वहां पूछताछ करें और उनसे मिलकर बात करें कि उनकी क्या-क्या जरू रतें हैं । ऐसा कुछ जरूर होगा कि जिसमें आप उनको मदद कर सकें । जैसे कि आप उन्हें साधन या स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर सके । आप उन्हें स्वास्थ्य सेवाए उपलब्ध कराने में सहयोग सिद्ध हो सकें । मुख्य बात यह है कि यथासंभव विकलांग लोगों को साथ लेने का प्रयत्न करें । उनको मित्र बनाएं और समुदाय में जो भी हो रहा हो, उसमें वे पूरी तरह से सहभागी बनें, उनके लिए प्रयास करें ।
- विकलांग लोगों के लिए स्थानीय तरीके से जो सेवाएं प्राप्त हों उन सबकी उन्हें जानकारी प्रदान करें ।
- आप कोई नया मकान लेने की सोचते हों तो ध्यान रखें कि वह विकलांग लागों के लिए सरल हो ।
- यदि आप कानूनी समस्याओं के बारे में परामर्श या मार्गदर्शन देते हों देखें कि आपके कायकर्ता विकलांगता कानून के बारे में तथा विकलांग हेतु ऋण योजना समेत तमाम सेवाओं के बारे में जानें ।
- यदि आप ढाँचागत सुविधाओं या आवास के क्षेत्र में काम करते हों तो केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग की मार्गदशिकाएं प्राप्त करें और उनका पालन करें ।

विकास में सभी क्षेत्रों की सूचनाएं पता करना एक महत्वपूर्ण कुंजी है, जो सामुदायिक विकासात्मक संगठनों को आयोजन करने तथा नीति पर प्रभाव डालने में मदद देती है । प्रगति मापने के लिए, नीतियॉ बनाने के लिए, प्रभावशाली आयोजन करने के लिए हम सभी के लिए वांछित एवं पर्याप्त सूचनाओं की प्राप्ति अनिवार्य है। मुख्य धारा के विकास में विकलांगता के सवालों का समावेश करने से उत्तम भरोसे को पहचानने तथा अन्य सामुदायिक विकासपरक संगठन इन कार्यों का अनुसरण करें, इसके लिए उत्तम देख रेख व्यवस्था विकलित करना जरूरी है । यदि इस समय आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था न हो तो आप अन्य सामुदायिक विकासात्मक संगठनों, स्वैच्छिक संस्थाओं या अंतरराष्ट्रीय स्वैच्छिक संस्थाओं से सहायता प्राप्त करें, जो आपको ऐसी व्यवस्था बनाने में मदद दें। इससे आपके संगठन में तथा अन्यत्र भी उत्तम तरीके का उपयोग संभव हो सके ।

मानव विकास और अपंगता उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया

अपंगता उत्पन्न करने वाले घटकों को अधिक अच्छे ढंग से समझना सभी व्यक्तियों के लिए रोचक होगा कि यह किस तरह से विकसित होती है । चित्र नं. १ में मानव विकास का मॉडल दिया गया है । वह सरल है और सब पर लागू होता है । वह व्यक्तिगत यांत्रिक घटकों और बाह्य पर्यावरण कारकों दोनों के लक्ष्य में सर्वत्र है । इसकी व्याख्याएं इस प्रकार की जा सकती हैं

व्यक्तिगत घटक : ये व्यक्ति के लक्षण हैं : उम्र, स्त्री या पुरुष, सामाजिक सांस्कृतिक पहचान ।

पर्यावरणीय घटक : ये मौलिक या सामाजिक - सांस्कृतिक हो सकते है । इन्हें सामाजिक संगठन और संदर्भ तय करते हैं । उदाहरणार्थ कच्छ के रण में रहने वाली घुमंतू जातियां

जीवन की आदतें : जीवन की आदत अर्थात् रोजगारी की घरेलू प्रवृत्ति अथवा जो व्यक्ति के सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के द्वारा पहचानी जाती है । यह उम्र, जाति एवं खेती, पशुपालन इत्यादि सामाजिक - सांस्कृतिक पहचान द्वारा तय होती है ।

अपंगता सर्जक प्रक्रियाएं

आगे पढ़ने से पूर्व चित्र नं. १ और चित्र नं. २ का देखें और खोज निकालें कि इन दोनों के बीच क्या फर्क है ।

चित्र नं. १
मानव विकास का मॉडल

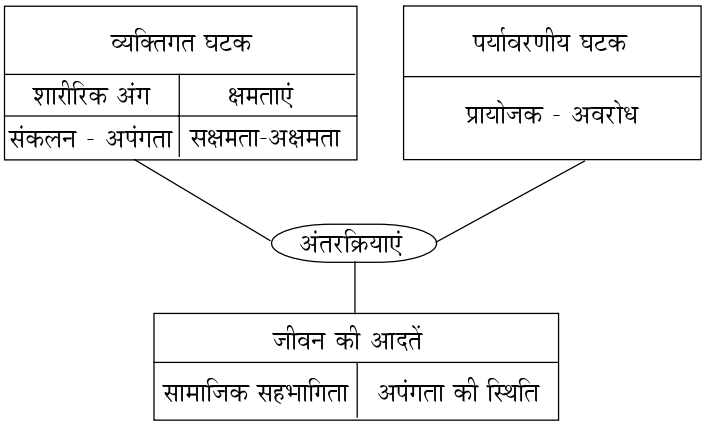

स्त्रोत : हैंडिकेप क्रियेशन प्रोसेस, फुजीरोलास और साथी, १९९७

यदि हम आधार के बतौर विकलांग के मॉडल का उपयोग करें तो देख सकते हैं कि अपंगता करने वाली प्रक्रिया मानवविकास के मॉडल में होने वाला बदलाव ही है । क्या आपने यह अंतर देखा?

दोनों मॉडल के बीच का अंतर मात्र जोखिम के घटक की उपस्थिति से संबंधित है । याने विकलांग - विहीन और विकलांगता धारण करने वाले व्यक्ति के बीच अंतर यही है कि विकलांग व्यक्ति के लिए जोखिम घटक बाधक हैं, जिन्होंने विकलांगता पैदा की है और बाद में अपंगता को परिस्थिति निर्मित की है । जोखिम का घटक एक ऐसा तत्व है कि जो व्यक्ति या उस पर्यावरण के पर लागू होता है और रोग, आघत व अन्य किसी प्रकार की विकृति का कारण बनता है तथा वह व्यक्ति के स्वास्थ्य और विकास पर असर डालता है । उदाहरणार्थ, विषाणुयुक्त पानी, जो पोलियो माइलाइटिस उत्पन्न करता है, अथवा भूकंप का प्रतिरोध न कर पाने वाला मकान । कारण यह है कि यह जोखिम का घटक है जो रोग, आघात या अन्य विकृति को जन्म देता है, जैसे पानी पीने पर पोलियो माइलाइटिस हो जाएगा और भूकंप आएगा तो वैसा घर ढह जाएगा ।

महत्व की बात यह है कि किसी भी व्यक्ति को विकृति, आघात या उसके कारण हुए निदान के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए उदाहरणार्थ एक व्यक्ति को पोलियो है या उस व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी पर चोट लगी है । निदान की सूचना उपयोगी है लेकिन उससे यह पता नहीं लगता कि हमारे आंतरिक शारीरिक ढांचों और कार्यों का क्या हुआ है । इसके उपरांत, निदान से व्यक्ति की क्षमता के स्तर तथा अपने जीवन की आदतों पर उसके असर को जाना नहीं जा सकता।

शरीर की आंगिक व्यवस्था का अर्थ यह है कि शरीर के सभी भाग उसमें हैं और आप जिन्हें देखते हैं या नहीं देखते, उन सभी अंगों का समावेश है । हमारा शरीर एकदम सरल तरीके से चलने वाली मशीन है और सारे अंग साथ मिलकर काम करें तभी यह श्रेष्ठता से दायित्व निभाता है । यहां संकलन शब्द का अर्थ यही है कि यह व्यवस्था या तंत्र उत्तम तरीके से काम करता है । इसके विपरीत अपंगता का अर्थ यह है कि यह व्यवस्था निम्न तरीके से काम करती हैं । उसमें बदलाव होता हैा शरीर के अंगों की काम करने

चित्र नं. २
अपंगता-सर्जक-प्रक्रिया

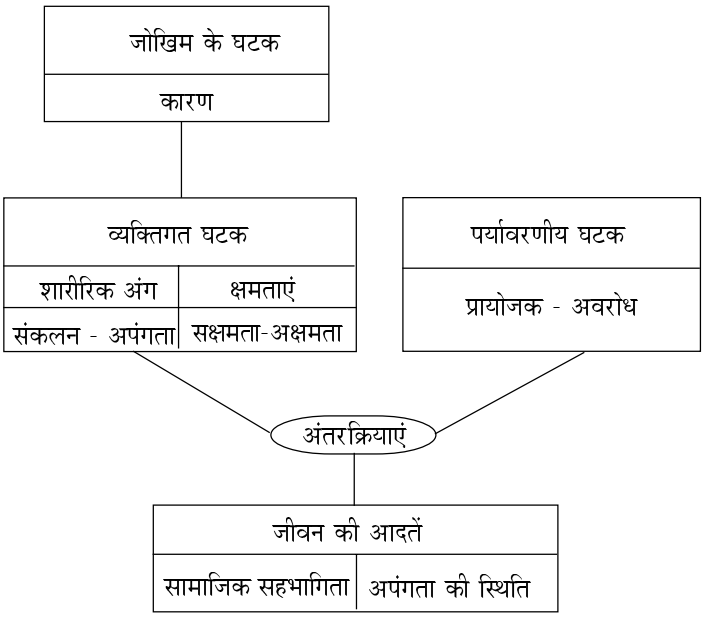

स्त्रोत : हैंडिकेप क्रियेशन प्रोसेस, फुजीरोलास और साथी, १९९७

की मात्रा सा सीधा प्रभाव व्यक्ति की क्षमता पर पड़ता है और उससे उसकी मानसिक अथवा शारीरिक प्रवृत्तियां करने की संभावना पर विपरीत प्रभाव पड़ता है ।

याने जब हम व्यक्ति के काम पर दृष्टि डालते हैं जो उसकी इष्टतम क्षमता से विकलांगता तक के संदर्भ में विचार करते हैं । यह व्यक्ति के पर्यावरण को ध्यान में नहीं लेता। व्यक्ति का वास्तविक जीनवलक्षी पर्यावरण, भावनात्मक और सामाजिक-सांस्कृतिक है और यह व्यक्ति क्या करता है या उसके जीवन की आदतें क्या हैं। इनमें सहायक या अवरोधक बनता है । अपंगता की स्थिति याने व्यक्ति अपने जीवन में काम न कर सके । इसमें व्यक्तिगत घटकों में अपंगता, अक्षमता और अन्य व्यक्तिगत लक्षणों का समावेश होता है । जबकि पर्यावणीय घटकों में दो प्रकार के घटक हैं। एक, सहायक घटक, अर्थात विधायक अभिगम, अवरोध मुक्त पर्यावरण आदि । दूसरे अवरोधक घटक अर्थात नकारात्मक अभिगम, कदम आदि ।

मेरूदंड की चोट में उपयोग

चित्र नं. ३ में भूकंप के बाद मेरुदंड की चोटवाली महिलाओं को अपंगता उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया और अंपगता संबंधी वैश्विक अभिगम का उदाहरण दिया गया है । यहां हम अपंगता की ऐसी स्थिति देखते हैं जो उनके घटको का नतीजा है और जिसमें मेरुदंड की चोट एक महत्वपूर्ण घटक है । यहां अभिगम यह है कि हैंडिकेप इन्टरनेशनल व्यक्ति की क्षमता वापस लैटाने के लिए काम करती है ताकि विकलांगता का प्रभाव कम हो । यह उनके पर्यावरण के बारे में भी काम करते है ताकि वह उसे उनकी क्षमताओं के साथ स्वीकार करे । महिलाओं की सामाजिक जरूरतों के अलावा उनके पुनर्वास की सभी जरूरतों के प्रति प्रभावी तरीके से ध्यान देते हुए समुदाय के स्तर पर बहुशास्त्रीय अभिगम की जरूरत है ताकि महिला अपने समाज में सामाजिक-सांस्कृतिक और बाद में आर्थिक जीवन में सम्पूर्ण रूप से सहभागी हो सके । उचित प्रशिक्षण देकर सामुदायिक कार्यकर्ता को फिजियोथरेपिस्ट की भूमिका सौंपी जा सकती है। फिजियोथेरेपिस्ट की भूमिका मेरुदंड की चोट वाली महिला की क्षमता के क्षेत्र में काम आएगी कि जिससे शारीरिक खामियां और काम करने की खामियों में यथा संभव सुधार हो, उनके प्रभावों में कमी आए । थेरेपिस्ट के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह महिला को भूतकाल के तमाम वैयक्तिक एवं कौटुम्बिक विवरणों को जाने, भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक सूचनाएं एकत्रित करे, लकवे का क्लिनिकल चित्र स्पष्ट करे, गौण न्यूनता का निश्चय करे, उसके परिवार की योजनाओं, अपेक्षाओं तथा मध्यम व अल्प अवधि को जरूरतें स्पष्ट करे । साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि महिला और उसका परिवार इलाज के उद्देश्यों, हितों एवं अवरोधों में जानकारी रखें तथा वे निर्णय प्रक्रिया में शामिल हों ।

महिला को आर्थोटिक साधन उपलब्ध कराए जाएं तो वह चलने फिरने में यथासंभव अधिक स्वतंत्र हो जाएगी । आर्थोटिक साधन और व्हील चेयर हेतु बहुत से टेक्निकल और टेक्नोलोजीकल समाधान ढूंढे जा सकते हैं । कुछ हद तक निर्णय इस पर निर्भर करता है कि स्थानीय स्तर पर क्या-क्या उपलब्ध है और कितने

चित्र नं. ३

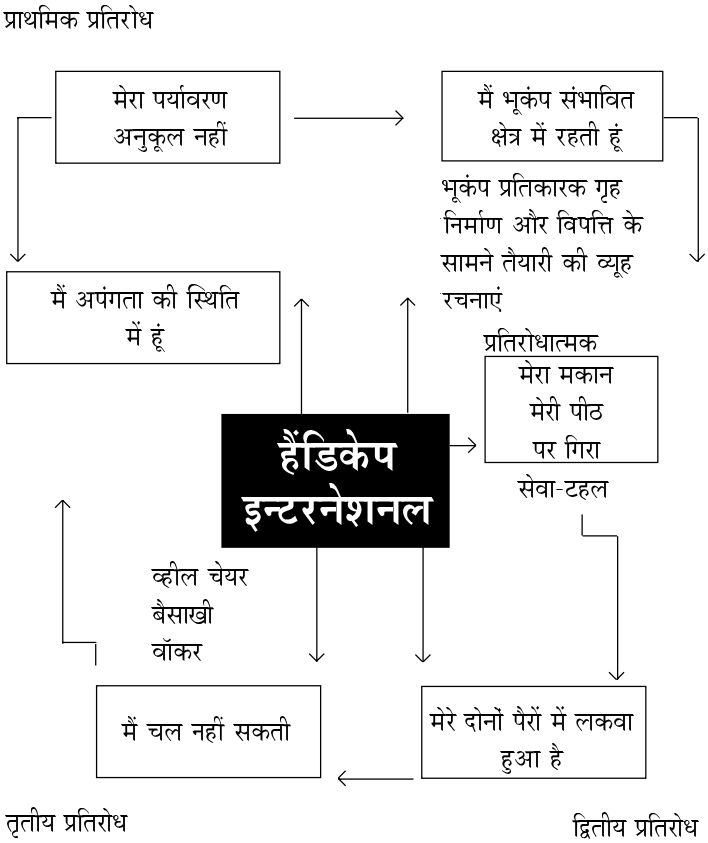

मेरुदंड की चोट वाली महिला और अपंगतासर्जक प्रक्रिया तथा वैश्विक अभिगम

मानव-संसाधन प्राप्त हैं । अर्थात समुदाय के अंदर और बाहर दोनों तरह से उचित चयन करने में कौन मददगार है ? व्हील चेयर और आर्थोटिक्स इत्यादि के संबंध में अंतिम निर्णय डॉक्टरी, सामाजिक - आर्थिक तथा टेक्नीकल उदेश्यों के महिलाओं की जरूरतों, इच्छाओं और सामाजिक व सांस्कृतिक पर्यावरण के संदर्भ में तलस्पर्शी विश्लेषण के आधार पर करना चाहिए ।

अभी हमने पूरी बात नहीं की । महिलाएं यथा संभव श्रेष्ठ प्रकार की शारीरिक चिकित्सा ले सकती हैं और अपनी शारीरिक जानकारी के अनुसार व्हील चेयर व अन्य साधनों का उपयोग कर सकती हैं। यदि मलबा न हटाया गया हो और स्त्रियों को यदि घर, स्वास्थ्य केन्द्र या बैंकों आदि की तरफ जाना हो और वे उन भवनों की ओर न जा सकें तो भला वे गौरव के साथ किस तरह आ-जा सकेंगी और किस तरह समाज में सक्रिय रूप से भागीदार हो सकेंगी ? साथ ही, यदि सभी लोग स्त्रियों की विकलांगता को तो देख रहे हों, उनकी क्षमताओं पर गौर नहीं कर रहे हों तो फिर उनकी शक्ति का पूर्णत: उपयोग कैसे किया जा सकेगा ? अवरोध उत्पन्न करने वाला वातावरण बदला जाना चाहिए और अनुकूलता स्थापित करने वाला पर्यावरण बदलना चाहिए और अनुकूलता स्थापित करते – पर्यावरण बनाया जाना चाहिए । इसका अर्थ मात्र भौतिक वातावरण बदलना ही नहीं है, वरना विकलांगों के प्रति हमारी मनोवृत्ति को बदलना भी है । यह वैश्विक अभिगम महिलाओं की विविध जरूरतों को ध्यान में लेना है, उनकी विशिष्ट जरूरतों को सम्मान देना है । साथ ही विकासपरक प्रक्रिया के क्रियान्वयन हेतु समूह को सामान्य जातियों पर भी ध्यान देता है । यह एक सुसंगत अभिगम है कि जो व्यक्ति की अधिकांश क्षमताओं को स्वयं उसके लिए, उसके और समुदाय में उजागर करता है । समुदाय में पुनर्वास किस तरह संभव बनता है, इसे समझने के लिए नीला बहन की केस स्टडी को देखें ।

समुदाय में नीला बहन के पुनर्वास की प्रक्रिया

यह केस-स्टडी विविध अवधारणाओं एवं व्यावहारिक विचारों का उदाहरण में समझाती है । यह कच्छ में जनवरी २००१ में आए भूकंप में चोटग्रस्त नीला बहन नामक महिला की कहानी है । यहां बॉक्स में जो लिखा गया है वह नीला बहन से संबंधित नहीं है वरन् परिस्थिति को समझते हुए उससे पाठकों को भूमिका के रूप में जानकारी प्राप्त होती है । नीला बहन २० वर्षों की है। वह अपने परिवार के साथ गांव में रहती है । लिखना-पढ़ना नहीं जानती । वह अनुसूचित जाति की है और अविवाहित है ।

मेरुरज्जु क्या है?

हमारी पीठ में अस्थियों का स्तंभ होता है, जिसे मेरुदंड कहा जाता है । मेरुदंड के बीच से जो गुजरता है उसे मेरुरज्जु कहते हैं । वह ज्ञानतंतुओं का झुंड होता है और वह शरीर में संचार व्यवस्था के बतौर काम करता है । जब मेरुरज्जु पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होता है तो शरीर के कुछ भाग हिलडुल नहीं सकते और चेतना विहीन हो जाते हैं, क्योंकि संदेशों का प्रवाह मष्तिष्क या शरीर के अन्य भागों तक नहीं पहुँचता ।

बहुधा मेरुरज्जु की चोट से ग्रस्त व्यक्ति पहले जिस सामान्य ढंग से चल सकता था, उस तरह नहीं चल पाता । ऐसे व्यक्ति को चलने फिरने के लिए व्हील चेयर का उपयोग करना पड़ता है । पेशाब करने के लिए उसे केथेटर का उपयोग करना पड़ता है और मल स्वंय बाहर निकालना पडता है । बहुधा वह शौच जाते समय अकुंश नहीं रख सकता, कब्ज हो जाती है और दबाव लगता है।

भूकंप के दैरान मकान के ढह जाने पर नीला बहन उसके नीचे फंस गई । उसकी पीठ का मेरुदंड टूट गया । उसे अहमदाबाद के अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसका ऑपरेशन हुआ । नीला बहन ने अस्पताल में रहते हुए जो समय बिताया, उस अवधि में वह ठीक हो गई और सारे काम अपने आप करना सीखने लगी । आपरेशन का घाव भी ठीक हो गया और उसे पहनने के लिए एक पट्टा दिया गया । जिससे पीठ हिले नहीं और मेरुदंड एकदम ठीक हो जाए । पीठ में लगी चोट ने नीला बहन के मेरुदंड के ज्ञानतंतुओं को नुकसान पहुंचाया था । वह अपने पैरों को बराबर हिलाडुला नहीं सकती थी, उनमें चेतनता भी नहीं थी और वह चल भी नहीं सकती थी । उसे लगा कि नर्स की मदद के बिना वह शौच भी नहीं जा सकेगी थी क्योंकि मेरुदंड की चोट के कारण मूत्राशय और आंतों को नियंत्रित करने वाले ज्ञानतंतुओं को नुकसान पहुंचा था ।

नीला बहन को अप्रैल माह में अस्पताल से घर भेज दिया गया था। वह अपने गांव में एक अस्पताल में बिस्तर पर पड़ी रही थी, क्योंकि उसका घर भूंकप में नष्ट हो चुका था । उसकी मां उसकी पूरी देखभाल करती थी उसे नहलाती, कपड़े पहनाती, पेशाब कराती, शौच कराती, दिन भर वह बिस्तर में ही लेटी रहती थी । अस्पताल से उसे जो बैसाखियाँ दी गई थी वे टूट गई थी, उसने गरम पानी में पैर रखने का प्रयास किया था जिससे पैरों पर बड़े-बड़े फफोले हो गए थे । पैरों में चेनता न रहने के कारण उसे पता नहीं लगा कि पानी कितना गरम था, और इस कारण उसकी चमड़ी बहुत जल गई थी । पूरा परिवार निराश हो गया था और उसे लग रहा था कि हालत बहुत खराब है ।

हैंडिकेप इन्टरनेशनल के फिजियोथेरापिस्ट ने नीला बहन को बिस्तर में पड़े देखा । पिछले कई दिनों से वह लेटी ही रहती थी । अस्पताल में तो उसकी हालत ठीक थी, पर घर जाने और गरम पानी से पैर जल जाने के बाद हालत बिगड गई थी । वह चल भी नहीं सकती थी, पूरी तरह से परिवार पर ही आधारित रहती थी । परिवार में सभी लोगों के चेहरे गमगीन हो गए थे । नीला बहन जिस गांव में रहती थी, वहां एक सहयोगी समुदाय-आधारित संगठन काम करता था । उसका वहां केन्द्र था और दो स्वैच्छिक सामुदायिक कार्यकर्ता गांव में कमजोर लोगों की देखभाल करते थे । उन्होंने गांव के दलित मोहल्ले में ही अपना केन्द्र रखा था, ताकि समुदाय के लोग उनकी सेवाओं का आसानी से लाभ ले सकें । ऐक्शन ऐड के पैसों से चलने वाले इस कार्यक्रम का उदेश्य भी यही था । हैंडिकेप इन्टरनेशनल के कार्यकर्ता ने इस केन्द्र से संपर्क किया और स्वंयसेवकों को नीला बहन तथा उनके परिवार को दिखाने के लिए ले आए। इन्होंने दोपहर का नीला बहन के परिवार तथा

सामुदायिक कार्यकर्ता के साथ कुछ घंटे बिताए । यह समझने के लिए कि नीला बहन क्या करने की स्थिति में है । उन्होंने

काफी समय दिया और उस पर अपना ध्यान केन्द्रित किया । वह स्वयं नहा सकती थी, खाना खा सकती थी, इन कामों में उसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती थी । उन्होंने और नीला बहन के पिता ने बैसाखियों को काम में लिया और उसके लिए साड़ी का उपयोग किया । परिवार के सदस्यों ने देखा कि नीला बहन खड़ी रहने की कोशिश करती थी, पर कुछ सेकंड ही खड़ी रह सकती थी। उसे मदद की बहुत जरूरत पड़ती थी, क्योंकि उसके हाथ बहुत कमजोर हो गए थे, फिर काफी समय से वह लेटी ही रहती थी, इस कारण से शरीर सुस्त पड़ गया था । फिजियोथेरेपिस्ट ने सलाह दी कि दो समानांतर बैसाखियां बनवाई जाएं ताकि नीला बहन चलने का प्रयास कर सके । उन लोगों ने बताया कि वे इतने गरीब है कि लकड़ी भी नहीं खरीद सकती । उन्हें कितना ही समझाया पर वे यह प्रयत्न करने को तैयार नहीं थे तब यह बात आई-गई हो गई । नीला बहन की मां बिलकुल बातचीत नहीं करती । उसने दूरी रखना शुरू कर दिया ।

नीला बहन की परिस्थिति के संबंध में फिजियोथरेपिस्ट ने निम्न बाते सुझाई

- उसे पैरों के फफोलों की मलम-पट्टी के लिए डॉक्टरी सेवा की जरूरत थी ।
- वह अपने सारे काम खुद कर सके, इसके लिए उसे शारीरिक पुनर्वास की जरूरत थी । बिस्तर में लेट सके , बिस्तर से उठ सके और स्वयं कपड़े पहन सके इत्यादि..
- उसके परिवार को सामाजिक सहयोग की जरूरत थी तथा व्यावहारिक सहायता जरूरत थी ताकि वे उसकी देखभाल कर सकें।

- नीला बहन को सहयोग और साथी की जरूरत थी ।
- वातावरण के संदर्भ में भी कई व्यावहारिक बातें करनी थी । नीला बहन अच्छे गद्दे पर लेटें, समानांतर बैसाखिया बनें, व्हील चेयर पर फिरने जैसी व्यवस्था हो, इत्यादि ।
- परिवार का थोड़ा बोझ समुदाय वहन करे, इसके लिए उसे जोड़ना जरूरी था ताकि उन्हें अधिक मदद मिल सके ।
- धीमे-धीमे नीला बहन अपनी देखभाल खुद करने लगी और अपने आसपास की सभी बातों में सहभागी बने, उसे ऐसा करना चाहिए। उसके लिए समग्र वातावरण में बहुत कुछ किए जाने की जरूरत थी ।

नीला बहन की समस्या अनेक घटकों पर निर्भर थी ताकि वैसा ही हल निकले, अतः अनेक लोगों को उसमें शामिल करने की जरूरत थी । फोड़ों के उपचार के लिए ड्रेसिंग किया गया और उन लोगों ने नीला बहन की मां और चाची को भी फोड़ों को साफ-सफाई करना सिखा दिया, ड्रेसिंग करने का तरीका सिखा दिया ताकि फोड़ों के ठीक होने की प्रक्रिया तेज हो । नीला बहन की बहुत सी कसरतें सिखाई गई की जिनसे वह फिर से ताकत हासिल कर सके। वह अपने आप खाना खाए और खाने के लिए बिस्तर से बाहर बैठे । क्योंकि जो लोग बिस्तर में खाना खाते हैं उनकी कम खाने की वृत्ति रहती है। सामुदायिक कार्यकर्ताओं ने लोगों को इकट्ठा करके गांव के रास्तों को साफ करना सिखाया।

अगले सप्ताह फिजियोथेरेपिस्ट वापिस आए और सामुदायिक कार्य-कर्ताओं को निर्देश दिया गया कि वे नीला बहन के घर जा कर

मेरुरज्जु की चोट

सामान्यतया मेरुरज्जु की चोट-ग्रस्त व्यक्ति को अपनी चमड़ी का ध्यान रख पाना बहुत मुश्किल होता है । उसकी चमड़ी बहुत नाजुक हो जाती है । क्योंकि रक्त का परिभ्रमण बराबर नहीं हो पाता और ज्ञानतंतु काम नहीं करते । और अगर आपको चेतनता ही न हो तो नुकसान आसानी से हो सकता है । अगर आपको मेरुरज्जु की चोट लगी हो तो आपके फोड़े उभरने का जोखिम रहता है । फोड़े वहीं होते हैं जहां टिश्यू मर गए हों । जब चमड़ी पर लगातार दबाव आए तभी फोड़े उभरते हैं । फोड़े संदूषित हो सकते हैं और वे गहर हो सकते हैं । अगर भली भांति ध्यान न रखा जाए तो जान का खतरा हो जाता है। एक बार फोड़े हो जाने पर उनका अच्छा हो पाना बहुत मुश्किल होता है । कई बार तो बहुत ध्यान देने के बावजूद भी उनके ठीक होने में एक वर्ष लग जाता है ।

उनसे रोजाना सम्पर्क किया करें । वे जो सामुदायिक गृह-निर्माण कार्य करते थे, उसमें नीला बहन को प्राथमिकता देने की बात कही। उससे अगले सप्ताह जब वे वापिस लोटे, तो लकड़ी के कबाड़ में से समानांतर बैसाखियां बनवा दी गई थी और नीला बहन दिन में अनेक बार उनसे चल रही थी । सामुदायिक कार्यकर्ताओं ने नीला बहन के पिता की लकड़ी ढूंढने में मदद की और उन्होंने लकड़ी के पट्टे इकट्ठे किए । नीला बहन अब काफी ठीक दिखती थी । जब फियिजोथेरापिस्ट आए, तब वह बिस्तर में ही थी । वह खाते-खाते बातें कर रही थी । उसकी मां अभी भी उसे सभी बातों में मदद देती थी और बहुत कम बोलती थी । पर वह फोड़ों पर रोजाना ड्रेसिंग करती थी । सभी फोड़े अब ठीक हो रहे थे।

सामुदायिक कार्यकर्ता उसके परिवार को अच्छी तरह से समझाने लगे थे । नीला बहन थोड़ी और अच्छी हो जाएं तो वे लोग उसको अपने केन्द्र पर ले जाना चाहते थे ताकि वह वहां बालकों की देख भाल कर सके ।

थोड़े दिनों में ही नीला बहन का घर गांव में मध्य में ही तैयार हो गया - ऐसी जगह पर कि जहां से दिन भर लोग आते - जाते रहते हैं । गांव के अन्य लोगों से बातचीत करते पर उसका विश्वास

बढ़ता जा रहा था । उसने अपनी शारीरिक ताकात बढ़ाई और अब वह व्हील चेयर पर बहुत कुछ कर सकती थी । आसपास के लोगों ने भी जमीन इतनी चिकनी और सपाट बना दी कि वह आसानी से घूम-फिर सके । उसके पैरों में फोड़ों को मिटने में देर तो लगी, पर धीमे धीमे उनमें सुधार आ रहा था । नीला बहन को भी सामुदायिक कार्यकर्ता के साथ केन्द्र मे जाकर लोगों से बातें करना अच्छा लगता था । वह अपने आप व्हील चेयर में वहां जा सकती थी। अब उसके हाथ मजबूत हो गए थे । वह सभी कसरतें करती थी, इस कारण वह अपने आप सारे काम करने लगी ।

उसकी मां तो बहुत खुश थी । वह अब खेत में काम करने जा सकती थी, क्योकि नीला खुद अपनी देखभाल कर सकती थी । परिवार को अब बहुत राहत मिल गई थी क्योंकि परिवार के सभी लोग अब रोजी कमाने जा सकते थे ।

सामुदायिक कार्यकर्ता अब गांव में रोजी कमाने की प्रवृत्ति शुरू करने का आयोजन कर रहे थे और नीला बहन उनमें शामिल होने के लिए बहुत आतुर थी । वे लोग इस समय थोड़ा कसीदाकारी का काम कर रहे हैं और थोड़ा पैसा कमाना चाहते हैं । समुदाय आधारित संगठन ने एक महिला समूह बनाया है जो हर सप्ताह आयोजन करने के लिए मिलता है । नीला बहन उसकी सभी बैठकों में अब उपस्थित रहती है । वह व्हील चेयर पर आती है । जमीन पर बैठती है और अन्य सभी महिलाओं के साथ बातचीत करती है ।

नीला बहन और उसके परिवार का भविष्य अब उज्जवल दिखता है । वह चल - फिर नहीं सकती पर अपनी व्हील चेयर में स्वतंत्र रूप से हर जगह घूम फिर लेती है । समुदाय में वह अच्छी तरह से घुल-मिल गई है और उसका परिवार खुश है । मात्र शारीरिक पुनर्वास से यह हासिल नहीं हुआ होता । किसी विशिष्ट अस्पताल जाने से भी यह नहीं हो पाता । अगर वह वहां जाती, तब भी उसकी देखभाल हेतु जरूरी घटक बदले नहीं होते । उसके आसपास का भौतिक वातावरण बदला है, आसपास के लोगों की वृत्ति बदली है, स्वयं के बारे में नीला बहन के अपने विचार बदले हैं, तभी तो आज वह सम्पूर्ण और सक्रिय जीवन जी रही है ।

भारत की जनगणना और विकलांगता

आपने पूववर्ती भाग में देखा होगा कि विपत्ति की स्थिति में विकलांगता का सामना करने में एक बाधक मुसीबत सूचना का अभाव और भूकंप के बाद विकलांग लोगों को ढूंढ निकालने में आने वाली मुसीबत है । यह समस्या सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं है ।

भारत में हमें वास्तव में यह पता नहीं है कि कितने लोग विकलांग हैं । सामान्यतया यह कहा जाता है कि जनसंख्या के पांच से छह प्रतिशत लोग विकलांग हैं । यह नेशनल सेम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन (एन.एस.एस.ओ.) के अनुमान पर आधारित आंकड़ा है । इसका अर्थ यह है कि यह तो समग्र का प्रतिनिधित्व करता है । पिछले १२० वर्षों में भारत में नियमित रूप से जनगणना होती है । यह एक हकीकत होते हुए भी विकलांग लोगों की गणना कभी नहीं हुई। परिणामतः भारत में कितने लोग विकलांग है, यह जाना नहीं जा सकता । अनेक संस्थाओं की मांग पर भारत सरकार ने २००१ की जनगणना में विकलांगों का समावेश किया है । अब हम यह देखेंगें कि किस तरह जनगणना हुई और विकलांग लोगों पर उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है और उसकी संभावित सीमाएं क्या हैं ।

जन गणना और उसका उद्देश्य

सीधी-सादी भाषा में कहें तो यह लोगों के सिरों को गणना है । देश का एक-एक व्यक्ति इस गणना में समाहित किया जाता है और सभी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति की बुनियादी सूचनाएं इसमें इकट्ठी की जाती हैं । भारत विश्व के उन थोड़े से देशों में से एक है जो एकाध सदी से नियमित रूप से जनगणना आयोजित करता है । पहली जनगणना सन १८७२ में हई थी । इस प्रकार २००१ की जनगणना १४वीं और स्वंत्रता के बाद की छठी है । जनगणना सिर्फ देश की आबादी के निश्चित आंकड़े ही नहीं रखती, वरन् यह वृद्धि और विकास मापने का एक साधन भी है । सरकारी या संस्थागत कार्यक्रम, नीति या आयोजन हेतु जनगणना के आंकड़ो का महत्व है ।

जन गणना किस तरह की जाती है?

हर दसवें वर्ष जनगणना की जाती है । यह शुरू हो उससे तीन वर्ष पहले से ही उसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं । जनगणना के

विविध चरणों के बारे में इस साथ वाले बॉक्स में जानकारी दी गई है । जनगणना करने वालों को देश के प्रत्येक कोने से चुना जाता है और उन्हें यह काम शुरू करने से एक वर्ष पहले ही प्रशिक्षण दिया जाता है । वे लोग सत्य एवं सुसंगत सूचनाएं सम्पूर्ण देश से एकत्र करें यही इस प्रशिक्षण का उद्देशय होता है । कैसे सवाल पूछे जाएं, किस तरह पूछे जाएं और उत्तर किस तरह दर्ज किए जाएं, यह उन्हें सिखाया जाता है ।

वे घर-घर जाते हैं और उम्र, शिक्षा, आमदनी आदि सूचनाए इकट्ठी करते हैं और इन तथ्यों को दी गई प्रश्नावली में दर्ज करते हैं । सही, विश्वसनीय सूचना अनिवार्य है । जनगणना करने वालों और जनता दोनों को यह बात ध्यान में रखने की है ।

सही सूचना किस लिए ?

सच्ची सूचना देश को स्थिति का सच्चा चित्र प्रस्तुत करती है । यह सामाजिक-आर्थिक विकास और आबादी की वृद्धि के बारे में सूचना देती है । जनगणना की सूचना राज्य और राज्य से इतर संगठनों के लिए सूचना का स्थायी स्त्रोत है, जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक कार्यक्रम तथा नीतियां बनाते है । भारत में इनका सबसे आर्थिक दृष्टिगोचर होने वाला उदाहरण यह है कि आबादी - नियंत्रण संबंधी योजनाएं इनके आधार पर निर्मित होती है । जनगणना के आंकड़ों का विश्लेषण करके ही भारत सरकार जनसंख्या विस्फोट का सामना करने संबंधी व्यूह रचनाएं निर्मित करती है, क्योंकि भारत की प्रगति के लिए इनका उपयोग मूलभूत तरीके से महत्व रखता है ।

जनगणना में विकलांगों के समावेश से उन्हें कैसे मदद मिलती है ?

ऊपर लिखे अनुसार आज भी कोई यह नहीं जानता कि भारत में कितने लोग विकलांग हैं । सन २००१ की जनगणना के परिणाम पहली बार हमें यह सूचना देंगे कि हमारे देश में कितने लोग विकलांग है और उन्हें किस तरह की विकलांगता है । अब यह आशा की जा सकती है कि विकलांगों हेतु सरकार की नीतियां और कार्यक्रम अधिक अच्छे होंगे और स्थानीय व समग्र दृष्टि से अधिक निश्चित होंगे । अधिक महत्व की बात यह है कि विकलांगों और स्वैच्छिक संस्थाओं संबंधी प्रमाणिक आंकड़े मिलेंगे । ये हकीकतें और आंकड़े उनको उनके काम के लिए तथा सेवाओं का आयोजन करने के लिए अधिक स्पष्टता प्रदान करेंगे । अतएव यह गणना सचमुच महत्वपूर्ण है ।

सरकार को किस तरह लाभदायी होगी ?

जनगणना की सूचना हर प्रदेश, संस्कृति और समुदाय को हो ताकि नीतियां निर्मित करने में मदद मिले । उदाहरण के लिए जनगणना का विवरण यह बताता है कि सबसे अधिक विकलांग उत्तर प्रदेश में हैं और उसमें से भी सबसे अधिक आजमगढ़ जिले में हैं तो सरकार उसे रोकने के लिए, जागृति का अभियान चलाने और पुनर्वास के लिए कदम उठा सकती है । राज्य सरकार स्थानीय बोली, संस्कृति और परंपरा को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम बना सकती है । केन्द्र और राज्य सरकारों के बजट में इस समस्या के हल के लिए आबंटन राशि बढ़ाई जा सकती है । ताकि एक विकलांग व्यक्ति के रूप में आप अपने अंचल के विकलांग लोगों के लिए होने वाले कार्यों के लाभ देख सकते हैं ।

स्वैच्छिक संस्थाओं को किस तरह लाभदायी होगी ?

जब यह पता लग जाए कि समस्या कैसी है तो स्वैच्छिक संस्थाएं ज्यादा अच्छी तरह से समुदाय की देखभाल कर सकती हैं । उसमें साधन उपलब्ध कराने, चिकित्सा, शिक्षा आदि का आयोजन हो सकता है । स्वैच्छिक संस्थाओं के पास सत्तावार और ठोस सूचना हो तो वे अधिक अच्छी तरह से उत्तम सुविधाओं हेतु सरकार पर दबाव डाल सकती हैं । विकलांग के सवाल पर अनेक संगठन जो विविध चुनाव करते हैं, उन पर जनगणना के परिणामों का प्रभाव पडता है । ये चुनाव स्वैच्छिक संगठनों के कार्यो पर भी प्रभाव डालते हैं ।

राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय दाता संगठन

राष्ट्रीय स्तर के तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर के दाता संगठनों को स्पष्ट सूचना मिलने से वे यह तय कर सकते हैं कि उन्हें अपने संसाधन कहाँ व्यवहार में लाने हैं । सबसे अधिक जरूरत वाला प्रदेश कौनसा है तथा किस तरह की विकलांगता अधिक है, इस पर वे ध्यान केन्द्रित कर सकते हैं ।

२००१ की जनगणना

- फरवरी १९९७ से इसकी तैयारी शुरू हुई ।
- जुलाई २००० में लगभग २० लाख लोगों को इसके लिए प्रशिक्षित किया गया ।
- अप्रैल सितंबर, २००० के बीच बिजली, पानी, कानूनी या गैरकानूनी भवन आदि सूचनाएं प्राप्त करने हेतु भवनों की सूची बनवाई गई।
- ९-२-२००१ से २८-२-२००१ के मध्य जनगणना करवाई गई ।
- ६.४ लाख गांवों, ५५६४ तहसीलों, ५१६१ शहरों और २२ करोड़ परिवारों से लगभग १ अरब लोगों की यह सूचना प्राप्त की गई ।
- जो लोग इस प्रारंभिक चरण में रह गए थे, उनके लिए १-३-२००१ से ५-३-२००१ तक दूसरा दौर चला ।
- मई-जून, २००१ में जनगणना का अस्थाई विवरण प्रकाशित किया गया ।
- उसमें साक्षरता दर और स्त्री-पुरुष परिणाम आदि को घोषणा की गई ।
- २००२ के प्रारंभ तक उसका अंतिम विवरण प्रकाशित होगा।
- विकलांग लोगों के बारे में अब तक कोई सूचना नहीं मिली है।

निजी क्षेत्र और व्यापारिक संगठन

यह क्षेत्र भी जनगणना की सूचना के आधार पर विकलांगता की समस्या को समझेगा और सामाजिक उद्देश्यों को प्रोत्साहित करेगा तथा उसमें भागीदारी निभायेगा । वे विकलांगों के लिए उपयोगी वस्तुएं उत्पन्न करेंगे तथा बेचेंगे । उसमें उन्हें विकलांगों का और अपना लाभ दिखेगा । जनगणना विभाग उन्हें भारत के विकलांगों के बारे में सूचना देगा । उसका एक प्रभाव उत्पन्न होगा और हमारे समाज में सभी स्तरों पर विकलांगता के संबंध में जागृति पैदा होगी। आबादी में वृद्धि संबंधी आंकड़े और विवरण जिस तरह सामान्य जागृति फैलाते हैं यही बात इस क्षेत्र में होगी । वास्तव में, जनगणना की सूचना से पहली बार विकलांगों को स्वयं जानकारी मिलेगी कि पूरे देश में कितने विकलांग है और उन्हें लगेगा कि वे अकेले नहीं हैं। शायद ये आंकड़े और यह संख्या ही उनको देश में उनका उचित स्थान दिलाने की शक्ति देगा ।

सीधे-सादे शब्दो में कहें तो पहली ही बार जनगणना की सूचना देश में विकलांगों विषयक सच्चा और सर्वग्राही चित्र प्रस्तुत करेगी । इससे अपने विकासात्मक कार्यक्रमों में विकलांगों की जरूरतों को शामिल करने हेतु व्यक्तियों, संगठनों और सरकारों को कदम उठाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा ।

जनगणना कितनी विश्वसनीय ?

यह बात इस पर निर्भर करती है कि जनगणना करने वालों को प्रश्न पूछने तथा सूचनाएं दर्ज करने के लिए कितना और किस तरह का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है । मेरा व्यक्तिगत अनुभव कदाचित इनकी कमियों का एक श्रेष्ठ उदारहण देता है और एक उत्तरदायी घटक भी दिखाई देता है । जनगणना के समय जनगणना करने वाला व्यक्ति मेरे घर आया और उसने विकलांगता के अतिरिक्त तमाम प्रश्न पूछे । जब वह जा रहा था तब मैंने उससे पूछा, 'शायद आप दो-एक प्रश्न पूछना भूल गए हो।' उसने कहा, नहीं एक भी नहीं। मैं बोला : 'विकलांगता के बारे में दो प्रश्न ?' उसने उत्तर में कहा, 'मैंने देखा कि आपको चलने में तकलीफ होती है, इसलिए मुझे लगा कि यह विवरण आपसे पूछे बिना ही मैं भर लूंगा।' मैं बोलाः 'आप मुझे अभी पूछ सकते हैं और अभी मेरा जवाब दर्ज कर सकते हो।' अंतः उसने ऐसा किया और आखिर में उसने कहा कि लोगों से यह प्रश्न पूछना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं यह सवाल पूछना छोड़ देता हूं ।

अतः जो लोग मेरी तरह जानकार नहीं हैं अथवा सूचनाएं दर्ज कराने को तैयार नहीं हैं और जनगणना करने वाले यह प्रश्न संवेदनशील मानकर पूछें ही नहीं तो जनगणना कराने का कोई अर्थ नहीं रह जाता । जब सच्ची तस्वीर मिलती ही नहीं तो उसके परिणाम स्वरूप उचित दृष्टिकोण से कार्यक्रम और धन मुहैया नही कराये जा सकते । अंत में परिणाम यह निकलता है कि वजह से जनगणना की वजह से देश में विकलांगों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा और एन. एस. ओ. के आंकड़ो को ही मानना पड़ेगा । इस बात को भी ध्यान में रखना होगा ।

लापता लोग

आश्चर्यजनक बात यह है कि विकासशील देशों में जितनी विकलांगता दिखाई देती है, उसकी तुलना में विकसित देशों में यह अधिक दिखाई देती है । ऐसा क्यों होता है ? क्या अर्थ है उसका ? विकासित और विकासशील देशों में विकलांगता दर की तुलना करें तो पता लगता है कि विकासशील देशों में बहुत लोग लापता हैं । आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका जैसे कई विकसित देशों में कुल आबादी मे १८ प्रतिशत के लगभग विकलांग है । विकासशील देशों में विश्व स्वास्थय संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) के अनुमान के अनुसार विकलांग कुल आबादी में मात्र ५ प्रतिशत ही हैं । यह अंतर उल्लेखनीय है । विकासशील देशों में कुपोषण, गरीबी, निरक्षरता, अस्वास्थ्य और पुनर्वास की सुविधाओं के अभाव आदि कारण विद्यमान होते हुए भी यह अंतर क्यों ? इसका संभावित स्पष्टीकरण इस प्रकार है :

- विकलांगता संबंधी विविध व्याख्याएं ।
- विकलांगता विषयक अविश्वसनीय अध्ययन ।
- आबादी के वितरण हेतु विविध आयु समूहों का उपयोग ।
- विकलांग लोगों का विवरण दर्ज नहीं किया जाता, क्योंकि उन्हें छिपा कर रखा जाता है ।
- जो विकलांग ही जन्म लेते हैं और विकलांग हो जाते हैं, वे पहले मर जाते है ।

यहां १३ प्रतिशत का अंतर है और उपर्युक्त घटकों में से प्रत्येक घटक इस अंतर के लिए कारण-स्वरूप है । प्रथम चार घटक पांचवें घटक के लिए कारण-स्वरूप बनते हैं । निष्कर्ष यह है कि निश्चित शोध के बगैर इन आंकड़ो की छानबीन करना कठिन है और इस स्वरूप की शोध जटिल होती है । हालांकि जो लोग विकलांगता संबंधी परियोजनाओं में काम करते हैं, उनके अनुभव के आधार पर प्राप्त प्रमाण और प्रासंगिक प्रमाण यह दर्शाते हैं कि अकाल मृत्यु भी एक महत्वपूर्ण घटक है । एक अनुमान के अनुसार पांच वर्ष से कम उम्र के विकलांग बालकों की मृत्यु दर २० प्रतिशत है और पांच वर्ष से कम उम्र से कुल बालकों की मृत्यु दर २० प्रतिशत है । विकासशील और विकसित देशों में रोजमर्श के जीवन निर्वाह और सेवाओं की व्यवस्था हेतु प्राप्त वित्तीय एवं तकनीकी संसाधनों में बड़ा अंतर है । यह उल्लेख महत्वपूर्ण है कि संसाधनों की यह असमानता सिर्फ देशों के बीच ही नहीं है वरन् किसी एक देश के तमाम क्षेत्रों में भी दृष्टिकोण है । अतएव एक और निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है कि लापता लोगों की संख्या बहुत बड़ी है और कारण है गरीबी, विकलांग लोगो में प्रति एक व्यक्ति पर दो व्यक्ति लापता हैं ।

गरीबी

विकलांगता के संदर्भ में गरीबी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है । ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ विकलांगों को ही प्रभावित करती है वरन् यह शारीरिक न्यूनता और अपंगता उत्पन्न करने वाला एक महत्वपूर्ण कारण भी है। विकसित और विकासशील देशों के बीच महत्वपूर्ण अंतर प्रति व्यक्ति आय का है। यह अंतर २०० डॉलर से २५००० डॉलर का है। यह असमानता विश्व के साधनों को स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बांट देती है। यह एक वैश्विक समस्या है । हालांकि समस्या के रूप में इसका प्रभाव अधिकांशतः स्थानीय होता है । गरीबी एक अल्पविकास है और यह स्थानीय स्तर पर निम्नलिखित खतरों को बढ़ाती है :

- संघर्ष, यांत्रिक, कौमवादी, पारिवारिक, अंतर्धर्मीय और अंतर्देशीय।
- कुपोषण
- अपर्याप्त स्वास्थ्य एवं पुनर्वास सेवाएं
- खराब शैक्षणिक सुविधाएं अथवा इनका अभाव
- कठोर शारीरिक मजदूरी में वृद्धि
- व्यक्तिगत एवं पारिवारिक तनाव में बढ़ोतरी
- प्राकृतिक विपत्ति का उत्पधिक प्रभाव
- पर्यावरणीय जोखिमों और विपत्तियों का अत्यधिक प्रभाव
- विकलांग - अवरोधी सूचनाओं और प्रवृतियों का लाभ न मिलना अथवा बहुत कम मिलना ।

यह प्रत्येक लक्षण विकलांगता उत्पन्न करता है तथा इसमें बढ़ोतरी अकाल और असामजिक मृत्यु की ओर ले जाती है । गरीबी और विकलांगता के बीच का एक अन्य महत्वपूर्ण संबंध परिवार पर पड़ने वाले प्रभाव में देखा जाता है । गरीबी में जीने वाले प्रत्येक परिवार में परिवार के प्रत्येक सदस्य को परिवार के विकलांग व्यक्ति के कल्याण में योगदान देना पडता है अन्यथा उस व्यक्ति का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है । जब एक पारिवारिक सदस्य की उत्पादक क्षमता घटती है तो अन्य सदस्यों में कदाचित उसकी पूर्ति करने की क्षमता नहीं होती । गरीबी का अर्थ यह कि परिवार

के विकलांग व्यक्ति की बुनियादी देखरेख करने का समय नहीं अथवा जहां जरूरी हो वहां बुनियादी डॉक्टरी इलाज के लिए पैसा नहीं । इसी के परिणाम स्वरूप बहुत अकाल मौतें होती हैं ।

जोखिम का चक्र

एशिया और प्रशांत क्षेत्र में विकलांग और जोखिम का एक चक्र अस्तित्व में है । जोखिम हो तो विकलांगता बढ़ती है और विकलांगता अकाल मृत्यु में परिणत होती है । इसके चक्र को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है ।

- जो लोग विकलांग हो गए हैं उनके लिए जीवित रहने का जोखिम है, अतः विकलांग लोगों का परिमाण कम आता है ।
- विकलांग लोगों का परिमाण कम दिखता है तो विकलांगों के लिए पैसा देने में प्राथमिकता नहीं रहती । गरीबी भी इसका एक कारण है ।
- समावेश में बाधक अवरोध भी पैसों की प्राथमिकता तय करने में अवरोध बन जाता है ।
- विकलांगता संबंधी परियोजनाओं को कम पैसा मिलता है तो सेवाओं, पुनर्वास और अवसरों की प्राप्ति घटती है और उसके परिणाम स्वरूप गरीबी व अकाल - मृत्यु जैसे जोखिमी घटकों में वृद्धि होती है ।

उपसंहार

स्पष्ट है कि विकासशील देशों में विकलांग लोग विकसित देशों की अपेक्षा कम है । इस प्रत्यक्ष अंतर का मूल कारण यह है कि विकासशील देशों में विकलांगों की अकाल-मृत्यु की संभावना अधिक है । इस दुष्चक्र का मूल गरीबी है, विश्व के संसाधनों का असमान विवरण है । विकासशील देशों में विकलांगता का असर स्पष्ट है - विकलांग कम है तो उनके लिए धनराशि आवंटन भी कम है । अतः विकलांग लोगों के विकास के लिए सेवा प्रावधानों और अवसरों को भी कम शामिल किया गया है। विकलांग बालकों, विकलांग महिलाओं और विकलांग कृषकों हेतु आय उपार्जन, शिक्षा, आवास आदि बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है । पुनर्वास के प्रयासों में इन बनियादी सुविधाओं का समावेश हो तभी उसका परिणाम सब के लिए शुभ होगा।

पृष्ठ 42 का शेष भाग

उपयोग, औद्योगिक प्रदूषण, आरक्षित वनांचल मुक्त करने, सार्वजनिक सम्पत्ति संसाधन की लूट, जमीन के क्षरण, विस्थापन तथा सामाजिक सेवाओं के निजीकरण के विरुद्ध जो लोक - आंदोलन हुए उनका विवरण दिया गया है । एक दर्जन तालिकाओं द्वारा इस पुस्तक में गुजरात के सात इलाकों में नयी आर्थिक नीति के बाद स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ऋण, भूमि-धारण, खेती, सार्वजनिक विवरण प्रणाली तथा जीवन-निर्वाह के क्षेत्रों में गरीबों हेतु केसे विपरीत परिणाम निकले है, उनका विवरण दिया गया है । प्रति प्राप्त करने हेतु सम्पर्क करे : 'उन्नति', स्वैच्छिक योगदान रु.१००.

सहभागी प्रशिक्षण : एक मार्गदर्शिका

उन्नति पिछले १० वर्षों से गुजरात में सहभागी विचारधारा के प्रचार-प्रसार के लिए प्रशिक्षण दे रही है । इन प्रशिक्षणों के दौरान गुजराती भाषा में सहभागी प्रशिक्षण संबंधी मार्गदर्शिका की अनिवार्यता प्रतीत हुई थी । प्रस्तुत मार्गदर्शिका दिल्ली की 'प्रिया' संस्था द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित सहभागी प्रशिक्षण पद्धति को मार्गदर्शिका के आधार पर तैयार की गई है । मार्गदर्शिका को अधिक रोचक एवं उपयोगी बनाने के लिए उसमें उन्नति तथा अन्य संस्थाओं के अनुभव शामिल किए गए हैं । इस मार्गदर्शिका में सहभागी प्रशिक्षण पद्धति : संदर्भ एवं सिद्धांत, सहभागी प्रशिक्षण में प्रशिक्षक की भूमिका, प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा बनाना, लघु समूह, प्रशिक्षण की पद्धतियों एवं मूल्यांकन एवं अनुमती कार्य के बारे मे विवरण है। अनगिनत तालिकाओं, आलेखों, चित्रों एवं सहभागिता - प्रेरक खेलों द्वारा इस मार्गदर्शिका को अधिक सुलभ एवं लोकोपयोगी बनाने का प्रयास किया गया है । परंपरागत प्रशिक्षण और सहभागी प्रशिक्षण के बीच का अंतर स्पष्ट करके सहभागी प्रशिक्षण के लाभों को स्पष्ट किया गया है । विकास में सहभागिता सिद्धांत को चरितार्थ करने के इच्छुक कर्मशीलों एवं संगठनों के लिए यह एक उपयोगी पुस्तक है । प्रति प्राप्त करने हेतु सम्पर्क करें : 'उन्नति' सूचित योगदान रु. १५०.

विकलांगता की समस्या के विषय में श्रीमती मेनका गांधी से साक्षात्कार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का स्वतंत्र दायित्य वहन करने वाली केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती मेनका गांधी से विकलांग शोधकर्ता एवं पत्रकार **सुश्री प्रिया वरदान** ने ८.१२.२००० को साक्षात्कार किया था। वह साक्षात्कार 'हैल्थ फॉर मिलियन्स' के नवंबर-दिसंबर २००० अंक में प्रकाशित हुआ था। उसका सारांश यहाँ दिया जा रहा है।

प्रश्नः सन् १९९५ का कानून बनने के बाद देश में विकलांगों की परिस्थिति में क्या परिवर्तन आया है?

उत्तरः देश में विकलांगों को राजकीय परिप्रेक्ष्य में लाकर तथा उन्हें एक साधन प्रदान करके ही उनकी स्थिति को बदला जा सकता है। विकलांगों को शायद नौकरियाँ नहीं मिलती, पर जब वे यह जानते है कि उनको नौकरियाँ मिलनी चाहिए। यह उनका अधिकार है। अब वे सरकार पर उसके लिए स्थान निर्धारित करने हेतु दबाव डाल सकते हैं। संस्थाओं में शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और संस्थाएँ व सुविधाएं कानूनी विषय बन गए हैं। पहले ऐसा नहीं था।

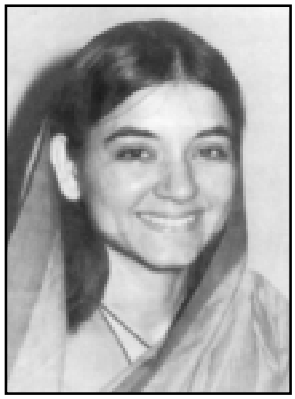

प्रश्नः मंत्रालय ने कानून के क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाये हैं?

उत्तरः मुझे यह कानून बहुत सख्त नहीं लगता अतः हमने नया कानून बनाया है। वह पिछले छह महीनों से मंत्रिमंडल के सामने पड़ा है। नए कानून में यह बताया गया है कि जो किया जाना है, यदि आप वह नहीं करेंगे तो क्या होगा। दूसरे, सिर्फ सरकार को ही नहीं, अपितु प्रत्येक कंपनी को विकलांगों के लिए तीन प्रतिशत प्रशिक्षण नौकरियाँ आरक्षित करनी होंगी। तीसरे, अनेक तरह के दूसरे विकलांगों का समावेश भी इसमें किया गया है।

प्रश्नः ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार कौनसे कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है ?

उत्तरः ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग पैर-विहीन थे, वे पैर-विहीन ही रहते थे। जिन्हें पता होता था, वे जयपुर चले जाते थे। लेकिन यदि पैर काम करना बंद कर देता तो वे वापिस वहाँ नहीं जाते थे। अब हमने सबसे पहले इसकी व्यवस्था की है। जो एक ही पैर देने वाली लिम्बको थी, वह बंद हो गई है। जयपुर फूट को पैसा नहीं दिया जाता था। किसी बड़ी स्वैच्छिक संस्था को पैसा दिया जाता था। ताकि छोटी संस्थाएँ पाँच-छह पैर प्राप्त कर सकें। ऐसे ही हमने लिम्बको का कामकाज सुधारा वह बहुत बड़ी संख्या में पैर बनाती है। वह अब वह भारी मुनाफा कमा रही है। हम ऐसी ही अन्य तीन कंपनियाँ शुरू कर रहे हैं, अतः पर्याप्त मात्रा में पैर तैयार होंगे। दूसरा सवाल गुणवत्ता का है। हमने एक अमेरिकी समूह को गुणवत्ता सुधारने के लिए बुलाया है। बाहर की कंपनियाँ भी निवेश करे, उसके लिए विज्ञापन दिए हैं। हमने रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया है। यह ऐसे प्रस्तावों का अध्ययन करती है। फिर भारत में कभी जो ऑपरेशन नहीं होते थे, वे ऑपरेशन शुरू किए गए हैं। तब आपको व्हील चेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी, मात्र कैलिपर की ही जरूरत पड़ेगी। हमने विशाखापटनम् के डॉ. राव की मदद ली है। वे रोजाना २०० ऑपरेशन करते हैं। माँग बहुत है। इसलिए उन्होने दूसरे १०-१५ डॉक्टरों को प्रशिक्षण दिया है। तब हमें लगा कि शिविर पर्याप्त नहीं, इसलिए हमने १०७ स्थायी केन्द्र स्थापित किए हैं। हर पाँच जिलों पर एक केन्द्र है। इनमे से १० तो काम करने लगे हैं। हम उनको बुलाते हैं और सूचनाएं देते हैं। प्रत्येक केन्द्र में शिशु-सदन है और मूक-बधिर बालकों के लिए शाला है। बाद में हमें लगा कि यह भी काफी नहीं है। लखनऊ, श्रीनगर, कटक, भुवनेश्वर और मोहाली (पंजाब) में ये स्थापित किए जा रहे हैं। हम मेरुरज्जु की चोट के लिए चार केन्द्र शुरू कर रहे हैं। अब विशाखापट्नम, जयपुर और भावनगर में संस्थाए हैं और उन्हें अच्छा-खासा पैसा दिया जा रहा है।

हमने विकलांग व्यक्ति के लिए एक जैसा पहचान-पत्र बनाया है। वह पूरे भारत में एक जैसा है। मंत्रालय में विकलांगता हेतु मदद के बजट में जबरदस्त वृद्धि की है। वह लगभग रु. १० करोड़ से बढ़ाकर रु. ९७ करोड़ किया गया है। पहली बार विकलांगता के विषय में देश भर में प्रदर्शनियाँ आयोजित की जा रही हैं। इन प्रदर्शनियों में विकलांगता हेतु जरूरी साधन प्रदर्शित किए जाते हैं। दिल्ली में ऐसी एक प्रदर्शनी में एक सप्ताह में २७,००० लोग आए। लखनऊ और बेंगलूर में भी इसका आयोजन हुआ। इसमें विकलांगों हेतु साधन बनाने वाले उत्पादकों को निःशुल्क जगह दी गई थी।

प्रश्नः इस समय सिर्फ दो प्रतिशत विकलांग ही शिक्षित हैं और एक प्रतिशत को ही सरकारी नौकरी मिली है। यह स्थिति सुधारने के लिए मंत्रालय क्या उपाय कर रहा है?

उत्तरः हम स्वैच्छिक संस्थाओं को अधिक मदद देते हैं। रोजगार के क्षेत्र में बहुत कम कर पा रही हूँ। सरकार में २५० जगहें ढूँढने में मुझको दो वर्ष लगे हैं। हम निजी रोजगार संस्था शुरू करने वालों को ३० से ४० लाख रु. देते हैं। अभी तक कलकत्ते में 'रीच' संस्था ही इसके लिए तैयार हुई है। दो वर्ष पहले हमने उसको २० लाख रुपए दिये थे। वर्तमान में वहाँ १०० लोगों को रोजगार मिल रहा हैं। 'रीच' विकलांगों को प्रशिक्षण देती है और उन्हें उद्योगों में नौकरी मिलती है। जिन लोगों को नौकरी मिली, उनमें से ५-६० लोगों ने नौकरी छोड़ दी क्योंकि विकलांगों के लिए शौचालयी व्यवस्था अनुकूल नहीं थी। मालिकों का कहना था कि एक ही व्यक्ति के लिए शौचालय क्यों बदले? हमने 'रीच' से कहा है कि यदि कोई कंपनी चार या अधिक विकलांगों को रोजी देगी तो मंत्रालय उसे वह खर्च दे देगा। इस प्रकार हम हर स्तर पर प्रयत्न कर रहे हैं।

प्रश्नः क्या आरक्षण ही एकमात्र रास्ता है? क्या इससे विकलांगों की समस्या का हल निकला है?

उत्तरः नहीं। लेकिन आरक्षण एक रास्ता है। दूसरा रास्ता है कर संबंधी। हमने वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया है कि जो १० या इससे अधिक प्रतिशत रोजगार विकलांगों को दे, उसे सेवा कर में छूट दी जाए। यह हो भी सकता है और नहीं भी।

प्रश्नः 'रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया' और 'विकलांग आयोग' जैसी संस्थाओं का विकलांगों के कल्याण के संदर्भ में क्या महत्व है?

उत्तरः दोनो बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनका उपयोग ही नहीं होता। गत वर्ष काउंसिल ने २८,००० को प्रशिक्षण दिया जो शिक्षकों को विकलांगता संचालन के विषय में प्रशिक्षण दें। उसने डॉक्टरों को भी प्रशिक्षण दिया। उसे साधनों के मूल्यांकन को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ग्राहक संस्थाओ को भी उसमें जोड़ा गया है। शिक्षा देने के लिए हम विदेशी विशेषज्ञों को भी बुलाते हैं। इस प्रकार काउंसिल प्रशिक्षण, शिक्षण और मूल्यांकन में महत्व पूर्ण भूमिका निभाना है। विकलांग आयोग को रोजगार में असमानता के मामले हाथ में लेने हैं। कमिश्नर देश भर में घूमें और हमें समग्र परिस्थिति समझाएं यह उसका काम है। वह हमारी मदद से चलने वाले केन्द्रों का भी मूल्यांकन करें। आयोग को जिस तरह से काम करना चाहिए, उस तरह नहीं करता। हम नागपुर में दूसरा एक आयोग स्थापित करना चाहते हैं क्योंकि नागपुर देश के केन्द्र में है अतः वह सबके लिए अधिक उपयोगी रहेगा।

प्रश्नः आपके अनुसार विकलांगों को निःशुल्क शिक्षा और रोजगार में निजी क्षेत्र क्या भूमिका निभा सकता है ?

उत्तरः निजी क्षेत्र मदद न दे तो सरकार कुछ नहीं कर सकती । सरकार में भर्ती पर अभी प्रतिबंध है। कंपनियों को ही विकलांगों को समाना चाहिए। पुणे में हमने एक समूह को पैसा दिया है, जिसने विकलांगों को नए उद्यम शुरू करने हेतु प्रशिक्षण दिया है।

वेब साइट

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों ओर परियोजना की सूचना देने हेतु एक सर्वग्राही इंटरनेट पोर्टल शुरू किया है। इसमें मंत्रालय, अनुसूचित जाति कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, विकलांगों के कल्याण, स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान, संबंधित संगठनों के अतिरिक्त मंत्री के विवरण, घटनाओं, फिल्मों और रेडियो कार्यक्रम के बारे में सूचना दी गई है। जो लोग मंत्रालय के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, ऐसे सामाजिक संगठनों और लोगों के लिए यह बहुत उपयोगी है।

वेब साइट : http:/www.socialjustice.nic.in

हमने उसे पारितोषिक भी दिया है। सरकार ऋण देकर मदद कर सकती है। परंतु वस्तुओं को बेचने के काम तो निजी क्षेत्र को ही करने पड़ेंगे।

प्रश्नः सन् २००१ की जनगणना में विकलांगों की गणना होनी है। उनसे संबंधी सूचनाएँ विश्वसनीय और अधिकृत हो, इसके लिए सरकार क्या करेगी?

उत्तरः टी.वी. पर समाचार के बाद रोजाना दो विज्ञापन आयेंगे। उनमें यह सूचित किया जाएगा कि अगर आप विकलांग हों तो इस प्रकार उत्तर दें। यदि आप वृद्ध और बीमार हों तो ऐसा न कहें कि आप विकलांग है। खास प्रकार की विकलांगता हो तभी आप विकलांग कहें। उसी तरह हमने रेडियो के लिए भी विज्ञापन तैयार किया है। जनगणना करने वालों को प्रशिक्षण दिया गया है, पर उन्हें सभी बातो का प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता। उसी लिए ये फिल्में तैयार कराई गई हैं। किस तरह की विविध सूचना होगी, यह नहीं पता। ऐसे आँकड़े और आलेख मिलेंगे कि जो नीति विषयक आयोजन में उपयोगी होंगे। उनसे किस तरह, किस दिशा में जाता है, इस दिशा में निर्देश प्राप्त होंगे।

प्रश्नः क्या आप ऐसा मानते हैं कि विकलांगता की समस्या के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को भूमिका प्रभावशाली रही है?

उत्तरः बहुत ही प्रभावशाली। यदि वे नहीं होती तो सरकार कुछ नहीं कर पाती। अब भी सरकार संस्थाए नहीं चला सकती। मात्र स्वैच्छिक संस्थाएँ ही यह कर सकती हैं। सरकार को तो मात्र ढांचागत सेवाएँ ही उपलब्ध करानी होती हैं। सरकार को सिर्फ पैसा देने और उसका बराबर उपयोग होता है या नहीं, यह देखने का ही काम करना होता है। मुसीबत यह है कि अनेक स्वैच्छिक संस्थाएं भीतर ही भीतर लड़ती रहती हैं क्योंकि उनके लोग व्यक्तिवादी है, और जो बहुत मजबूत हैं वहाँ भी केन्द्रीकरण हो गया है। दूसरी एक बड़ी तकलीफ यह है कि भारत में बहुत सारे लोग अशिक्षित हैं । ये कार्यकर्ता दिल लगाकर काम करते हैं पर कई बार उनको यही पता नहीं होता कि करना क्या है। उनको सूचना और परिप्रेक्ष्य बताने की जरूरत है। उनको प्रोत्साहन देने और पैसा देने की जरूरत है। हमको मजबूत और सम्माननीय नेताओं की जरूरत है।

प्रश्नः विकलांगता के संबंध में संचार माध्यमों की, विशेष रूप से टी.वी. की कैसी भूमिका है ?

उत्तरः वे कोई भूमिका अदा करते ही नहीं । मंत्रालय को ही सूचनाएँ देनी पड़ती हैं । हमने महिलाओं, विकलांगता और अन्य विषयों पर ७५ फिल्में बनाई हैं । टी.वी. सीरियलों में विकलांगता के बारे में बहुत खराब चित्र प्रस्तुत किया जाता है ।

प्रश्नः इस बारे में संबंधित मंत्रालय को किस तरह लिखें ?

उत्तरः हाँ, यह एक उत्तम विचार है । मंत्रालय इस बारे में मध्यस्थता करेगा, जानकारी प्राप्त करेगा तथा प्रसारण मंत्रालय का इस ओर ध्यान आकृष्ट करेगा ।

प्रश्नः क्या निकट भविष्य में विकलांगों के लिए अनुकूल और अवरोध-मुक्त समाज की अपेक्षा रखी जा सकेगी ?

उत्तरः आप ऐसी अपेक्षा कभी नहीं रख सकते, क्योंकि लोग धूर्त हो रहे हैं, अच्छे नहीं हो रहे । जिस देश में साधन कम से कम हो रहे हों, आबादी बढ़ रही हो और व्यवस्था ऐसी हो कि कम लोग सम्पत्तिवान बन जाएँ, वहाँ ऐसा ही होता है । आप किसी भी क्षेत्र में कमजोर व्यक्ति पर ध्यान देते हैं ? नहीं । हमें विकलागों के लिए पेंशन फंड और राष्ट्रीय ट्रस्ट की जरूरत है । इसके लिए आरंभ में १०० करोड़ रुपए चाहिए, ताकि देश में विकलांगों के लिए अनुकूल वातावरण बन सके ।

पृष्ठ 34 का शेष भाग

तब अपने आसपास इसका प्रचार-प्रसार करें । स्थानीय स्तर से जन-आंदोलन उठेगा हो देश के प्रत्येक भाग में कानून का क्रियान्वयन वास्तविक बनेगा । ऐसे जन आंदोलनों में सामाजिक विकास में शामिल सभी लोगों और विकलांग लोगों को भी शामिल करना पड़ेगा । सरकारें लोगों की जरूरत और मांग के मुताबिक कानून बनाती है । उचित क्रियान्वयन की मांग भी लोगों में ही उठनी चाहिए । लोग ही परिवर्तन ला सकते हैं । विकलांग लोगों और विकलांगता विहीन सामान्य लोगों को ही आवाज उठानी पड़ेगी । अगर विकलांगों के प्रति भेदभाव या उनके अधिकारों के हनन की कोई भी घटना नजर में आए तो राज्य के विकलांगता कमिश्नर के समक्ष अथवा स्थानीय स्वशासन की संस्था के समक्ष भी शिकायत की जा सकती है ।

विकलांग अधिनियम, १९९५

यह लेख **हैंडिकेप इंटरनेशनल** द्वारा तैयार किया गया है । और इसमें मोबिलिटी इंडिया के अनुभवों की बात भी रूबरू साक्षात्कार के आधार पर की गई है। यह लेख विकलांगों की रक्षा संबंधी कानूनी व्यवस्थाओं और उनके क्रियान्वयन के विषय में प्राथमिक जानकारी प्रदान करता है।

प्रस्तावना

भारत में विकलांगता और विकलांग लोगों के लिए १९९५-९६ का वर्ष एक महत्वपूर्ण वर्ष बन गया। दिनांक ७-२-१९९६ को विकलांग व्यकित (समान अवसर, अधिकारों की रक्षा एवं सम्पूर्ण सहभागिता)। अधिनियम - १९९५ अमल में आया। इस कानून में विकलांगता संबंधी प्रश्नों को समाहित किया गया है। वे विकलांगों के अधिकारों के विषय में भारत सरकार को जो ढांचागत सुविधाएं मुहैया करनी चाहिए, उनका वर्णन करते हैं। वे विकलांगता को व्याख्या करते हैं। वे निम्नलिखित विविध क्षेत्रों में राज्य को भूमिका स्पष्ट करते हैं :

- विकलांगता रोकना और पहचानना
- शैक्षणिक अधिकार
- रोजगार संबंधी प्रश्न
- भेदभाव विहीनता
- शोध एंव मानव शक्ति विकास
- विधायक कार्य
- सामजिक सुरक्षा
- दावे (शिकायतें)

संक्षेप में यह अधिनियम अंततः विकलांग के अधिकारों को मान्यता देता है और उनके प्रति सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त करता है । ताकि विकलांग लोग अपना जीवन सुरक्षा एवं गौरव के साथ जीने हेतु सक्षम बनें । यह अधिनियम राज्य को ऐसी स्थिति का निर्माण करने का दायित्व सौंपता है ताकि विकलांग अन्य लोगों की भांति जीवन जी सकें । कोई भी विकलांग व्यक्ति या उसके लिए दूसरा कोई व्यक्ति अवसरों या अधिकारों के इन्कार किए जाने पर न्याय मांग सकता है ।

विकलांगों हेतु जीवन की सारी स्थिति और अवसर जब दया-दान या कल्याण के विषय नहीं रहे वरन् अधिकारों के विषय बन गए हैं । इस कानून के महत्वपूर्ण मुद्दों का सारांश यहां दिया जा रहा है। विकलांगता की व्याख्या से इसकी शुरूआत हो गई है । बाद में भारत सरकार के द्वारा उनके अधिकारों की रक्षा हेतु जो विविध संरचनाएं और व्यवस्थाएं पूरी करनी हैं, उनका विवरण दिया गया है । कानून में विकलांगता की व्याख्या निम्नानुसार की गई है :

- अंधत्व
- कम दिखना
- रक्तपित्त के इलाज के बाद की स्थिति
- बहरापन
- चलने - फिरने में विकलांगता
- मंदबुद्धि
- मानसिक बीमारी

सरकार को निम्नानुसार समितियों का गठन करना है :

१. केन्द्रीय समन्वय समिति

राष्ट्रीय स्तर की यह समिति केन्द्र सरकार के अधीन काम करती है। यह विकलांगता संबंधी समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर वाणी प्रदान करेगी तथा उनके समाधान के लिए सर्वग्राही नीति बनाने का काम करेगी ।

२. राज्य समन्वय समिति

राज्य स्तर को यह समिति केन्द्रीय समन्वय समिति तथा राज्य सरकार के मार्गदर्शन में काम करेगी । यह विकलांगता संबंधी समस्याओं के राज्य स्तर पर वाणी प्रदान करेगी तथा उनके हल के लिए सर्वग्राही नीति निर्मित करने का काम करेगी ।

३. कमिश्नर

राज्य स्तर पर एक विकलांगता आयोग गठित होगा । उसमें एक

कमिश्नर होगा । वह निम्न कार्य करेगा :

- विकलांगों को उनके अधिकारों से वंचित रखने के विरुद्ध शिकायतें सुनेगा ।
- नियम, उप नियम एवं आदेशों का क्रियान्वयन न होने पर उनकी जांच-पड़ताल करेगा ।
- कमिश्नरों के कार्यों का समन्वय मुख्य कमिश्नर करेगा ।
- केन्द्र सरकार द्वारा बितरित धन के उपयोग की देखरेख करेगा ।
- विकलांगों को प्राप्त अधिकारों एवं सुविधाओं की रक्षा करने के लिए कदम उठायेगा ।
- नियत समयांतर पर कानून के क्रियान्वयन के विषय में केन्द्र सरकार को विवरण भेजेगा ।

शिकायतों का निबटाना

कानून में विकलांग व्यक्तियों को जो अधिकार दिये गए हैं यदि उनका हनन होता हो तो वे राज्य में या केन्द्र में कमिश्नर के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं । कोई भी व्यक्ति अधिकारों को भंग करने वाले को अदालत में घसीट सकता है, परंतु यह काम बहुत मुश्किल है । अधिकांश लोगों को कानूनी सलाह एवं सहयोग प्राप्त करने के लिए अहमदाबाद के अंधजन मंडल जैसे अनुभवी संगठन से सम्पर्क करना पडेगा ।

अधिनियम में खामियां

इस अधिनियम में विकलांगता की समस्याओं के हल के लिए संन्निष्ठ प्रयास हुए हैं, पर उनमें भी महत्वपूर्ण कमियां रह गई हैं, जो निम्न प्रकार हैं :

- इस कानून में विकलांगता की जो व्याख्या दी गई है, वह सीमित है। सीखने में विकलांगता हिमोफिलिया और अन्य बहुत सी बातों का इसमें समावेश नहीं किया गया है ।
- विकलांगों को सेवाएं और सुविधाएं प्रधान करने की जिम्मेदारी अभी सिर्फ राज्य पर ही है । अन्य क्षेत्रों और विशेष रूप से निजी क्षेत्र के लिए कानून में कोई भूमिका नहीं अथवा बहुत कम भूमिका है ।
- सरकार और स्थानीय अधिकारियों को उनसे सीमित संसाधनों के साथ कानून की विभिन्न व्यवस्थाओं का पालन करना है । अतः इनमें बाधाएं उत्पन्न होती हैं ।

यह अधिनियम भारत सरकार की विकलांगता विषयक सत्तावार नीति, शिक्षण हेतु पहुंचा, रोजगार आदि के बारे में मार्गदर्शन देना है । विकलांगों के लिए तथा विकासात्मक संगठनों के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि इन तमाम मुद्दों के बारे में कानून क्या कहता है ।

समग्रतया कानून में विकलांगों को जो अधिकार दिये गए हैं, वे मानव अधिकारों से मिलते-जुलते है । विकलांग लोग जिन समस्याओं का सामना करते है, उन्हें दूर करते हुए जरूरी सेवाएं उन्हें प्राप्त हों, इस संबंध में इसमें विशेष व्यवस्थाएं की गई है ।

अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित मुसीबतें और कर्नाटक का अनुभव

कर्नाटक के बेंगलूर में 'मोबिलिटी इंडिया' नामक एक स्वैच्छिक संस्था विकलांगों के क्षेत्र में काम करती है । उसके एक कार्यक्रम-प्रबंधक को विकलांगता का व्यक्तिगत अनुभव है और वह अन्य लोगों के साथ मिलकर विकलांगता अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु कार्यरत है । उसने कर्नाटक के विकलांगता कमिश्नर के साथ कानून के क्रियान्वयन के बारे में जो बातचीत की, उसमें उठाये गए मुद्दे निम्नानुसार हैं :

प्रत्येक व्यकित कानून से पालन या उल्लंघन के बारे में बात करता है । लेकिन पालन को मापने के निर्देशक क्या हैं ? वर्तमान में कानून के बारे में परिसंवाद का आयोजन करने या उससे सबंधित भित्तिचित्र लगाते को उसकी हिमायत के बतौर पहचाना जाना है । अतः इस कानून के क्रियान्वयन के लिए सुव्याख्यायित विभाजन किया जाना चाहिए ।

१. कानून का क्रियान्वयन करने का काम सिर्फ कमिश्नर का है।
२. उदाहरणार्थ, ग्राम-विकास मंत्रालय ने गरीबी निवारण की योजनाओं के लाभार्थियों में ३ प्रतिशत विकलांग हों, इस बारे में क्या कदम उठाये ?
३. जिला पुनर्वासन अधिकारियों को कितने मामले भेजे गए ?
४. विभिन्न विभाग कमिश्नर को विवरण भेजें, उसकी क्या पद्धति है ?
५. कमिश्नर के कार्यालय का हम सही उपयोग करते हैं ? कम

से कम एकाध कागज-पत्र लिखते हैं ?

६. विकलांगों को सेवाएं उपलब्ध कराने के नाम पर जो अन्याय होता है, क्या उसकी जानकारी हम संचार माध्यमों को देते हैं ?

७. किसी सरकारी योजना हेतु आय का या डॉक्टरी प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए घूस देनी पड़े अथवा न देने पर हैरान होना पड़े, तो ऐसे मामलों में हम में से कितने लोग शिकायत करते हैं ?

८. आप में से कितने लोग हमारे साथ हैं ?

९. कमिश्नर के कार्यालय पर ही लोगों को इकठा करने तथा विभिन्न सरकारी विभागों के सामने प्रस्तुत करने का काम क्यों करना चाहिए ?

१०. विकलांग स्वयं अपने अधिकारों के बारे में बोलें, क्या इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित किया गया है ? ऐसा वातावरण बनाया गया है?

११. इस समूह में कितने विकलांग है ?

लोग कमिश्नर के कार्यालय के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में तथा उनकी सफलताओं के बारे में जानें यह जरूरी है ताकि हम ज्यादा अच्छी तरह से सम्पर्क रख सकें । इसी भांति कमिश्नर कार्यालय के लोग भी विकलांगता के साथ जुड़ी समस्याओं के साथ संकेतों से बातचीत करने वाला एकाध व्यक्ति वहां होना चाहिए ।

कर्नाटक में ऐसा है, यह खुशी की बात है । वहां विकलांगों को नौकरी में प्राथमिकता दी जानी चाहिए । फिर, जिला, तहसील और ग्राम स्तर पर क्रियान्वयन का विकेन्द्रीकरण हो, ऐसी कार्यनीति भी होनी चाहिए । इसके अतिरिक्त तात्कालिक व्यवस्था के बजाय लंबी अवधि के परिवर्तन पर ध्यान दिया जाना चाहिए । उदाहरणार्थ, क्या ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि कलेक्टर या तहसीलदार अपने ऑफिस से किसी दिन नीचे की मंजिल पर मिल सकें ? क्या यह व्यावहारिक समाधान है ?

इसी भांति राज्य की समन्वय समिति के कार्य की समीक्षा होनी चाहिए :

१. वह कितने प्रभावी तरीके से काम करती है ?

२. क्या उसके कार्य की समीक्षा हो सकती है ?

जब राज्य सरकार की सलाहकार समितियों का गठन किया जाता है, तब सदस्यगण उसकी बैठक में उपस्थित नहीं होते। बैठकें भी पर्याप्त तैयारी के बिना होती हैं और अनुवर्ती कार्य का तो सवाल ही नहीं उठता । समिति नियमित रूप से मिले, जिम्मेदार बने, यह जरूरी है । सम्पूर्ण सूचनाएं इटरनेट पर दी जानी चाहिए । जो संगठन कमिश्नर - कार्यालय के सहयोग से काम करते हैं, उनको वह सूचना डाक द्वारा भेजी चाहिए ताकि जीवंत सम्पर्क स्थापित हो और क्रियान्वयन में तेजी आए ।

इसके अलावा, लोक अदालत के द्वारा जागरूकता पैदा हो सकती है और लोगों तक पहुंच सकती है । सही सूचनाएं प्राप्त करने के लिए कार्यालय को नियमित रूप से लोक अदालत आयोजित करनी चाहिए । जिले और तहसील स्तर पर इसका आयोजन हो । इस तरह अनेक लोग इसका लाभ ले सकेंगे । इससे विकलांगता अधिनियम के बारे में लोगों में और विभिन्न विभागों में जागरूकता बढ़ेगी और प्रत्येक की भूमिका एवं जिम्मेदारी के बारे में जानकारी बढ़ेगी । इसके लिए राज्य में पूर्णकालिक कमिश्नर होना चाहिए ।

सरकार के वर्तमान सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की समीक्षा होनी चाहिए। ऑपरेशन एवं साधन प्रदान करने की सहायता हेतु प्रक्रिया सरल बननी चाहिए । उदाहरणार्थ बेंगलूर में ऑपरेशन हेतु सहायता प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को पांच अलग-अलग विभागों में अलग-अलग स्थान पर जाना पड़ता है । आवेदन पत्र महिला एवं बाल कल्याण विभाग में मिलती है, डॉक्टरी प्रमाणपत्र सरकारी अस्पताल में मिलता है, ऑपरेशन निजी अस्पताल में कराना हो तो खर्च का अनुमान वहां से मिलता है, आपका प्रमाणपत्र तहसीलदार कार्यालय से मिलता है । ये सब बाद में विकलांग कल्याण विभाग को सौंपने पड़ते हैं । बाद में पैसे संबंधित अस्पताल को मिले या नहीं, यह कल्याण विभाग में देखना पड़ता है । पैसा मिलने होने के बाद ही ऑपरेशन होता है । इसके जो परिणाम होते हैं उन्हें यहां स्पष्ट किया जा रहा है :

१. ऐसी दवा देने वाली प्रक्रिया से किसे लाभ मिलता है ? यदि किसी को लाभ मिलता है तो वह स्वैच्छिक संस्था की सहायता

से ही मिलता है ।

२. यदि बेंगलूर में रेफरल सेंटर हो और बिना मूल्य सेवाएं उपलब्ध की जाएं तो निजी अस्पताल में ऑपरेशन क्यों ?
३. सम्पूर्ण काम राज्य के रेफरल केन्द्र में क्यों नही होता ? वहीं ऑपरेशन भी क्यों न सम्पादित किए जाएं ?
४. बेंगलूर में रहने वाले लोगों को ही योजना का लाभ लेने में जब इतनी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं तो भला बाहर से आने वालों की क्या हालत होगी ?
५. उपर्युक्त जांच विभाग एक ही जिले में न हों तो लोगों को लाभ कैसे मिलेगा ?
६. मुख्य रूप से गरीब लोग ही ऑपरेशन और साधन की सहायता लेने आते हैं । तब भला आय के प्रमाणपत्र की कोई जरूरत रह जाती है ? क्या आय के प्रमाणपत्र का कोई विकल्प ढूंढा जा सकता है ?

सेवाओं की गुणवत्ता

विकलांगों के पुनर्वास हेतु विशेष रुप से स्थापित केन्द्रों पर विकलांगों को परेशान किया जाए अथवा खराब सेवाएं मिलें तो हमें क्या करना चाहिए ? इस बालक का कुछ भी नहीं हो सकता ऐसी भावना इससे पैदा होती है और बालक व माता-पिता निराश हो जाते हैं । उनको विकलांग के साथ पाला पड़ने का ज्यादा अनुभव नहीं होता । बहुत जरूरी न हो तब भी ऑपरेशन की सिफारिश की जाती है अथवा जांच के बारे में विरोधाभासी प्रतिक्रियाएं मिलती हैं।

यह परिस्थिति वाकई बहुत दुखद होती है। साधनों के बारे में भी यही होता है । सरकारी तंत्र और उसकी प्रभावोत्पादकता पर हम में से कितनों को विश्वास है ? स्वैच्छिक संस्थाए दूरस्थ गांवों में काम करती होंगी पर उनकी मध्यस्थता सीमित है । कई बार तो वे अपने स्व-सहाय समूहों के सदस्यों तक ही सीमित होती हैं । गरीबों के लिए सरकार ही एकमात्र स्त्रोत होती है और उसे मजबूत बनाने के जरूरत है । उसके लिए कमिश्नर के कार्यालय के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा । कर्नाटक में दो पैरों और दो हाथों से विहीन विकलांग को ही बस का पास मुफ्त दिया जाता है । जिस तरह से इस योजना को सार्वजनिक किया गया है, वह विचित्र है । दो पैरों और दो हाथों से रहित व्यक्ति क्या बस में चढ़ सकता है भला ? कितने विकलांग इस पास का उपयोग करेंगे? कई विकलांगों ने न्यूनतम विकलांगता के बावजूद पास हासिल कर लिये हैं । उनके सम्पर्क से ही तो ? विकलांगों को बस-पास नहीं मिलता इस विषय में भारी उलझन है । कानून में बताए मुताबिक ४० प्रतिशत विकलांगता वालों को ही बस-पास मिले ऐसा आदेश जारी होना चाहिए ।

रोजगार

बेकारी एक महत्वपूर्ण समस्या है । व्यावसायिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है ताकि विकलांग भी दूसरों के साथ स्पर्धा में उतर सकें । स्वरोजगार के लिए अधिक अवसरों का सृजन करने की तथा सहयोगी संस्थाओं की समीक्षा करने की जरूरत है । ऐसी संस्थाएं रोजगार विनिमय केन्द्र जैसे केन्द्र चलाएं । उनमें संभावित मालिकों और नौकरियों के अवसर ढूंढे जा सकते हैं ।

शिक्षा

विकलांग बालकों को विद्यालय में शामिल करने हेतु क्या व्यवस्था की गई हैं ? सभी लोग समन्वित शिक्षा की बाते करते हैं, पर कितनी स्कूलों में विकलांग बालकों के लिए ऐसी व्यवस्था है ? उनको किस गुणवत्ता का शिक्षण मिल रहा है ? वाकई कितने विकलांग बालक विद्यालय में जाने चाहिए और वास्तव में कितने जाते हैं ? ऐसी कितने विशिष्ट विद्यालय उपलब्ध हैं कि जहां विकलांग बालक जा सकते हैं ?

पर्यावरण

सार्वजनिक भवनों के निर्माण कार्य हेतु बेंगलूर विकास प्राधिकरण (बी.डी.ए.) द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाता है । परंतु उनमें विकलांगो को जरूरतों को ध्यान में नही रखा जाता । इससे विकलांगों की सहभागिता उत्पन्न नहीं होती । जो नए निर्माण कार्य हों अथवा जहां मरम्मत के काम हों वहां विकलांगों के लिए अवरोध-मुक्त वातावरण बन सके, क्या ऐसा प्रबंध नहीं हो सकता? पहुंच अन्वेषण (एक्सेस ऑडिट) के लिए एक दल काम करता है। उसमें कमिश्नर, वास्तुकारों विभिन्न प्रकार की विकलांगता वाले

लोग इत्यादि हैं । उन्होंने ऐसे अन्वेषण किए हैं और उससे संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं । उनसे जी.पी.ओ. उच्च न्यायालय भारत इलेक्ट्रिकल्स के कारखाने आदि जैसे सार्वजनिक भवनों को समाहित किया है, जहां १०० से अधिक लोग काम करते हैं । उसके परिणामों से आनंद आता है । सही दिशा में काम हो रहा है और परिवर्तन आ रहा है । ऐसे संयुक्त प्रयास शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और साधनों हेतु सहायता प्राप्ति जैसे क्षेत्रों के लिए भी होने चाहिए। इस प्रकार कर्नाटक के कमिश्नर का कार्यालय संवेदनशील और प्रतिक्रियाशील है । हालांकि अब भी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है ।

केन्द्रीय मंत्रालयों के द्वारा उठाए गए कदम

- महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमैंट के साथ मिलकर विकलांगता के बारे में जन जागृति उत्पन्न करने का प्रयत्न किया है । विकलांगता कुपोषण से भी जन्म लेती है और पोषक आधार से वह रोकी जा सकती है, इस बारे में वह जागृति फैला रहा है।
- पल्स पोलियो की खुराक पिलाने का कार्यक्रम अच्छी तरह से चला है। ९५ प्रतिशत बालकों को उसमें शामिल किया गया है । सन १९८७ में २८२५७ बालकों को पोलियो होने का उल्लेख था। सन १९९५ में यह संख्या १००५ हो गई । अंधता निवारण के लिए विटामिन ए पिलाने की पहली खुराक में ७४.३ प्रतिशत और दूसरी - तीसरी खुराक में ४५ प्रतिशत को सम्मिलित किया गया था। सभी राज्यों और केंन्द्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रशिक्षण में विकलांगों की समस्या का समावेश करते हुए कहा गया है । उन्हें एक विशिष्ट मोड्यूल भेजा गया है ।
- समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम (आइ.आर.डी.पी.) में कुल सबसिडी का ३ प्रतिशत पैसा ग्रामीण विकलांग गरीबों हेतु आवंटित किया गया है ।
- स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना की मार्गदशिका में १५ प्रतिशत पैसा विकलांग संबंधी योजना के लिए आवंटित किया गया है ।
- रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक का कार्यालय देश भर में १७ व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र चलाता है । उनमें से ७ कौशल विकास केन्द्र हैं । वह ११ ग्रामीण पुनर्वास विस्तार केन्द्र भी चलाते हैं । सन् १९९७ में उसकी शुरूआत हुई । अब तक उसके द्वारा १,०२,८४५ विकलांगों का पुनर्वास हो चुका है ।
- विज्ञान एवं टैक्नोलोजी विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के साथ मिलकर उपकरण विकास के लिए शोध एवं विकास हेतु पैसा देता है और कम खर्च में उपकरण विकसित कराता है ।

मुख्य विकलांग कमिश्नर क्या मानते हैं ?

- कानून निचले स्तर तक नहीं पहुँचा । कानून की प्रतियां या उसका सारांश स्थानीय भाषा में गांवों तक पहुँचना चाहिए ।
- अधिकाश क्रियान्वयनकर्ता तंत्र विकलांगता अधिनियम के क्रियान्वयन के मामले में प्रतिबद्ध नहीं, विकलांगता को लेकर चिंतित है ।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का शिक्षा विभाग, ग्राम विकास मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय तथा श्रम मंत्रालय ही विकलांगता के संबंध में बजट आवंटित करते हैं ।
- विकलांग लोगों के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के बजट आवंटन में सन १९९६-९७ में रु. ६५ करोड़ था और सन १९९७-९८ में वह ६१ से १४० करोड़ कर दिया गया । हालांकि उसका वितरण असमान रहा है । अधिकांश राशि वर्ष के अंत में आवंटित होती है । इससे स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए जबरदस्त समस्याएं खड़ी हो जाती हैं और वे पर्याप्त मात्रा में अच्छी सेवाएं उपलब्ध नहीं करा सकते ।

उपसंहार

यह सही है कि काफी - कुछ कागज पर ही रहा है । कई बार ऐसा लगता है कि कानून से कोई फर्क नहीं पड़ता । वास्तविकता बिलकुल अलग ही है । परंतु कानून को जानने का प्रयास ही कितनों ने किया है । कानून जान लें और सरकार के द्वारा उठाये गए कदमों का जान लें तो आधी लड़ाई जीत लेंगे । ज्ञान सभी बातों की कुंजी है । विकलांगता नियम की प्रतियां प्राप्त करें और भारत सरकार के विभिन्न कदमों के बारे में जानें, यही इस दिशा में एक अनिवार्य कदम है । **शेष पृष्ठ 29 पर**

समुदाय - आधारित पुनर्वास की प्रक्रिया का मेरा अनुभव

आंध्र प्रदेश की 'बाहुदा' पुनर्वास योजना के निदेशक **श्री ए. प्रसाद** द्वारा लिखे हुए लेख में पुनर्वास के लिए किये गए प्रयासों का विवरण है । यह लेख 'ऐक्शन एड डिसेबिलिटी न्यूज' से लिया गया है ।

भूमिका

बाहुदा सी.वी.आर. (समुदाय आधारित पुनर्वास) परियोजना के दो वर्षों के अनुभवों पर दष्टिपात करने से सचमुच आनंददायी भावना उत्पन्न होती है । स्वाभाविक रूप से ये अनुभव सफलता, निष्फलता, हताशा और सिद्धि का मिश्रण है । पुनर्वास प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र (टी.आर.सी.आर.) में अपने निवास के दौरान मुझे यह सीखने को मिला कि सच्चा समुदाय आधारित पुनर्वासन कार्यक्रम किसी संस्था का प्रस्ताव या बाह्य प्रयास नहीं हो सकता । उसे स्थानीय स्तर पर ही विकसित होना है तथा अनेक संस्थाओं से सेवाएं प्राप्त करनी हैं । इस विचार के साथ बाहुदा समुदाय आधारित पुनर्वासन परियोजना १९९८ के मध्य में शुरू हुई । यह एक लोक-केन्द्री आंदोलन के रूप में शुरू हुई । इस आंदोलन हेतु संगठनात्मक सहारा मूवमैंट फॉर रूरल इमेन्सिपेशन (एम.ओ.आर.ई.) जैसी स्वैच्छिक संस्था से मिला । यह गरीबों और पिछड़ों हुए लोगों के लाभार्थ रचनात्मक प्रवृत्तियां करती है । इस संगठनात्मक सहयोग को ऐक्शन एड इन्डिया (ए.ए.आइ.) की तरफ से टैक्नीकल तथा वित्तीय संसाधन मिलने पर प्रोत्साहन मिला ।

'मोर' निरक्षर महिलाओं के बीच काम करती है । यह चुप रहने के संस्कार को छोड़कर उनको दमन से मुक्त करने का तथा वे स्वयं ही उचित कदम उठाएं - इसके लिए प्रयास करती हैं । यह भूमिका बाहुदा समुदाय आधारित पुनर्वास परियोजना के लिए अनुकूल थी जिसमें विकलांग लोगों को अपनी शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं का बढ़ाना था, नियमित रूप से प्रदान की जाने वाली सेवाओं को प्राप्त करना था तथा अपने समुदाय के साथ पूरी तरह से एकाकार हो जाना था । 'बाहुदा' का अर्थ संस्कृत में हाथ देना होता है । बाहुदा नामक एक छोटी नदी है जो इस परियोजना के परिक्षेत्र से गुजराती है । स्थानीय आंचलिक भाषा में हाथ देना का अर्थ रोजबरोज के जीवन मे किसी को सशक्त बनाना है । इसीलिए समुदाय आधारित पुनर्वास योजना का नाम बाहुदा दिया गया है । बाहुदा समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम में सबसे पहला कदम तो प्रतिबद्ध सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक टुकड़ी तैयार करना था, जो काम करने संबंधी मार्ग प्रशस्त करे । आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में वायलपाडु, मदन पल्ली और कुराबलकोटा तहसील में काम का शुभारंभ हुआ । यह तय किया गया कि प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्ता ८ से १२ गांवों के समूह में कार्य करेगा । इस तरह प्रत्येक तहसील को चार समूहों में विभाजित किया गया और प्रत्येक समूह में एक दलनायक निश्चित किया गया, जो उसका संचालन करे । बारह सामाजिक कार्यकर्ता और तीन दलनायक निश्चित करने तथा उन्हें संबंधित स्थान में नियुक्त करने में छह महीने लग गए । यह एक वाकई रोचक अनुभव था । इसमें कोई सिद्धांत काम नहीं आया और अत्यंत व्यावहारिक तरीके से काम सम्पन्न हुआ । क्षेत्रीय कार्यकर्ता एक बार करणीय - कार्य को समझ जाने के बाद स्वयमेव अंचल और समूह में काम करने लगे। प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्ता को ६० विकलांगों को इकठ्ठा करना था। उनको तीन स्वयंसेवी समूहों में इकट्ठा किया गया । इस स्वंयसेवी समूह को विकलांग लोगों के बीच एकता की भावना सुदृढ़ करनी थी और उन्हें मुख्य धारा के समाज के साथ जोड़ना था। तीन महीनों में बाहुदा के दलों ने ३६ स्वंयसेवी समूहों की समुदाय के स्तर पर रचना की । प्रत्येक स्वंसेवी समूह में ७ से २० सदस्य थे । हर सदस्य विकलांग था अथवा विकलांग व्यक्ति के नजदीक का सगा व्यक्ति था । सामान्यतया १४ वर्षों से कम आयु के विकलांग बालकों का प्रतिनिधित्व उनके परिवार के सदस्य करते थे ।

स्वंय सेवी समूहों के गठन के उपरांत विकलांग संबंधी समस्याओं के बारे में समूह के सदस्यों हेतु प्रशिक्षण आयोजित किया गया ।

उस प्रशिक्षण ने मात्र जागरूकता बढ़ाई, यही नहीं, वरन उनको स्वयं अपने लिए काम करने की प्रेरणा दी, विविध समूहों के स्वयंसेवी समूहों के सदस्यों हेतु १८ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए । एक वर्ष में ये तमाम प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे कराये गए। लगभग ५०० विकलांग व्यक्तियों, विकलांग बालकों के माता-पिता और अन्य लोगों ने यह प्रशिक्षण लिया । इस प्रशिक्षण कार्यक्रम ने यह दर्शाया कि स्वयंसेवी समूहों के सदस्य पुनर्वास की प्रक्रिया को द्रुत गति से आगे बढ़ाने के बारे में अच्छी खासी जानकारी रखते हैं।

एक स्वयंसेवी समूह में अध्यक्ष और मंत्री होते हैं । अध्यक्ष इस समूह का राजकीय प्रधान हो और मंत्री प्रशासनिक कामकाज संभाले । मंत्री को विकलांगता कार्यकर्ता के रूप में पहचाना जाए। सन १९९९ के वर्ष में परियोजना के मुताबिक मात्र पदाधिकारियों के लिए ही पांच प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे । इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ा था क्योंकि प्रतिभागी पहली बार अपने घर और समुदाय से बाहर आए थे तथा उन्होंने विकलांगता संबंधी समस्याओं के बारे में विचार शुरू किया था । इस कार्यक्रम ने विकलांग लोगों के बीच एकता स्थापित कर दी । तमाम ३६ स्वयंसेवी समूहों में एक विकलांगुलु कार्यकर्ता का चयन किया गया था । उसमें २४ महिलाएं और १७ पुरुष थे । आठ तो विकलांग स्वयं ही थे । उनकी औसत आयु २५ वर्ष थी ।

विकलांग व्यक्ति बिखरे हुए और असंगठित थे और रोजमर्रा के जीवन में उन्हें विभिन्न समस्याएं पीड़ित करती थी । परियोजना के अधीन ही गांवों में समुदाय केन्द्रों की स्थापना की गई जहां विकलांग व्यक्ति और अन्य व्यक्ति एकत्र हों और वहां उपचार के लिए निर्धारित कसरतें करें, समूह चर्चा करें, स्वास्थ्य शिविर लगाएं इत्यादि । इन केन्द्रों में विकलांगों की समस्याओं पर चर्चा करने वाले समाचार पत्र आएं, वहां उपचार के लिए उपकरण हों तथा शैक्षणिक सामग्री भी हो । समूह गीत और समूह नृत्य जैसी स्थानीय सांस्कृतिक प्रवृत्तियां करके 'बाहुदा' के दल ने जागरूकता फैलाने का काम किया : इनके लिए स्वयंसेवी समूहों के सदस्यों समेत समुदाय के लोगों को शामिल किया और सांस्कृतिक कार्यक्रम किए । महाकाव्यों की कहानियां कठपुतली के खेल तथा नुक्कड़ नाटक जैसी प्रवृत्तियों के द्वारा कही गई । विकलांगता को होने से रोकने संबंधी तथा पुनर्वास संबंधी कई संदेशों का भी इसके साथ प्रचार किया गया । पांच जिलों में ये कार्यक्रम किए गए, जहां बड़ी तादाद में लोगों ने भाग लिया ।

समुदाय आधारित पुनर्वास कार्य में शिक्षकों को शामिल करने के लिए ५५ प्राथमिक शाला-शिक्षकों से पुनर्वास के बारे में बातें की गई । दलनायक और सामाजिक कार्यकर्ता इन शिक्षकों के लिए कार्यशालाओं के कार्यक्रम तय करते थे और इनका आयोजन करते थे । शिक्षा विभाग की प्रतिक्रिया अत्यंत प्रोत्साहन दायी थी । शिक्षक अब विकलांगों को पहचान कर निकालने और जरूरी काम करने में सामाजिक कार्यक्रमों के साथ कंधे से कंधा मिला रहे थे । परिणाम स्वरूप नियमित शालाओं में विकलांग बालक अधिक दाखिल होने लगे । इस बात को ध्यान में रखकर 'मोर' द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक दिवसीय अभिमुखता कार्यक्रम आयोजित किए गए । उसमें स्थानीय अंचल की संस्थाओं का सहयोग भी लिया गया । स्वास्थ्य क्षेत्र के लगभग ८५ कर्मचारियों से १९९९ में इस प्रवृत्ति के अधीन शामिल किया गया ।

आर्थिक पुनर्वास

'मोर' के काम में पुनर्वास एक महत्वपूर्ण अंग है । विकलांगों हेतु रोजी कमाने के तीन कार्यक्रमों का आयोजन हुआ : १. खेती और उससे संबंधित क्षेत्र की प्रवृत्तियां २. बाजार की जरूरतों पर आधारित तथा समुदाय के अंदर प्राप्त कौशलों पर आधारित खेती से इतर प्रवृत्तियां ३. स्थानीय कारीगरों के सहयोग से आयोजित कौशल प्रशिक्षण ।

विकलांगता से रहित व्यक्तियों की भी रोजगार की स्थिति खराब है, ऐसे में विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना वाकई बहुत मुश्किल है । परंतु विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार अथवा किसी तरह का व्यवसाय आत्मगौरव एवं आर्थिक लाभ के लिए जरूरी है क्योंकि समाज की विचित्र मनोवृत्ति का नकारात्मक प्रभाव इससे कम होता है । इस संदर्भ में, समुदाय - आधारित पुनर्वास में आर्थिक पुनर्वास पर अधिक बल दिया जाता है ।

कृषि के साथ संबंधित प्रवृत्तियों के बहुत लाभ होते हैं । विकलांगों को उनसे आर्थिक, मानसिक एवं व्यावसायिक लाभ होता है । यह

भी बाताया गया है कि विकलांग व्यक्ति अन्य प्राणियों के साथ अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, अंत : १९९९ के दौरान भेड़-बकरी का पालन करने को प्रवृत्ति हाथ में ली गई । ६० विकलांगों में से हरेक को एक-एक भेड़ परिपालन करने हेतु दी गई और कहा गया कि उनके बच्चे उन्हें स्वयंसेवी समूह को वापिस लौटाने होंगे ताकि स्वयंसेवी समूह भेड़-शावकों को अन्य विकलांगों को सौंप सकें ।

खेती के अतिरिक्त अन्य प्रवृत्तियों में बीड़ी बनाना, चटाई बनाना, पत्तलें बनाना, अगरबत्ती बनाना, फूल व साग सब्जी बेचना आदि शामिल किया गया । उनमें ४० विकलांगों को समाविष्ट किया गया तथा 'मोर' द्वारा उनकी देखरेख की गई । संस्थागत व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विपरीत यहां व्यक्तिगत कौशल बढ़ाने तथा विकलांगों और गांव के कारीगरों के बीच सहयोग बढ़ाने पर ध्यान दिया गया । सन १९९९ के दैरान १२ ग्रामीण कारीगरों ने १२ विकलांग व्यक्तियों की प्रशिक्षण दिया । दर्जी का काम, रेशमकीट पालन, सुथारी का काम, साइकिल की मरम्मत आदि के लिए विकलांगों को उन्होंने प्रशिक्षण दिया । उपकरण और व्यावसायिक स्तर पर फीस देकर इस सहयोग को सहारा प्रदान किया गया ।

चिकित्सा संबंधी पुनर्वास

चिकित्सा - पुनर्वास इस परियोजना का मुख्य पहलू है । उसके तीन पक्ष हैं : सर्व प्रथम तो प्रतिरोधक देखभाल महत्वपूर्ण है, जो विकलांगता को होने से रोके । दूसरा, प्रोत्साहक देखभाल जिसमें विकलांग व्यक्तियों को सरकारी व गैर-सरकारी दृष्टि से प्राप्त सुविधाएं उपयोग में लाने हेतु प्रोत्साहन दिया जाता है । तीसरा, पुनर्वास संबंधी उपाय, जिसमें जरूरतें तय करने तथा सहयोगात्मक देखभाल दोनों का समावेश होता है ।

विकलांगता को होने से रोकने हेतु सन १९९९ में बालक के जन्म से पहले और बाद की देखभाल गांवों में ही शुरू की गई । कार्यकर्ताओं ने प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा कार्यकर्ता से मिलकर सगर्भा स्त्रियों एव बालकों के टीके लगाने का कार्यक्रम चलाया । जागरूकता लाने के लिए नियमित रुप से बैठकें आयोजित की और उनमें लगभग २०० माताओं ने भाग लिया । जिन गांवो में स्वास्थ्य - समस्याओं विषयक ज्ञान अपर्याप्त था, ऐसे ३० गांवों में जागरूकता शिविर आयोजित किए गए । उनमें दृश्य-श्रव्य साधनों एवं जन संपर्क के अन्य माध्यमों का उपयोग किया गया ।

विकलांगता के प्रकार	बालकों की संख्या
१. मनो रोग	३
२. मूक- बधिर	४
३. चलने में असमर्थता	१५
४. मंदबुद्धि	८
५. अंधता	४

समुदाय के स्तर पर क्लिनिकल परिषदें आयोजित की गई । उनमें खास-खास विकलांगों की समस्याओं पर चर्चा की गई तथा विशेषज्ञों ने उन समस्याओं के बारे में समझाया । इस चर्चा के आधार पर ३१ कार्यलक्षी योजनाएं तैयार की गई । सन १९९१ में तैयार की गई इन योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :

कई बार यथासमय समुचित उपचार न हो तो विकलांगता बढ़ जारी है । परिणामत: विकलांग लोगों में निराशा जन्म लेती है । विकलांगता को रोकने हेतु और विकलांगों का यथासमय समुचित उपचार किया जाए, उचित कार्यलक्षी योजनाएं बनें और उचित उपकरणों की व्यवस्था हो, इसके लिए प्रत्येक विकलांग व्यक्ति की जरूरत का पता लगाया जाता है । विकलांग व्यक्तियों की इस तरह जांच पड़ताल की गई । उनके लिए चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया गया । तथा सभी विकलांग लोगों का विधिवत पंजीकरण व दस्तावेजीकरण किया गया । चिकित्सक और विशेषज्ञ प्रति माह विकलांग व्यक्तियों से उनके घर जाकर सम्पर्क करें और छान-बीन करें, इसके लिए आयोजन किया गया । ऐक्शन एड इंडिया, सिडनी युनिवर्सिटी और एन.आइ.एम.एम. के साथ विचार-विमर्श के बाद जरूरते पता लगाने संबंधी तैयार अनुसूचियों के आधार पर विकलांग लोगों की जरूरत की छान-बीन की गई । इस अंचल के विकलांग लोग सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं । उन्हें विकलांगता का सामना करने संबंधी साधनों का कोई पता नहीं। फिर वे ये साधन खरीद भी नहीं सकते। परियोजना के अधीन हमने उन्हें इन साधनों के बारे में जानकारी दी। फिर, ७० विकलांगों को राहत दर पर ये साधन भी दिये गए । सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के कारण विकलांग व्यक्ति जरूरी डॉक्टरी सलाह का व्यय-भार भी वहन करने की स्थिति में नहीं हैं। 'मोर' के द्वारा ४५

परिवारों के लिए यह खर्च आंशिक दृष्टि से वहन किया गया ।

शिक्षा

सामाजिक पुनर्वास के भाग के रूप में 'बाहुदा' परियोजना के अनुसार विकलांग व्यक्तियों और बालकों के शिक्षण के लिए व्यवस्था करने का प्रयास भी हुआ है । यथा संभव बालकों के लिए समन्वित शिक्षा का प्रयास किया गया । शिक्षण के कार्यक्रम में विकलांग व्यक्तियों का कौशल विकसित हो, परिवार के सदस्यों समुदाय और अन्य लोगों के कौशल में वृद्धि हो इस पर ध्यान केन्द्रित किया गया । १५३ माता-पिता के लिए विकलांगता के बारे में कार्यशालाएं आयोजित की गईं, उन्हें विकलांग बालकों के पालन की विधि के बारे में जानकारी दी तथा उनके कौशल में वृद्धि की गई । आंध्र प्रदेश सरकार ने समन्वित शिक्षा का अभिगम विकलांग के पुनर्वास हेतु अपनाया है पर विकलांग बालक विद्यालय जाने लगें उसके लिए अधिक प्रयास नहीं किए गए । इसका मुख्य कारण यह था कि शिक्षक उनकी प्रवृतियों के विषय में अनजान थे, यहीं नहीं, अपितु ने अधिक संख्या में विद्यार्थियों के साथ काम भी नहीं कर सकते थे । सन १९९१ के दैरान समन्वित शिक्षण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं ने शिक्षकों के साथ मिलकर काम किया ।

मोर के द्वारा गत वर्ष के दौरान विभिन्न प्रकार की विकलांगता के संदर्भ में शिक्षण एवं मनोरंजन की सामग्री तैयार की गई । सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस सामग्री का उपयोग परिवार से सम्पर्क के समय किया । बताया गया कि यह सामग्री सामाजिक कार्यक्रमों एवं विकलांग व्यक्तियों के बीच संबंध स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण अंग बन गई ।

विभिन्न स्त्रोतों से सहयोग प्राप्त करने हेतु परियोजना कार्यकर्ता कड़ी मेहनत कर रहे हैं । हम सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं के साथ सहयोग बनाए हुए हैं । ताकि विकलांग व्यक्तियों को अधिक लाभ मिले । इस मोर्चे पर अभी उल्लेखनीय प्रगति हासिल की जानी शेष है। परंतु हम जिला ग्राम विकास अधिकरण (डी.आए.डी.ए.) जैसी संस्थाओं और विकलांग कल्याण विभाग जैसी संस्थाओं के साथ आर्थिक व अन्य सहायता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं ।

स्त्रोत : 'ऐक्शन एड डिसेबिलिटी न्यूज', वोल्यूम - ११ अंक १-२-२००० लेखक : ए. प्रसाद, निदेशक बाहुदा, सी.बी.आर. प्रोजेक्ट, वी - ३५७ - ए, प्रकाशन गार्डन्स, मदन पल्ली - ५१७ ३२५, जि. चित्तूर, आंध्र प्रदेश.

पृष्ठ 40 का शेष भाग

उपरोक्त पुस्तक में गंभीरता से जानकारी दी गई है । यह अध्ययन सीमित एवं प्राथमिक स्तर का है । इस क्षेत्र में अभी और भी सघन शोध किए जाने की जरूरत है ।

अशोका फैलोशिप एवार्ड

नवसर्जन ट्रस्ट के द्वारा संचालित कानूनी सहायता एवं मानवाधिकार केन्द्र, सूरत में निदेशक का दायित्व वहन करने वाले श्री सन्नी भाई जप माला को अशोका फैलोशिप मिली है । यह अशोका फैलोशिप एवार्ड उन्हें सूरत जिले की सात आदिवासी तहसीलों - निझर, उच्छल, व्यारा, मांडवी, मांगरोल और उमरपाड़ा में कानूनी जागृति कार्यक्रम द्वारा आदिवासी समाज के सशक्तिकरण हेतु तथा लोक संगठन निर्मित करने हेतु मिला है ।

अशोका एक स्वैच्छिक संस्था है, जिसका मुख्य केन्द्र वाशिंगटन डी.सी.अमेरिका में है । यह संस्था व्यक्तिगत स्तर पर समाजिक समस्याओं के संबंध में यदि कोई नई दिशा खोजकर उल्लेखनीय काम करता है, उसे एवार्ड प्रदान करती है । विकास के क्षेत्र में नए विचार लाकर और उन्हें समाज के हित में मानवधिकार के संदर्भ में प्रयोग करके सफलता प्राप्त करता है उसे यह फैलोशिप एवार्ड दिया जाता है ताकि यह विकास की नई विचारधारा, नई दिशा अपने देश को तथा पूरे विश्व को मिल सके । इस फैलोशिप में व्यक्ति को तीन वर्षों के लिए अशोका फैलोशिप से आर्थिक सहायता मिलती है । इससे व्यक्ति सामाजिक विकास में अपना मौलिक योगदान दे सकता है । बीस वर्षों में दुनिया भर के ४० देशों में यह अशोका फैलोशिप ११०० व्यक्तियों को मिल चुकी है। वे लोग शिक्षा, स्वास्थ्य स्त्री-पुरुष समानता, मानवधिकार आदि क्षेत्रों में सामाजिक विकास में नए विचार और नयी दिशा देकर सामाजिक विकास में योगदान दे रहे हैं ।

गतिविधियां

महिला सम्मेलन

राजस्थान में अलवर जिले की बहरोड़ तलसील में पंचायतों में चुनी हुई महिलाओं का एक सम्मेलन दिनांक १४-९-२००१ को आयोजित किया गया था । बहरोड़ तहसील पंचायत और पंचायती राज जन-प्रतिनिधि समन्वय समिति के संयुक्त सहयोग से इसका आयोजन किया गया था । इसमें अलवर, अजमेर, झुनझुनू, जोधपुर, टोंक तथा जयपुर जिले की लगभग ५०० महिला प्रतिनिधि उपस्थित थी। इनके अलावा महिला नेता, स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, पत्रकार तथा सरकारी अधिकारी भी इसमें उपस्थित थे । सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे ।

१. महिलाओं को अपने अनुभवों का आदान-प्रदान करने हेतु मंच प्रदान करना ।
२. महिलाओं के नेतृत्व के महत्व पर बल देना ।
३. महिलाओं की एकता और उनके सामूहिक प्रयासों की जानकारी तथा महत्व पर बल देना ।

सम्मेलन में चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों ने वे पंचायत में कैसे चुनी गई, उनको क्या-क्या मुसीबतें तंग करती हैं और उनका सपना क्या है, इन विषयों पर अपने विचार प्रगट किए । समूह चर्चा के लिए महिला सदस्यों को अनेक समूहों में विभाजित किया गया । फिर, प्रश्नोत्तर, सांप-सीढ़ी के खेल के द्वारा वातावरण जीवंत बना । महिलाओं की समस्याओं से संबंधित अनेक रंगीन भित्तिचित्र भी सम्मेलन स्थल पर प्रदर्शित किए गए थे । एक लघु नाटक की प्रस्तुति हुई थी, नाम था : 'कमला बा की सरपंच', उसमें कमला नामक एक स्त्री की बात थी जो पहली बार पंचायत में चुनी गई थी। वह वाकई एक आदर्श सरपंच कैसे बनती हैं और गांव में उसकी क्या भूमिका है, इसके बारे में बताया गया था । सम्मेलन में महिला सदस्यों ने पुरुषों के प्रभुत्व से बाहर निकल कर अपना नेतृत्व विकसित करने का संकल्प किया था ।

दान के प्रवाह विषयक पुस्तक का विमोचन

सम्प्रदान - भारतीय मानववादी केन्द्र, दिल्ली द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं के द्वारा अपनाए जाने वाले आर्थिक सहयोग को प्राप्त करने की अलग-अलग पद्धतियां और दान के प्रवाह के बारे में अध्ययन हाथ में लिया गया है । इन्वेस्टिंग इन अवरसेल्वेज: गिविंग एंड फंड रेजिंग इन इंडिया नामक एक पुस्तक सुश्री पुष्पा सुंदर के द्वारा उस अध्ययन के निष्कर्ष के रूप में प्रकाशित की गई है ।

इस पुस्तक का विमोचन समारोह दिनांक २७ सितंबर, २००१ को अहमदाबाद में आयोजित किया गया । पुस्तक का विमोचन श्री सुनीलभाई पारेख (कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज गुजरात के सीनियर डायरेक्टर) के द्वारा सम्पन्न हुआ। इस समारोह का आयोजन अहमदाबाद कम्युनिटी फाउन्डेशन के तत्वावधान में हुआ । यह अध्ययन इन्डोनेशिया, फिलिपीन्स, थाईलैन्ड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल तथा भारत - इन सात देशों में एशिया पैसेफिक फिलान्थ्रोफी कन्सोर्टियम के सौजन्य से हाथ में लिया गया था । यह अध्ययन मार्च २००० से अगस्त २००० के दोरान किया गया । इस अध्ययन के मुख्य मुद्दे इस प्रकार थे :

१. दान देने के राष्ट्रीय प्रवाह के बारे में सर्वेक्षण, दान देने की प्रेरणा और उसका फैलाव ।
२. किसी भी प्रकार के अनुदान के बिना सर्जनात्मक तरीके से वित्तीय स्त्रोत्त खड़ा करने हेतु जानी-मानी संस्थाओं की केस स्टडी।

भारत के शहरी क्षेत्रों में ९६% उच्च एवं मध्यम वर्ग के परिवार दान की भावना से पैसा देते हैं । इस प्रकार का दान १६.१६ अरब रुपया है । सामान्यतया जाने-पहचाने लोगों, भिखारियों, प्राकृतिक विपत्तियों के शिकार बने लोगों, नौकरी, धार्मिक संस्थाओं तथा सेवाभावी संस्थाओं को लोग दान देते हैं । भारत में दिये जाने वाले कुल दान में से ४९% व्यक्तिगत लोगों को दिया जाता है । संबंधियों और मित्रों को ५३% तथा भिखारियों को २४% पैसा जाता है । जबकि कुल दान की १७% राशि प्राकृतिक विपत्तियों के शिकार लोगों को दी जाती है । इन सब में धार्मिक संस्थाओं को प्रदत्त दान २९.५% के आसपास है । अध्ययन के दौरान जानने को मिला कि भारत में कुल दान का ३७% दान दक्षिणी भारत से आया है । पश्चिमी भारत से २४% उत्तरी भारत से १७% और मध्य भारत से ५% दान की बात दर्ज है । इनमें आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक बातों एवं जागृति का स्तर महत्वपूर्ण भाग अदा करता है ।

हिन्दू - जैन समुदाय द्वारा प्रदत्त दान कुल दान का ८८% है । दुनिया भर के मुस्लिम समुदाय द्वारा कुल दान का ६%, ईसाई समुदाय द्वारा २% और सिख समुदाय द्वारा २% दान दिया जाता है । वैसे वार्षिक औसत दान की दृष्टि से ईसाई समुदाय प्रथम स्थान पर है। सामान्यत दान या नगद रूप में दिया जाता है । ६४% दानवीर नगद दान देते हैं । लोग दान देने के लिए किस तरह से प्रेरित होते हैं । इस बारे में बड़ी मजेदार जानकारी मिली है । ६८% लोग दया भावना से, ४८% लोग अपनी पसंद से और ४६% लोग धार्मिक मान्यताओं से प्रेरित होकर दान देते हैं । संस्था के उत्तम ध्येय से अभिभूत होकर दान देने वाले लोग लगभग २९% है । अध्ययन बताता है कि कर बचाने के उद्देश्य से शायद ही कोई दान देता है। वैसे स्वैच्छिक संस्थाओं का अनुभव बताया है कि बड़े दानवीर कर बचाने की बात विशेष रूप से ध्यान में रखते हैं।

अधिकांश संस्थाओं ने दान प्राप्ति के शुरूआत एक पद्धति से की होती है, परंतु जब वे दान प्राप्त करने के लिए विविध प्रकार की पद्धतियां अपनाते हैं । भारत की कंपनियां फंड प्राप्त करने की सबसे बड़ी स्त्रोत हैं । दान पाने के लिए कई संस्थाएं दानवीरों से सीधी अपील करती हैं । कई लोग डोनेशन-बॉक्स बनाते हैं । अधिकांश संस्थाएं फंड प्राप्त करने के लिए ग्रीटिंग कार्ड बेचती हैं। फंड प्राप्त करने के काम के लिए अधिकांश संस्थाओं के अपने कर्मचारियों और स्वयंसेवकों पर निर्भर रहना पड़ता है । संस्थाओं के उच्च स्तर के सम्पर्क फंड प्राप्त करने में बहुत मददगार साबित होते हैं । संस्थाओं में कार्यभार, जिम्मेदारियां तथा प्रवृत्तियों के कारण फंड प्राप्त करने की प्रवृत्ति प्रभावी नहीं हो सकती । अधिकांश संस्थाओं के पास फंड प्राप्त करने का कौशल जानने वाले कार्यकर्ता नहीं हैं । फंड प्राप्त करने में संस्था का ध्येय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । बालकों, विकलांगों, प्राकृतिक विपत्तियों, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे मुद्दे पर भाव-प्रवण अपील करके फंड प्राप्त करना सरल होता है । संस्था के अग्रणी व्यक्ति की साख व सम्पर्क फंड पाने में महत्वपूर्ण होते हैं । मैनेजमैंट और नेतृत्व भी इसके लिए अनिवार्य है । ग्रामीण क्षेत्रों में अन्न, स्वयंसेवकों को मिलने वाली जगह, समय एवं परिश्रम का पैसा के जितना ही महत्वपूर्ण दान हो जाता है ।

दान प्राप्ति की पद्धतियों एवं स्त्रोतों का समन्वय करना बहुत जरूरी है । उसमें दानवीर के विवरणों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। यथा उसकी क्षमता, पहचान और संदर्भ एवं निष्कर्ष के बारे में

शेष पृष्ठ 38 पर

संदर्भ सामग्री

ह्यूमन डेवलपमैंट रिपोर्ट - २००१

प्रति वर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमैंट प्रोगाम - यू.एन.डी.पी.) द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला यह प्रतिवेदन इस वर्ष नयी तकनीक एवं मानव-विकास के संबंधों पर ध्यान केन्द्रित करता है । यह अंग्रेजी प्रतिवेदन पांच प्रकरणों में विभाजित है : मानव विकास - भूत, भविष्य, वर्तमान, आज के तकनीकी परिवर्तन - नेटवर्क युग का सर्जन, तकनीकी परिवर्तन के खतरों का संचालन, मानव सर्जनात्मकता का प्रवाह - राष्ट्रीय व्यूह रचनाएं और मानव - विकास हेतु तकनीकों के सर्जन हेतु वैश्विक पहल ।

इसमें क्रिम दाई जंग, एम.एस.स्वामीनाथन और मोर्टन रोस्त्रप जैसे विद्वानों के तीन विशेष लेख दिये गए है । ३१ बॉक्स आइटम, २० तालिकाओं, १७ आलेखों, ७ विशिष्ट आलेखों तथा एक नक्शे के द्वारा प्रस्तुति को रोचक तथा आकर्षक बनाया गया है । इसके अलावा मानव विकास प्रतिवेदन में प्रतिवर्ष मानव विकास के बारे में जो आंकड़ात्मक निर्देशक दिये जाते हैं, वे तो हैं ही । उसकी २८ तालिकाएं दी गई है । विश्व के १६२ देशों की मानव - विकास विषयक सूचना इस प्रतिवेदन से मिलती है। भारत मानव विकास की दृष्टि से ११५वें क्रम पर है, यह इस प्रतिवेदन से पता लगता है। उच्च, मध्यम तथा निम्न मानव - विकास को इस तरह तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है ।

यह प्रतिवेदन अन्य तमाम मानव विकास प्रतिवेदनों की तरह दुनिया भर के लोगों के लिए है । यह इस बारे में हैं कि वे लोग किस तरह अपनी जिंदगी सुधारने के लिए तकनीकी का सृजन कर सकते हैं और उसे उपयोग में ला सकते हैं । मानव विकास की दिशा में सूचना एवं संचार तकनीकी तथा जैव तकनीकी में होने वाली क्रातियों को मोड़ा जा सके । इसके लिए नयी सार्वजनिक नीतियां तय करने के बारे में इस प्रतिवेदन में कहा गया है । इस प्रतिवेदन में छह महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है, जो इस प्रकार है :

१. टैक्नोलोजी का अंतर आमदनी में अंतर पैदा करे ही, यह जरूरी नहीं । समग्र इतिहास के काल के दौरान मानव विकास और गरीबी दूर करने हेतु टैक्नोलोजी एक शक्तिशाली साधन रहा है ।
२. टैक्नोलोजी की प्रगति के लिए बाजार एक सशक्त इंजन है । परंतु गरीबी के निवारण के लिए जरूरी टैक्नोलोजी का सृजन और वितरण करने हेतु बाजार पर्याप्त सशक्त नहीं ।
३. नयी टैक्नोलोजी से विकासमान देशों को जबरदस्त लाभ हो सकता है परंतु उसके खतरों को झेलने के लिए भारी चुनौती का उन्हें सामना करना पड़ता है ।
४. टैक्नोलोजी की क्रांति और वैश्वीकरण एक नेटवर्क युग का सर्जन करते हैं और वह टैक्नोलोजी किस तरह सृजित एवं वितरित होगी, उसे बदलता है ।
५. नेटवर्क युग में भी यांत्रिक नीतियां अब भी महत्वपूर्ण हैं, तमाम देशों सबसे गरीब देशों को भी, विकासित कौशलों की शोध, पहुंच एवं विकास को प्रोत्साहन मिलने वाली नीतियां क्रियान्वित करने की जरूरत है ।
६. वैश्विक बाजार के निष्फलताएं दूर करने में राष्ट्रीय नीतियां पर्याप्त नहीं । दुनिया के गरीब लोगों की सबसे तात्कालिक जरूरतों के लिए नयी टैक्नोलोजी का उपयोग हो, उसके लिए नयी अंतरराष्ट्रीय पहल तथा वैश्विक नियमों का समुचित उपयोग जरूरी है ।

यह प्रतिवेदन बताता है कि विकासमान देशों में तकनीकी क्षमता का निर्माण करने हेतु सुरक्षा की नहीं, नीति की जरूरत है ।

हैल्थ सिचुएशन इन इंडिया : २००१

दिल्ली की वॉलंटरी हैल्थ एसोसियेशन ऑफ इन्डिया ने भारत में स्वास्थ्य संबंधी स्वतंत्र आयोग का गठन स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति की तहकीकत एवं स्वास्थ्य सेवाओं की समस्याओं को खोजने के लिए की थी । उस सम्पूर्ण विवरण का यह अंग्रेजी सारांश है । स्वास्थ्य अर्थशास्त्र, स्वैच्छिक कार्य, आयोजन, प्रशासन

आदि क्षेत्र के ग्यारह विशेषज्ञों द्वारा बने हुए इस आयोग ने जो प्रतिवेदन दिया है । उसका यह सारांश डॉ. एन. एस. देवधरे ने तैयार किया है । इस सारांश में सात लघु प्रकरण हैं : प्रस्तावना, सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधारभूत निर्धारिक और नग्न सत्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की बुनियादी जरूरत और वर्तमान स्थिति, रोग-नियंत्रण हेतु सार्वजनिक स्वास्थ्य के बुनियादी उपाय, छुतहे रोग - नियंत्रण - व्यूह रचना हेतु सिफारिशें और संदर्भ ।

यह विवरण दो वर्षों के परिश्रम के पश्चात् तैयार किया गया है । इसको दिनांक १३.५ १९९८ के दिन प्रधान मंत्री ने लोकार्पित किया था । प्रधान मंत्री ने इस समय ऐसा भरोसा दिलाया था कि स्वास्थ्य नीति एवं योजनाएं बनाने में सरकार इस प्रतिवेदन पर पर्याप्त ध्यान देगी प्रतिवेदन में सार्वजनिक स्वास्थ्य की छह महत्वपूर्ण समस्याएं पहचानी गई हैं :

(१) सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को सुधारना तथा उसे सचेतन बनाना, (२) स्वास्थ्य - सेवा में सार्वजनिक क्षेत्र और डॉक्टरी नीतियां, (३) स्वास्थ्य सेवा में मानव संसाधन विकास (४) स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार और स्वास्थ्य हेतु बाहरी सहायता (५) स्वास्थ्य सेवा की रीतियों को सुदृढ़ बनाने में भारतीय स्वास्थ्य - विज्ञान की भूमिका (६) एच.आई.वी. एड्स और प्रजनन एवं बाल आरोग्य ।

प्रतियों हेतु सम्पर्क करें : वालंटरी हैल्थ एसोसियेशन ऑफ इंडिया, ४० इंस्टीट्यूशनल एरिया, कुतुब होटल के पास, नई दिल्ली - ११००१६.

अन्न की असुरक्षा की ओर ?

गुजरात के विशेष संदर्भ में यह पुस्तिका लेखिका के शोध कार्य पर आधारित है । इसमें मात्र सैद्धांतिक बिचारों की ही बात नहीं है, परंतु गुजरात में कृषि विषयक नयी नीतियों का वाकई क्या प्रभाव पड़ा है तथा राज्य के लोगों की अनाज के मामले में सुरक्षा कैसी रही है । इसके गर्भित अर्थों का भी विवेचन हुआ है। पुस्तिका में अन्न की असुरक्षा क्या है। भारत में अन्न - सुरक्षा के मुद्दे, तुलनात्मक लाभ-विरूद्ध स्वालंबन, टिकाऊ खेती, खेती का व्यापारीकरण, जमीन भोगने के हक, परिवार की असमानता, अन्न - सुरक्षा संबंधी अभिगम, राष्ट्रीय अन्न कार्य सूची इत्यादि मुद्दे के बारे में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के साथ चर्चा की गई है ।

गुजरात में खेती की स्थगितता, खेती के क्षेत्र में वृद्धि दर, खेती में कुल और प्रति व्यक्ति आमदनी, गुजरात में उपलज के नमूने, कृषि-योग्य भूमिका विस्तार, विविध फसलों की उत्पादन वृद्धि दर, पानी का जत्था और उसकी गुणवत्ता, उद्योगों का प्रवेश इत्यादि मुद्दों की चर्चा गुजरात की अन्न सुरक्षा के संदर्भ में की गई है । पुस्तक में छह तालिकाएं और एक आलेख दिया गया है और तर्क को आंकड़ों की प्रस्तुति से पुष्ट किया गया है। इस पुस्तक में मात्र परिस्थिति का वर्णन ही नहीं है, बल्कि दुष्काल की स्थिति में उठने वाली समस्याओं के निवारण हेतु जो-जो संभवित प्रयत्न किए जाने चाहिए, उनका विवेचन भी किया गया है । उसमें जो सुझाव दिये गए हैं वे ऐसे हैं कि जो कर्मशीलों और संगठनों, समस्याओं और आंदोलनों में अर्थपूर्ण चर्चा के लिए उचित भूमिका बांध सकते हैं। लेखिकाः दर्शिनी महादेविया, अनुवादः सुवर्णा देशपांडे, सोफिया खान, प्राप्ति स्थानः विकास अध्ययन केन्द्र, डी - १ शिवधाम - ६२४, लिंक रोड, मलाड (पश्चिम) मुंबई - ४०००६४, पृष्ठ ५२.

पीपल्स वोईसेजः पूअर अंडर द लिबरलाइज्ड इकोनोमी

छह वर्षों की अवधि के दौरान गुजरात की स्थानीय स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग से गुजरात के जिन सात इलाकों में शोध-कार्य हाथ में लिया गया था, यह उसका प्रतिवेदन है । मांडवी (कच्छ) मांगरोल (जूनागढ़) पोशिना और ईडर (साबरकांठा) तथा नरोडा और दसक्रोई (अहमदाबाद) में नयी आर्थिक नीति के कार्यक्रमों का जो प्रभाव पड़ा और जिसके प्रति स्थानीय स्तर पर लोगों ने जो प्रतिक्रिया दी, उसका विवरण इस प्रतिवेदन में समाहित है । इस अध्ययन का उद्देश्य सिर्फ ढांचागत व्यवस्था कार्यक्रम की नीतियों के अधीन गरीबों की दशा के बारे में समझ पैदा करना नहीं है, उचित गरीबों पर इन नीतियों के आरंभ में यह समझाया गया है कि गुजरात में ढांचागत व्यवस्था कार्यक्रम क्या है तथा गुजरात में कैसे नीतिगत परिवर्तन किए गए, यह दर्शाया गया है । आगे गरीबों के जीवन-निर्वाह की स्थिति तथा प्राकृतिक संसाधनों पर पड़े उसके प्रभाव का विश्लेषण किया गया है । बाद में जल के अनियंत्रित

शेष पृष्ठ 26 पर

साथ मिलकर जीयें

विकलांग व्यक्तियों को समाज में सम्मिलित करने संबंधी सकारात्मक प्रयास विकालांग व्यक्तियों को समाज में सम्मिलित करने संबंधी सकारात्मक प्रयास के भाग स्वरूप यह फ्लैशकार्ड का सम्पुट विकासात्मक कार्यक्रमों के लिए तैयार किया गया है । विकलांगता के विषय में सकारात्मक तरीके से चर्चा करवाने के उद्देश्य से समुदाय के कार्यकर्तओं, शिक्षकों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों विकलांग के संबंध में कार्यरत कार्यकर्ताओं आदि के लिए यह सम्पुट बनवाया गया है ।

विकलांग स्त्री, पुरुष व बालकों का जीवन दर्शाने वाले अनके चित्र इसमें प्रस्तुत किए गए हैं । इन चित्रों के द्वारा उनके जीवन के बारे में जानने का अवसर उपलब्ध कराया गया है । विकलांग व्यक्तियों के आसपास के लोगों की मनोवृत्ति एवं व्यवहार के कारण उन लोगों का जीवन अन्य लोगों की अपेक्षा कितना अलग हो सकता है, यह इन चित्रों में दर्शाये गया है । सम्पुट में यह भी दर्शाया गया है कि मनोभावों और व्यवहार में बदलाव लाकर तथा समुदाय आधारित कुछ प्रयत्नों से इन लोगों का जीवन बदला जा सकता है।

इन दृश्यों में शालाओं महिलाओं के समूह तथा गांव के रोजमर्रा के जीवन में विकलांग व्यक्तियों की रोजाना की जिंदगी पर बल दिया गया है । इनमें स्थानीय समुदाय के रहन - सहन को ध्यान में लाया गया है। सम्पुट की प्रभावोत्पादकता जांचने के लिए सहभागी संस्थाओं के सहयोग से चित्रों का क्षेत्र परीक्षण भी किया गया । समुदाय की प्रतिक्रिया के आधार पर स्थानीय लोगों के अनुरूप कहानियां रची गई हैं । परिणाम स्वरूप वे लोग फ्लैश कार्ड में वर्णित स्थिति को पहचान सकेंगे और उसे कहानी के साथ जोड़ सकेंगे । विकलांगों के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदले तथा प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से स्वीकार हो, ऐसे समाज की रचना का यह प्रथम कदम है।

सेंटर फॉर डिसेबिलिटी एंड डेवलपमैन्ट (सी.डी.डी.) क्रिस्टोफर ब्लिंडन मिशन (सी.बी.एम.) तथा हैंडिकेप इन्टरनेशनल, बांग्लादेश द्वारा तैयार किए गए फ्लैश कार्डस से ये फ्लैश कार्डस तैयार कराये गए हैं । इनमें कार्ड का उपयोग करने संबंधी छह संकेत भी दिए गए हैं । इस कार्ड का उद्देश्य विकलांगता के प्रति विधमान नकारात्मक मनोवृत्ति को बदलना है । इसके प्रदत संकेत प्रत्येक चित्र से संदर्भित हैं । सम्पुट में कुल १६ चित्र हैं । प्रत्येक चित्र में उसका उद्देश्य दर्शाया गया है तथा वह चित्र किसलिए उपयोग में लेना है, यह भी बताया गया है । प्रत्येक चित्र में उद्देश्य के नीचे तीन से पांच प्रश्न पूछे गए हैं । इन प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थियों को देने हैं। प्रश्नों के उत्तरों से विकलांगों की समस्याओं का निरूपण और उनका हल खोजा जा सकता है ।

शिक्षक प्रशिक्षक को पहले से ही अपने सत्र का आयोजन कर लेना चाहिए । जहां आराम से चर्चा हो सके, ऐसा स्थान और योग्य समूह चुन लेना चाहिए । चर्चा के उद्देश्य और उसके लिए जरूरी समय (कम से कम एक घंटे) के बारे में समूह को पहले से ही सूचना दे दी जानी चाहिए ।
इन फ्लैश कार्ड के साथ अंग्रेजी में प्रशिक्षण - मार्गदर्शिका भी उपलब्ध है ।
प्राप्ति स्थान : उन्नति और हैंडिकेप इन्टरनेशनल,
प्लॉट नं. ९८ वार्ड नं. २, गांधीधाम, आदीपुर ३७० ११०.

विगत तीन माह के दौरान उन्नति द्वारा निम्न प्रवृत्तियाँ हाथ में ली गई थी :

राज्य स्तरीय विभाग

स्थानीय प्रयासों को सहयोग

गुजरात

२६ जनवरी के भूकंप के बाद उत्पन्न संकटपूर्ण परिस्थिति के संदर्भ में हमने भचाऊ (कच्छ जिला) में पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू करने के लिए वहाँ अलग से एक कार्यालय खोला है । इस समय वहाँ चार प्रकार की प्रवृत्तियाँ चल रही हैं और इन तीन महिनों की अवधि में निम्न बातों पर ध्यान केंद्रित किया गया था :

(१) समुदाय आधारित पुनर्वास

- एकाकी महिलाओं, विधवाओं, अनाथ बालकों एवं विकलांगों आदि सबसे दुर्बल वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया गया है । उनकी विशिष्ट जरूरतों पर नजर रखने तथा उन्हें सेवाएँ प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाने के उद्देश्य से 'सोशियल वाच' को आरंभ किया गया है । उन्हें 'स्नेह समुदाय' परियोजना के अधीन 'ऐक्शनएड (इंडिया)' द्वारा सहयोग मिलता है तथा प्रति माह ५०० परिवारों की देखरेख की जाती है। इसमें परामर्श, डॉक्टरी सेवा, जीवन-निर्वाह तथा आवास जैसी सेवा की प्राप्ति पर ध्यान दिया जाता है ।
- जिन लोगों को तत्काल डॉक्टरी सेवा की जरूरत हो, उनके लिए पुणे के 'मैत्री ट्रस्ट' और 'महीन्द्रा ब्रिटिश टेलिकोम' के सहयोग से एम्बुलेंस सेवा चलती है। मरीजों को आवश्यकता के अनुसार भुज, राजकोट और अहमदाबाद ले जाया जाता है ।
- विकलांगता, मृत्यु एवं मकान के लिए २५ मामलों में मुआवजा देने में मदद दी गई ताकि उन्हें उचित मुआवजा मिल सके।

(२) आवास और जीवन निर्वाह

- स्थानीय तरीके से प्राप्त होने वाली सामग्री में से मकान बनवाने हेतु ४६९ परिवारों को सहयोग दिया गया था । गरीबों के लिए मकान बनाना एक निरतंर चलने वाली प्रवृत्ति है । वर्तमान मकान को भी ढंग से सुधारा जा सकता है । मुख्य तथा आवश्यक मार्गदर्शन एवं सामग्री प्रदान की जाती है ताकि भूकंप प्रतिरोधी मकान बनाया जा सके । जो मकान बनवाए गए हैं उनमें से २२८ दलितों, ५९ कोलियों, ५९ मुस्लिमों और ११३ अन्य समुदायों के हैं । १७८ मकान विधवाओं, २१ विकलांगों, ३ अनाथ बालकों तथा २६७ गरीबों व वृद्धों के लिए हैं । 'ऐक्शनएड' तथा एच.एस.बी.सी. द्वारा इस प्रवृत्ति को सहयोग दिया जाता है ।
- भचाऊ में 'मैत्री ट्रस्ट' तथा अहमदाबाद के 'नासा फाउन्डेशन' के सहयोग से सार्वजनिक शौचालय की एक ईकाई शुरू की गई है ।
- सरकार मुआवजे के पैकेज में भूकंप प्रतिरोधी घर बनवाने हेतु घोषित नियमों के अनुसार मकान बनवाने के लिए लोगों को ग्राम-स्तर पर प्रशिक्षण देती है । नियमित रूप से तकनीकी सलाह भी देती है ।
- १२० बुनकर परिवारों को उपकरण व सूत दिलाया गया है ताकि काम शुरू कर सकें । इनमें से ४२ को वर्कशेड और करघे उपलब्ध कराए गए हैं और उन्हें नए स्थान पर बसाया गया है । स्थानीय सहारे से 'ऐक्शनएड इंडिया सोसाइटी' द्वारा सहयोग दिया जाता है।
- मोरगर और भुजपर गाँवों में ५६ परिवारों को १६ ब्लॉक प्रिंटिंग इकाइयों में सहयोग दिया गया है । वर्कशेड बन रहा है तथा डिजाइन हेतु उपकरण अभी उपलब्ध कराये जा रहे हैं ।
- कसीदाकरी के काम में ७५ महिलाओं को अमरसर, नेर तथा बनियारी गाँवों में सहायता दी जा रही है ताकि उनकी वस्तुओं की बिक्री हो सके ।
- भचाऊ और आसपास के गाँवों के २५ व्यक्तियों को रोजगार लगाने के लिये सहयोग दिया गया है । उन्हें हाथलारी, गल्ले तथा सिलाई की मशीन उपलब्ध कराई गई हैं ।

(३) सहभागी नगर आयोजन

- भचाऊ में नगर आयोजन की जिम्मेदारी सरकार की ओर से अहमदाबाद की दलाल कन्सलटेंन्ट सर्विसेस को सौंपी गई है और सहभागी नगर आयोजन की प्रक्रिया शुरू की गई है। नगर योजना तैयार की जा रही है, जिसमें तमाम हिताधिकारियों को शामिल किया जा रहा है । २५ अगस्त, २००१ को नगर के बारे में मुख्य बातें सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई थीं । उन्हें कन्सलटेंट और एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी) के सामने भी प्रस्तुत किया गया था । ए.डी.बी. उसके लिए आर्थिक सहयोग देने वाली मुख्य संस्था है । आयोजन की प्रक्रिया में जो विस्मृत हो गए थे ऐसे १२०० परिवारों के हितों की रक्षा हमारे प्रयासों से हुई है ।

(४) संस्थागत समन्वय

- संयुक्त समझ विकसित करने के लिए सरकार के साथ पारस्परिक संबंध बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है । अभी तक देखरेख के दो दौर पूरे किए गए हैं । प्राप्त सूचनाएँ वेब-पेज में संग्रहीत की गई है । अनुवर्ती कार्य के लिए वह सरकार और स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए उपयोगी है ।

राजस्थान

- राजस्थान में हम १५ स्वैच्छिक संगठनों को थार रेगिस्तानी अंचल में जीवन-निर्वाह एवं बुनियादी अधिकारों के मसले में सहयोग दे रहे हैं ।
- दलित अधिकार अभियान द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर दलितों के प्रति भेदभाव के १० मामले उठाए गए । संधरी और बालोतरा में प्राथमिकशाला ओर होटलों में ऐसा भेदभाव रखा जाता था । अत्याचारों के तीन मामले भी उठाए गए ।
- जमीन दबाने के सवाल पर अधिकारों का आंदोलन शुरू किया गया । ३२० बीघा खेती की जमीन मुक्त करवाई गई तथा दूसरी ३६० बीघा जमीन मुक्त कराई जाने की तैयारी में है । स्थानीय नेताओं को कानूनी मदद दी जा रही है तथा सरकार के साथ काम करने की उनकी क्षमता को बढ़ाया जा रहा है ।
- दलित संदर्भ केंन्द्रों द्वारा पांच ग्राम पंचायतों ने दलितों के लिए घर के पट्टों के विषय में कानून के बारे में प्रस्ताव किया है तथा वे संबंधित अधिकारियों को सौंपे गए हैं ।
- अभियान के द्वारा सार्वजनिक सम्पत्ति संसाधनों के वितरण और प्राप्ति का सवाल उठाया गया है, विशेष रूप से पानी को ले कर । बैतु तहसील के तीन गाँवों ने ट्रैक्टर द्वारा पानी ले जाने के विरुद्ध प्रतिबंध हेतु प्रस्ताव रखा है ।
- राज्य में अस्पृश्यता की स्थिति के बारे में अध्ययन कार्य हाथ में लिया गया है । यह 'ऐक्शनएड' द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने वाले अध्ययन का एक हिस्सा है । इस में १२ जिलों की ३४ तहसीलों के ५० गाँवों का समावेश किया गया है । अंतिम प्रतिवेदन आगामी तीन माह की अवधि में तैयार होगा ।
- अभियान की सभी सदस्य नवीन संस्थाओं को आयोजन, लोक सहयोग, देख-रेख एवं समर्थन के लिए प्रशिक्षण दिया गया है ।
- छह संस्थाओं को कृषि-आधारित जीवन निर्वाह हेतु सहयोग के लिए मदद दी गई है ।

स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन

गुजरात

- प्राथमिक शिक्षा में पंचायत की सत्ता विषय पर एक शोध शुरू की गई है । इसका उद्देश्य यह देखना है कि प्राथमिक शिक्षा में पंचायतों की क्या भूमिका है । पंचायतों और राज्य सरकार ने यह अध्ययन कराया है । राज्य स्तर पर तथा जिला स्तर पर एक अधिकारी से मुलाकात की गई है । राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र की भी मुलाकात ली गई है । जिला पंचायत में बैठकें आयोजित

की गई है तथा जिला प्राथमिक शिक्षाधिकारी एवं चयनित प्रतिनिधियों के साथ बातचीत हुई है । दसक्रोई तहसील की पाँच पंचायतों को इस अध्ययन में शामिल किया गया है । पंचायत के सदस्यों और शिक्षकों से साक्षात्कार किया गया है । प्रतिवेदन तैयार हो रहा है और जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी ।

- ७३ वें संविधान संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायतों को उनकी अपनी योजनाएँ तैयार करने के अधिकार दिए गए हैं । दसक्रोई तहसील में ५ तथा ओखामंडल तहसील में ८ गाँवों में इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है । स्थानीय नेताओं, पंचायत सदस्यों, सरपंचों, तहसील पंचायत के सदस्यों आदि के साथ बैठकें आयोजित की जा रही हैं ।
- विपत्ति संचालन में चयनित प्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में एक शोध-अध्ययन किया जा रहा है ।
- अहमदाबाद जिले के धोलका नगर में नागरिकों की भागीदारी की रिपोर्ट-कार्ड-पद्धति द्वारा समीक्षा हो रही है । सितंबर से वहाँ पंचायत तथा नगरपालिका संदर्भ केन्द्र शुरू किया गया है ।

राजस्थान

- ग्राम सभा में लोगों की भागीदारी बढ़ाने हेतु २ अक्टूबर से एक अभियान शुरू किया जा रहा है । सात तहसीलों में २८ पंचायतों में २५०० बालकों द्वारा प्रभात फेरी का आयोजन किया गया । इस अवधि में चौपनिये वितरित किये गए तथा बैठकों का आयोजन किया गया ।
- पंचायतों में चुनी हुइ महिलाओं का एक सम्मेलन १४ सितंबर को बहरोड़ में आयोजित हुआ । उसमें अलवर, जोधपुर, झुनझुनू और टोंक जिले से लगभग ५०० महिलाओं ने भाग लिया । पंचायती राज प्रतिनिधि समन्वय समिति द्वारा उसका आयोजन किया गया था। आने वाली अधिकांश महिलाएँ पहली ही बार चुनी गई थी और कई तो सामान्य सीटों पर चुनी गई थी । ग्राम विकास एवं रोजगार मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुश्री सुधा पिल्लै उसमें मुख्य अतिथि थी। सम्मेलन में साँप-सीढ़ी, प्रश्नोत्तरी, समूह चर्चा तथा भित्ति चित्रों के द्वारा जागृति उत्पन्न करने का प्रयास किया गया । नयी दिल्ली की 'प्रिया', जयपुर की 'एक्शन एड', जयपुर की बेवी, पूगल की एस.एम.एम., चूरू की मरुशक्ति, झुनझुनू की एस.आर.के.पी.एस. और टोंक की जी.वी.एस.टी. के समेत अन्य संस्थाओं ने भी सम्मेलन को सहयोग प्रदान किया था ।
- ग्राम पंचायत के सदस्यों को प्रशिक्षण देने के लिए १०-११ सितंबर को बीकानेर के 'पंचायत संदर्भ केन्द्र' के द्वारा प्रशिक्षण आयोजित किया गया । आसपुर के केन्द्र द्वारा इसका आयोजन २९-३० सितंबर को किया गया ।
- प्राथमिक शिक्षा में पंचायतों की सत्ता और राजस्थान में दलित प्रतिनिधि विषय पर दो शोध - अध्ययन शुरू किए गए हैं ।
- अलीपुर तहसील में सूक्ष्म स्तरीय आयोजन के लिए अगस्त में पाँच बैठकें आयोजित की गईं । गोविदगढ़ तहसील में इटावा भोपजी में १७ जुलाई को इसी संदर्भ में बैठक की गई तथा जरूरतों की प्राथमिकता तय की गई ।
- जोधपुर के बिलाड़ा कस्बे में वार्ड नं ५ में शहरी स्वशासन के सुदृढ़ बनाने के लिए संवाद किया गया है । स्वच्छता और सफाई के बारे में चर्चा की गई ।

क्षेत्रीय शैक्षणिक विभाग

दस्तावेजीकरण और विकास शिक्षण

- गुजरात में भूकंपग्रस्त इलाकों में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए समुदाय केंद्रित पुनर्वास के बारे में दो चरणों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया । प्रथम चरण में १ से ३ जून के रोज समुदाय आधारित पुनर्वास की विभावना और दुर्बल वर्गों के पुनर्वास के साथ जुड़ी समस्याओं पर प्रशिक्षण दिया गया । द्वितीय चरण में ३-४ जुलाई को प्रशिक्षण दिया गया। इसमें कौशल निर्माण

पर बल दिया गया । इसके प्रतिवेदन गुजराती में तैयार किए गए और सहभागियों को भेज दिए गए ।

- २३-२७ जुलाई के मध्य भोपाल में समर्थन के सहयोग से प्रक्रिया दस्तावेजीकरण के बारे में एक प्रशिक्षण आयोजित किया गया । इसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के ३३ सहभागियों ने भाग लिया ।
- हैन्डिकेप इंटरनेशनल के साथ गुजराती में रंगीन फ्लैश कार्ड्स तैयार करवाए गए हैं । ये सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, डॉक्टरों और विकलांगों के साथ काम करने वाले लोगों के लिए हैं । इसके साथ अंग्रेजी में ट्रेनर्स गाइड भी तैयार की गई है ।
- सहभागी प्रशिक्षण के बारे में गुजराती में एक मैन्युअल तैयार की गई है और अनेक महत्वपूर्ण संस्थाओं को भेजी गई है ।
- 'उन्नति' के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के लिए ११-१२ जुलाई के मध्य एक समूह प्रशिक्षण आयोजित किया गया । अहमदाबाद की 'एकेडमी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमैंन्ट' के द्वारा इसका आयोजन किया गया ।
- प्लान इंटरनेशनल हेतु २९-३० जुलाई के मध्य स्त्री-पुरूष भेदभाव के बारे में एक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई ।
- 'वोलाग मैप' के सहभागियों के लिए २५-२८ जुलाई के मध्य, ईरमा (आनन्द) द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सूक्ष्म स्तरीय आयोजन विषयक प्रशिक्षण दिया गया ।
- यू.एन.एफ.पी.ए. के कार्यकर्ताओं के लिए २९-३० सितंबर को एक प्रशिक्षण आयोजित किया गया । उनको भूकंपग्रस्त इलाकों में काम करने के लिए भेजा गया है ।

शोध, समर्थन और संबंधित प्रवृत्तियाँ

- गुजरात की स्वशासन इकाई के सहयोग से विपत्ति का सामना करने की तैयारी में पंचायतों और नगरपालिकाओं की भूमिका के बारे में एक शोध-कार्य हाथ में लिया गया है । हाल की विपत्ति में स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं ने क्या भूमिका कैसे निभा सकती हैं, इसके बारे में अध्ययन हो रहा है । कच्छ जिला (गुजरात) की चार तहसीलों - रापर, भुज, अंजार और भचाऊ में यह अध्ययन हो रहा है । पंचायत के २८ सदस्यों से साक्षात्कार किया गया है और भचाऊ में १२ सितंबर के रोज तहसील स्तर के एक कार्यशाला भी आयोजित की गई थी । चयनित प्रतिनिधि विपत्ति में कैसी भूमिका निभा सकते हैं, उसे एक स्वरूप प्रदान करने के लिए यह कार्यशाला आयोजित की गई थी । इसे 'कासा' के द्वारा सहयोग मिला था ।
- भूकंप के बाद, क्रिश्चियन चिल्ड्रंस फंड (सी.सी.एफ) द्वारा जून २००१ तक की कार्यवाही का मूल्याकंन जुलाई में किया गया । इसका प्रतिवेदन तैयार हुआ है । उसमें आरंभ और प्रशिक्षण की प्रक्रिया तथा बालकों, माता-पिता एवं समुदाय पर कार्यक्रम के प्रभाव पर बल दिया गया है ।

चरखा की प्रवृत्तियाँ

- इस तीन माह की अवधि में विविध विषयों के बारे में विविध कर्मशीलों द्वारा तैयार ३० लेख अखबारों में प्रकाशित हुए हैं ।
- सेवा की विविध इकाइयों के २५ कार्यकर्ताओं हेतु लेखन-कौशल के बारे में एक कार्यशाला १६ से १८ जुलाई के मध्य आयोजित गई। उसमें बैठकों के कार्योल्लेख, प्रवृत्ति प्रतिवेदन, केस-स्टडी, प्रशिक्षण प्रतिवेदन एवं लेख तैयार करने के बारे में प्रशिक्षण दिया गया ।
- गुजरात युनिवर्सिटी में १६ अगस्त को विकासपरक सम्प्रेषण विभाग में ७ अगस्त को गुजरात विद्यापीठ में समाज कार्य विभाग में तथा उत्तर गुजरात युनिवर्सिटी पाटण में समाज कार्य विभाग में १२ सितंबर को विकासपरक पत्रकारिता विषय पर व्याख्यान दिये ।
- 'कच्छ महिला विकास संगठन' द्वारा प्रकाशित मासिक समाचार पत्र 'उजास' के संपादकों की क्षमता-वृद्धि का एक वर्ष तक चलने वाला कार्य शुरू हुआ ।
- अहमदाबाद में सेंटर फॉर डेवलपमैंन्ट को भूकंपग्रस्त अंचलों की म्युनिसिपल शालाओं के गरीब बालकों के शिक्षण के बारे में संचार सहयोग प्रदान किया गया । कच्छ की 'जन विकास सुरक्षा समिति' को भूकंपग्रसित लोगों की मांगों के बारे में तथा अहमदाबाद

कम्युनिटी फाउन्डेशन को 'सम्प्रदान' द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'फंड रेजिंग इन इंडिया' के विमोचन हेतु संचार-सहयोग दिया गया ।

अहमदाबाद कम्युनिटी फाउन्डेशन की प्रवृत्तियाँ

- अहमदाबाद में २४ स्लम क्वार्टर्स को भूकंप में जबरदस्त नुकसान हुआ था । कामदार स्वास्थ्य सुरक्षा मंडल के सहयोग से गोमतीपुर-राजपुर इलाके का सामुदायिक चित्र तैयार किया और मरम्मत के खर्च के अनुमान के लिए तकनीकी सर्वेक्षण शुरू किया गया । खर्च में भागीदारी के लिए समुदाय के साथ बातचीत शुरू की गई।
- २९ अगस्त को दान के प्रवाह को प्रोत्साहन देने के लिए ट्रस्टों एवं प्रतिष्ठानों की एक बैठक बुलाई गई । इसका उद्देश्य उनके योगदान को समझना तथा नागरिक समाज के साथ उनका संबंध स्थापित करना था ।
- अहमदाबाद के सेंटर फोर एन्वायरन्मैंट एज्युकेशन (सी.ई.ई.) के सहयोग से वृक्षारोपण और संरक्षण विषयक दस माह की परियोजना आरंभ की गई । इसका मुख्य उद्देश्य युवकों को पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी बनाने का था । पर्यावरण जागरूकता के विषय में १७ जुलाई से ८ अगस्त के मध्य कार्यकर्ताओं के हेतु एक प्रशिक्षण शुरू हुआ ।
- म्युनिसिपल शालाओं के केन्द्रों द्वारा यह प्रयत्न किया गया कि बालक चित्र बनाना सीखें और उसमें रुचि विकसित करें । उसमें जो चित्र बनाए गए उन्हें बेचा जाएगा और प्राप्त राशि को म्युनिसिपल विद्यालयों को सौंप दिया जाएगा ।

उन्नति

उन्नति

विकास शिक्षण संस्थान

जी-1, 200, आज़ाद सोसायटी, अहमदाबाद-380015

फोनः 079-6746145, 6733296 फैक्सः 079-6743752 email: unnatiad1@sancharnet.in

राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय

जी-55, शास्त्री नगर, जोधपुर-342 003 राजस्थान

फोनः 0291-642185, फैक्सः 0291-643248 email: unnati@datainfosys.net

रूपांकनः रमेश पटेल **गुजराती से अनुवादः** रामनरेश सोनी

मुद्रकः कलरमैन ऑफसेट, सेलर, आगमन, मयूर कॉलोनी के पास, मीठाखळी छः रास्ता, नवरंगपुरा, अहमदाबाद- 380 009, फोन नं. 6431405

आप लोक शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए विचार में प्रकाशित सामग्री का सहर्ष उपयोग कर सकते हैं। कृपया सौजन्य का उल्लेख करना न भूलें और साथ ही अपने उपयोग से हमें अवगत करायें ताकि हम भी उससे कुछ सीख सकें।